राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] चतुर्थ विधान सभा के अष्टम सत्र का 9 वां दिवस [संख्या 6

मंगलवार,

दिनांक 19 मई, 1970.

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई। (श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, वन, अकाल सहायता, शिक्षा, चिकित्सा, पंचायत, सिंचाई विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मनोहर सिंह मेहता।

भीलवाड़ा से अजमेर रूट का राष्ट्रीयकरण

116. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से अजमेर रूट का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या अब जल्दी ही इस रूट का नेशनलाइजेशन होने की सम्भावना है ? यदि हां तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से अजमेर चलने वाली गाड़ियों में गेप इतना ज्यादा है कि बसों में सवारियों की अत्यधिक भीड़ रहती है ?

(4) क्या जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर हर घण्टे भीलवाड़ा–अजमेर रूट पर मोटरें आ जा सकें इसकी व्यवस्था करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री यातायात (श्री समरथलाल) : अजमेर-भीलवाड़ा मार्ग की योजना (स्कीम) दिनांक 14–12–65 को प्रकाशित हुई है। अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

(2) जी हां, योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर।

(3) जी नहीं।

(4) फिलहाल ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने नम्बर 3 में फरमाया है कि भीड़ नहीं रहती है। मैं जब जब भीलवाड़ा जाता हूं, 80 सवारी से कम नहीं बैठाते हैं। क्यों बस देते हैं उनको पैसा कमाने के लिये देते हैं या जनता की सुविधा के लिए ?

श्री समर्थलाल : भीलवाड़ा–अजमेर रूट पर 7 बसें आती हैं और 7 बसें जाती हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा नसीराबाद 2 बसें आती हैं 2 बसें जाती हैं। 2 रेल गाड़ियां आती हैं और जाती हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस रूट पर विशेष भीड़ नहीं रहती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। 80/80 सवारियां बैठाई जाती हैं। ऐसा लगता है न भीलवाड़े में कोई पुलिस है और न अजमेर में कोई पुलिस है। आप चलें और देखें कि वहां क्या हाल हो रहा है? भीलवाड़ा खुद एक बड़ा नगर है। अजमेर भी बड़ा नगर है। अन्य जगहों पर पौन पौन घण्टे में गाड़ियां चलती हैं। क्या लोगों को कमाई के लिये यह रूट दे रखे हैं?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री समरथलाल : इस रूट पर 12 का स्कोप निर्धारित है। 3 गाड़ियों को और निर्धारित किया गया है। जल्दी ही यह कार्यवाही हो जायगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपकी जल्दी की परिभाषा क्या है? दो तीन वर्ष हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, यह समस्या एक ही स्थान की नहीं है, कई स्थानों की है। विशेषकर विवाह के दिनों में, लोग नीचे ऊपर तक पड़ जाते हैं। सभी गाड़ियां भरी होती हैं। इन सारी नीतियों के सन्दर्भ में, आप उनको अपनायें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ऐसी भीड़ में, भयंकर गर्मी में कोई मर जायगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दुर्भाग्य से मुझे भी इसका अनुभव है। दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। सारे राजस्थान में भीलवाड़ा और अजमेर इम्पार्टेन्ट रूट हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इनको एक एक घण्टे में गाड़ियां चलानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप क्या सोच रहे हैं।

श्री समरथलाल : यह रूट 80 मील लम्बा है और 7 गाड़ियां अजमेर आती हैं और 7 गाड़ियां जाती हैं। इसके अलावा नसीराबाद से भीलवाड़ा दो गाड़ियां आती हैं और दो गाड़ियां जाती हैं। इसके अलावा···

श्री अध्यक्ष : इसके अलावा तो रहने दीजिए। भीड़ के बारे में बताइये। यह भी है फरमाने को।

श्री समरथलाल : इसके लिये स्थानीय आर०टी०ओ० को फोन किया है, जल्दी ही व्यवस्था हो जायगी।

श्री विजयसिंह (मकराना) : माननीय सदस्य ने जितनी जल्दी दल बदला है, उतना ही जल्दी बस लग जावेगी?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : नेशनलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): नेशनलाइजेशन क्यों नहीं हुआ है?

श्री समरथलाल: लीगल एडवाईजर से इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वर्षों से विचार चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा ।

श्री जुझारसिंह ।

एक माननीय सदस्य : बोहरा जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री वन मन्त्री ।

घास के बीड़ की कटाई

117. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीड़ घास रैन बसेरा फोजलपुरिया, व खेरिया रेन्ज झालावाड़ का घास सन् 1969 में विभागीय तौर पर कटवाया गया था ?

(2) बीड़ की कटाई कौनसी तारीख को शुरु होकर कब तक समाप्त हुई ?

(3) क्या दिनांक 1-12-68 से 4-12-68 तक घास की कटाई की गई ? यदि हां, तो जिन जिन मजदूरों ने बीड़ों में घास काटा है उनकी सूची मय बीड़ और मय राशि कितनी किस किस को चुकाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वनमन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(1) जी हां ।

(2) कटाई 27–10–69 से शुरू होकर 4–12–69 तक समाप्त हुई ।

(3) जी हां, इस अवधि में बीड़ों से घास काटने वाले मजदूरों की सूची बीड़ के नाम व चुकाई गई राशि सहित संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : यह सूची जो भेजी गई है, जो घास काटी है, यह सब फर्जी आंकड़े हैं। 18/20 रुपये लिखे हैं। 700 रुपये किये हैं। 1–4–69 से 4-12-69 तक कितनी घास थी ? वह क्या काम आई ?

श्री नारायण सिंह मसूदा: 260 क्विंटल अलग अलग तारीखों में 10 बीड़ एरियों में रैन बसेरा में 2.80 क्विंटल। माननीय सदस्य कह रहे हैं। 1–12 से उसकी सूची दे दी गई है। इस अरसे में सब जगह घास काटी गई है। पुरिया में केवल ढुलाई की गई है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : घास किस को दी गई है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : घास विभागीय तौर पर काटने के बाद या तो फेमिन डिपार्टमेंट को दी जाती है या वहां के स्थानीय मवेशियों को दी जाती है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : स्टाक में घास नहीं है। यह झूठी फेहरिस्त दी गई है। यह रुपयों का गोलमाल कर गये हैं। इस बारे में जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : इसके संबंध में जांच करा सकेंगे ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसके सम्बन्ध में जांच करा ली जायगी। घास स्टॉक में है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह निश्चत रूप से जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : निश्चित है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : घास मौके पर है ही नहीं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मौके पर घास बकाया है या नहीं, इसकी सूचना नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : वह घास कहां गई है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : घास अकाल क्षेत्र में गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

बाढ़ से सांगोद तहसील के ग्रामों में नुकसान

118. **श्री झुंझार सिंह (रामगंजमंडी)**: क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1969-70 के अगस्त-सितम्बर महीने में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण कोटा जिले की सांगोद तहसील के किन किन गांवों में कितना कितना नुकसान हुआ व राहत के रूप में अलग अलग गांवों में कितना 2 रुपया बांटा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस क्षेत्र में एक ही स्थान पर तीन नदियों के नजदीक नजदीक बहने व केचमेंट एरिया में कभी भी अधिक वर्षा हो जाने पर, इस क्षेत्र में नुकसान हो सकने की संभावना को रोकने हेतु क्या क्या काम किए जाने प्रस्तावित है और उनमें से कितने कितने पूरे कर दिए गए हैं ?

(3) इस क्षेत्र में सरकारी प्रापर्टी का कितना कितना नुकसान किन किन स्थानों पर हुआ है और ठीक करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि काली सिंध नदी के अतिरिक्त पानी को भविष्य में परवन की ओर दौड़ने से रोकने हेतु अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त लिफ्ट योजना द्वारा माइनर आदि बनाकर रोकने का भी प्रस्ताव है ? यदि हां तो इस पर कब तक अमल करने की क्या संभावना है ?

उप-मंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी): (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) भविष्य में चंबल, काली सिंध परवन एवं पारवती नदियों के बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिये एक बाढ़ नियंत्रण पायलट योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें भू-संरक्षण, वन विकास तथा पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए समन्वित योजना तैयार की गई है। यह योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) इस क्षेत्र में सरकारी प्रापर्टी का कितना नुकसान हुआ है, उसकी सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है। उसे ठीक कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा सिंचाई विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को उनकी मांग के अनुसार प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

(4) जी हां। यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, कार्यवाही प्रारंभ करदी जायेगी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री झुंझार सिंह : जो सरकार की प्रापर्टी को और पी० डब्ल्यू० डी० व सिंचाई विभाग को नुकसान हुआ है उसके लिए आपने फरमाया जो विभाग से मांग की गई थी, वह राशि मंजूर कर दी गई है। उस मंजूरशुदा रकम के तहत कितना काम हुआ है, आपको जानकारी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जानकारी नहीं है लेकिन प्रोग्रेस में काम चल रहे हैं। 31 मार्च तक जो स्थिति थी वह आगे बढ़ाई जाकर 30 जून तक काम पूर्ण कराने का विचार है, ऐसे आदेश दिए गए हैं।

श्री जुझार सिंह : दूसरा जो एन्टी-फ्लड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट आपके पास भेजा गया है, उसके तहत अभी क्या प्रगति है, कब तक मंजूर हो जाने की उम्मीद है ?

श्री गंगाराम चौधरी : कृषि विभाग ने कुछ योजना बनाई है इस संबंध में जो 12 लाख की है और कृषि विभाग, वन विभाग तथा सोइल कन्जरवेशन तीनों विभाग, तथा योजना विभाग से व अन्य अधिकारी सभी विचार करके इस संबंध में जल्दी निर्णय लेंगे।

श्री जुझार सिंह : सबसे ज्यादा वहां महत्वपूर्ण बात यह है कि काली सिंध नदी का पानी ज्यादा आ जाने की वजह से सरप्लस वाटर काली सिंध का नहर से होकर परवन की ओर दौड़ने से रोकने के लिए जब तक ओबसट्रक्शन कायम नहीं की जाती तब तक कटाव बराबर रहेगा, इसी संदर्भ में मैंने प्रश्न नं० 4 पूछा था कि लिफ्ट योजना द्वारा माइनर आदि बना कर रोकते हैं तो काली सिंध का पानी परवन तक नहीं आएगा ? वो जल्दी इसको लेने की मन्शा रखते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस संबन्ध में 10 लाख रुपया की योजना बनाकर केन्द्रीय वाटर व पावर कमीशन को भेज दी गई है। वहां से जल्दी स्वीकृति आने पर काम को हाथ में लिया जायगा, योजना विभाग इस कार्य को हाथ में लेगा।

श्री जुझार सिंह : यह आपने कब भेजा पिछले वर्ष से यही बात कर रहे हैं कि सैंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन को भेजा है लेकिन पिछले वर्ष की बाढ़ से अनुभव हो गया होगा कि समय पर नहीं किया तो कोरी योजना भेजने से काम नहीं होगा। दूसरी बरसात आ रही है और उससे पहले आपने कुछ नहीं किया तो नुकसान होगा। टाइम बतायें कब तक हाथ में लेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : जहां तक अकाल सहायता विभाग का सवाल है, यह तो टेम्परेरी रिलीफ के काम हाथ में लेता है परमानेन्ट रिलीफ के काम योजना विभाग, कृषि विभाग और वन विभाग हाथ में लेता है। योजना विभाग ने बताया कि कमीशन को भेज दिया गया, उनकी सिफारिशों की स्वीकृति आने पर काम हाथ में लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

श्री जुझार सिंह: रिलीफ वर्क्स आप ··

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

पंचायत समितियों के अध्यापकों के लिए की गई सिफारिशें :—

119. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंचायत समितियों के अध्यापकों के लिए भंडारी कमेटी ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार ने क्या फैसला किया है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) राज्य के अध्यापक वर्ग के लिए सरकार द्वारा गठित राणावत वेतन आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या सरकार ने समय समय पर उक्त दोनों रिपोर्टों पर शीघ्र विचार कर उनकी सिफारिशों को लागू करने की घोषणा व आश्वासन अध्यापकों को दिए हैं ? यदि हां, तो कब कब और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ।

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) भंडारी समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी सिफारिशें की हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

1–पंचायत समितियों में अध्यापकों की नियुक्तियां व पद स्थापन ।

2–पंचायत समिति से शिक्षा विभाग के तथा शिक्षा विभाग से पंचायत समिति में व पंचायत समिति से पंचायत समिति में स्थानान्तरण ।

3–अनुशासनात्मक नियंत्रण ।

4–पदोन्नति ।

5–वित्तीय कार्यवाही ।

6–शिक्षा स्तर ।

(2) राणावत वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार ने विचार कर नवीन वेतन मान नियम 1969 निर्मित किये हैं । आयोग के सामान्य सिद्धांतों एवं अनुशंषाओं को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है ।

(3) राणावत आयोग की अनुशंषाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का ही आश्वासन संभवतया राज्य सरकार ने घोषित किया था और उस आश्वासन की पूर्ति नवीन वेतन मान नियम 1969 निर्मित की जा चुकी है ।

भंडारी आयोग के प्रतिवेदन को विधान सभा के गत सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है । प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में (2) पर अंकित बिन्दु से सम्बन्धित पंचायत समिति से शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण के संबंध में राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 में संशोधन किया जा चुका है । समिति की अन्य सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : भंडारी कमेटी की जो सिफारिशें की गई हैं, कब से विचाराधीन हैं सरकार के, किस स्टेज पर हैं, कब विचार पूर्ण हो जायगा ?

श्री शिवचरण माथुर : पंचायत विभाग से विचार होकर मंत्रीमण्डल के सामने आना है, उसके बाद मंत्रीमण्डल निर्णय लेगा, उसके अनुसार फैसला किया जायगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कोई निश्चित अवधि ?

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीसिंह ।

सवाई मानसिंह होस्पिटल के काटेज वार्ड में पानी की कमी

120. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिंडोली): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल के काटेज वार्ड में सदा ही पानी की कमी रहती है ?

(2) क्या यह सत्य है कि कॉटेज वार्ड में पानी केवल 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मिलता है ?

(3) काटेज वार्ड को 24 घंटे पानी मिल सके ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी नहीं, केवल ग्रीष्म काल के 2 माह में पानी की कमी रहती है।

(2) जल दाय विभाग के पानी के वितरण के नियमानुसार पानी वितरण किया जाता है।

(3) जी हां।

श्री केसरी सिंह हाडा : क्या यह सही नहीं है कि जनवरी, फरवरी में भी पानी की कमी रहती है काटेज वार्ड में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सही स्थिति यह है कि काटेज वार्ड का डाइरेक्ट कनेक्शन मेन लाइन सिटी के साथ है तो जिस समय सिटी में पानी की कमी रहती है तो उस समय वहां पर भी कमी आ जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मरीजों से सम्बंधित है। क्या मंत्री महोदय एक ऐसा टैंक क्यों नहीं बनवाते हैं ताकि 24 घंटे पानी की सप्लाई हो सके ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह विचाराधीन है लेकिन दिक्कत यह है कि कॉटेज वार्ड के लिए अलग से दर निर्धारित नहीं है और 24 घंटे पानी आने से कई ऐसे लोग होते हैं जो लापरवाही करते हैं और पानी को वेस्टेज करते हैं। फिर भी एक ओवर टैंक जो पानी सप्लाई कर सके, निश्चित अवधि में लगाने की योजना विचाराधीन है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मंत्रियों के बंगले अस्पताल से भी ज्यादा जरूरी हैं जहां पर 24 घंटे पानी चलता है और अस्पताल में 24 घंटे पानी देने के लिए आप तैयार नहीं हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे खुद के मकान में पानी नहीं आता है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): बीकानेर के अस्पताल के टी० बी० वार्ड में पानी न होने के कारण बीमार सिसक रहे हैं और····

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

रामपुरा जागीर तहसील नीम का थाना की स्कूलें

121. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामपुरा जागीर, तहसील नीम का थाना में प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शालाओं की स्थापना कब-कब हुई ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम का विद्यालय क्षेत्र में काफी पुराना होते हुए भी इसे उच्च या माध्यमिक विद्यालय में उन्नत नहीं किया गया एवं इसके बाद के

Page No. 8

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

एवं कम भवन,आबादी एवं छात्र संख्या वाले विद्यालयों को उन्नत कर दिया गया ? यदि हां, तो यह पक्षपात क्यों किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि रामपुरा से चीपलाटा व गणेश्वर होते हुए नीम का थाना तक कोई भी उच्च विद्यालय नहीं है व आवागमन के साधन सुलभ न होने एवं जंगल होने से छात्रों को आगे की शिक्षा में काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है ?

(4) क्या रामपुरा जागीर के विद्यालय के पास दो पर्याप्त भवन, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल का मैदान व सिंचाई सुविधा वाला कृषि क्षेत्र होते हुए भी जनता की मांग व सुविधा को ध्यान में रख कर यह विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार अगले सत्र से अवश्य ही इस विद्यालय को कृषि विषय सहित क्रमोन्नत करके क्षेत्र के भारी अभाव की पूर्ति कर देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) तहसील नीम का थाना में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा जागीर की स्थापना 1945 में हुई।

(2) जी हां, यह विद्यालय काफी पुराना है। इसके आसपास ऐसे किसी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया जो इस शाला के मुकाबले हर दशा में पिछड़ा हुआ है। जो क्रमोन्नत हुए हैं वे शाला भवन आदि की दृष्टि से इस विद्यालय से अच्छे ही हैं।

(3) अंकित रूट पर तो कई उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं है परन्तु इस ग्राम से 6 मील की दूरी पर ग्राम अजीतगढ़ में हायर सेकेण्डरी स्कूल अवश्य है।

(4) शाला के पास दो भवन अवश्य हैं किन्तु ये दोनों ही भवन वर्तमान स्तर की स्कूल के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्थान के पास कुआ व खेल का मैदान अवश्य है। इस क्षेत्र की पंचायत समिति ने इस स्कूल को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव विभाग को नहीं दिये।

(5) अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर इस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री दुर्गालाल बादृदार : ऐसा कोई प्रस्ताव आपके पास आया है कि इस स्कूल को उन्नत किया जाय ?

श्री शिव चरण माथुर : पंचायत समिति की ओर से प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री दुर्गालाल बादृदार : क्या विभाग स्वयं इस बात की जानकारी कर चुका है कि वह इस क्षेत्र में सबसे पुराना स्कूल होते हुए भी इसको उन्नत नहीं किया गया है और वास्तव में 10 मील की एरिया में कोई माध्यमिक स्कूल नहीं है। इन सब बातों पर विचार करके आप इस स्कूल को अपग्रेड करेंगे ?

श्री शिव चरण माथुर : प्रश्न के अंतिम भाग में मैंने निवेदन किया कि सारी बातों पर विचार करके जल्दी निर्णय करेंगे।

श्री दुर्गालाल बादृदार : कुछ कारण ऐसे है जिनमें मैं नहीं जाना चाहता। बहुत

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

से क्षेत्रों में पंचायत समिति रिकमंड भी करती है और नहीं भी करती है तो मैं राज्य सरकार से अपेक्षा करता हूं कि स्वयं इसकी आवश्यकता को समझते हुए योजना को लें क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके लिए किसी प्रकार की धारणा…

श्री शिव चरण माथुर : राज्य सरकार का ऐसा दृष्टिकोण कभी नहीं रहता है कि राजनैतिक आधार पर स्कूल खोले जायें या अपग्रेड किये जायें। आपने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रख कर जब कभी भी हाई स्कूल खोलने का निर्णय होगा, विचार किया जायगा।

श्री मोहनलाल मोदी : अजीतगढ़ 6 मील पर नहीं है, वह 18 मील पर है। पहाड़ी रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री ओमदत्त भाटी।

राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कुत्ते काटने के केसेज

122. **ओमदत्त भाटी** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा व अलवर में "अ" "ब" श्रेणी के अस्पतालों में कुत्ते काटने के औसत मरीज 1969-70 के प्रतिदिन के कितने आये व कितने रोगी इस बीमारी से मरे?

(2) एन्टी रबिक यूनिट का वार्षिक बजट कितना कितना है? प्रति मरीज पर कितना रुपया खर्च आता है?

(3) क्या यह सही है कि इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है?

(4) क्या इसके लिए कोई उपयुक्त साधन है जिससे इस बीमारी की जांच की जा सके?

(5) इस बीमारी की रोकथाम के लिये सरकार ने कौन-कौन से उपाय किये हैं?

(6) सरदारपुरा, जोधपुर के विधायक ने पहले सत्र में इसके लिए सुझाव दिया था कि कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए नसबन्दी की जाय इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(7) इस एन्टी रबिक इन्जैक्शन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं?

(8) कुत्ते काटने के उपरान्त इस बीमारी के मरीजों को इन्जैक्शन लगाने पर भी मृत्यु हुई है क्या? 1969 में कितने मरीज इंजैक्शन लगाने के उपरान्त मरे?

(स्थगित किया गया)।

छीपा बड़ौद सालपुरा रेल्वे स्टेशन तक बसों की व्यवस्था

123. **श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबड़ा)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के छीपा बड़ोद कस्बे में यातायात के मुख्य साधन मोटर बस ही हैं?

(2) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद के सालपुरा रेल्वे स्टेशन तक एक ही बस चलती है व अन्य बसें जो छीपा बड़ौद होकर

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

चलती है जैसे (1) मनोहरथाना इकलेरा, सराथल, छीपा बड़ौद सालपुरा (2) मनोहरथाना हरनावदा, बनजारी छीपा बड़ौद में अधिकतर बसें खराब होने के कारण पूरे रूट को कवर भी नहीं करती और न नियमित ही चलती है जिसकी वजह से इस कस्बे की जनता को बड़ी परेशानी होती है ?

(3) क्या सरकार कोई उचित कदम उठाकर इस अव्यवस्था का निवारण करने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, यातायात (श्री समरथलाल) :

(1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है। छीपा बड़ौद से सालपुरा स्टेशन टच करने वाली बसें छः मार्गों से जाती है। निम्न छः मार्गों की नौ बसें यानी नौ रिटर्न ट्रिप्स वाया छीपा बड़ौद, सालपुरा, स्टेशन से होकर आना जाना है :

(1) सालपुरा, छीपाबड़ौद, बनजारी, हरनावदा, मनोहरथाना

(2) सालपुरा, छीपाबड़ोद, कलमोटियां, इकलेरा, हरनावदा, मनोहरथाना,

(3) सालपुरा, छीपाबड़ौद, कलमोटिया, इकलेरा, ल्हास, मनोहरथाना।

(4) सालपुर स्टेशन से छीपाबड़ौद,

(5) बारां, अटरू, सालपुरा, छीपाबड़ौद,

(6) छीपा बड़ौद, सालपुरा, छबड़ा।

मौजूदा जो बसें चल रही हैं वे पूरे मार्ग को कवर करती हैं और समय पर चलती हैं। समय पर नहीं चलने की एवं पूरे मार्ग को कवर नहीं करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ऐसे उपरोक्त 6 मार्गों की यात्री वाहनों में से नौ रिटर्न ट्रिप्स छीपा बड़ौद से सालपुरा रोजाना चलने के हैं। अतः जनता की परेशानी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या यह सही है इन छः बसों में से वर्तमान में एक भी बस नहीं चल रही है ?

श्री समरथ लाल : सारी बसें चल रही हैं ऐसी बात नहीं है कि एक भी बस नहीं चल रही हो।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आपको जो भी सूचना है वह गलत है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक भी बस नहीं चल रही है सारी सवारियां परेशान हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि बसें इसलिये नहीं चल रही हैं कि सड़कें बिल्कुल कच्ची है पी०डब्लू० डी० उसकी रिपेयर नहीं करवाती है। उस रोड़ को पंचायत समिति को ट्रान्सफर कर दी है पंचायत समिति के पास बजट नहीं है पी० डब्लू० डी० रिपेयर नहीं करवा रही है इसलिये बस मालिकों ने बस बन्द कर रखी है ?

श्री समरथ लाल : मेरी सूचना के अनुसार यह ठीक नहीं है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है ?

Page No. 11

श्री अध्यक्ष : क्या आप चेलेन्ज स्वीकार करते हैं ?

श्री समरथ लाल : माननीय सदस्य को शंका है तो जानकारी करूंगा ।

श्री देवी दत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि जिन बस मालिकों को परमिट दे रखा है वे बस चालू नहीं करते है तो उनका परमिट केन्सिल किया जायगा ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : जनता की शिकायत पर ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी ने उन बस मालिकों पर 800 रुपया जुर्माना किया है और चार ससपेण्डेड हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): इसकी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये माननीय मंत्री महोदय, इसकी जांच करवाने केवल जांच करवाने से ही निराकरण नहीं होगा, यह लंगड़ा सा उत्तर है । ऐसी व्यवस्था वहां के लिये की जाय कि जनता को कोई शिकायत न हो । इस बारे में प्रश्नकर्त्ता को जो शिकायत है उसका मंत्री महोदय किसी न किसी रूप में निराकरण करेंगे ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पचास गांव हैं रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करने के लिये केवल मात्र यही रोड है इसी से रेलवे स्टेशन लिंक होता है ?

श्री समरथ लाल : छः मार्गों से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है रेलवे स्टेशन को 9 गाड़ियां जाती हैं और 9 ही आती हैं ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): जब गाड़ियों के परमिट दिये गये हैं वे गाड़ियां नहीं चलतीं, क्या चलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री समरथ लाल : गाड़ियां नहीं चलने का सवाल ही नहीं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक भी बस अगर नहीं चल रही है तो आप उनका परमिट केन्सिल करवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि बसेज नहीं चल रही है इसका कारण उन्होंने बताया है, सड़कें खराब है, बस के चलने योग्य नहीं हैं बस के मालिक बसेज नहीं चलाते । आप कहते है कि सड़कें अच्छी हैं और बस भी चलती है ?

श्री समरथ लाल : सड़क के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सारी जानकारी के बाद क्या निर्णय लेंगे ? क्या सड़कें बनवा देंगे ?

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : ट्रान्सपोर्ट विभाग का कोई मालिक ही नहीं है न उसके संचालक हैं और न कोई अधिकारी है ऐसा कर रखा है जैसे यह लावारिश विभाग हो ?

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था क्या करेंगे ?

श्री समरथ लाल : जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जानकारी करके जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी की जायगी ।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : बसेज को जल्दी से जल्दी चालू करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री समरथ लाल : जी हां ।

श्री अध्यक्ष: बस चल गई है अब रोकिये नहीं।

नैक्स्ट। श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

गोंद, पत्ता, तेन्दू आदि के ठेके

124. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (इकलेरा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि झालावाड़ जिले में अथवा अन्य दो जिलों में भी ग्राम पंचायत अपनी चरनोट की भूमि की वन पैदावार गोंद, पत्ता, तेन्दू आदि के ठेके देती है ? यदि हां, तो झालावाड़ जिले में किस किस पंचायत ने ऐसे ठेके दिये हैं एवं उनकी क्या क्या आमदनी है ? गत तीन वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि पंचायत चरनोट के ठेकेदारों को अपना इकट्ठा माल लाने ले जाने पर वन विभाग रोक लगाता है और उनका माल जब्त कर लेता है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि एक ही स्थान पर एक ही वस्तु के वन विभाग एवम् पंचायतों द्वारा ठेके देने से दोनों ठेकेदारों में आपसी झगड़े होते रहते हैं और आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हो सका है ?

(4) क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि या तो इस प्रकार के ठेके वन विभाग द्वारा ही करायें या पंचायतों द्वारा ही और एक दूसरे को कुछ प्रतिशत के हिसाब से मुआवजा दिलाने की व्यवस्था हो सके ?

उप मन्त्री वन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

(1) जी हां। झालावाड़ जिले की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कहीं कहीं माल लेजाने के लिये वन विभाग द्वारा ट्रान्जिट पास नहीं देने के विवाद हुए हैं।

(3) माल ले जाने के लिए वन विभाग द्वारा ट्रान्जिट पास नहीं देने के मामले अवश्य हुए हैं। चारागाह की उपज के ठेके पंचायतों द्वारा ही दिये जा रहे हैं।

(4) राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के अन्तर्गत चारागाह की प्राकृतिक उपज ठेके द्वारा बेचने का पंचायतों को ही अधिकार है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह आम तौर पर देखा गया है कि पंचायत के चरनोट का ठेका आमतौर पर सरपंच द्वारा दिया जाने के कारण करप्शन होता है। पंचायत द्वारा चरनोट का ठेका दिया जाने के लिये कोई आवश्यक प्रावधान है किस आधार पर काटने देना चाहिए किसी प्रकार की नियमित कार्यवाही नहीं होती है जिसके कारण वनों का ह्रास हो रहा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पंच लोग भ्रष्टाचार करते हैं ऐसी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): राज्य सरकार अनुभव करती है क्या कि पंचायत विभाग ठेका देता है दूसरा वन विभाग भी ठेका देता है इस तरह से दुहरी व्यवस्था के कारण वन विभाग को आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस कठिनाई को देखते हुए रेवेन्यू विभाग इस पर विचार कर रहा है विचार करके वह तय करेगा कि किस किस तरह से ठेका दें और इन्कम को किस तरह बांटी जाय। इसमें कोई गड़बड़ है तो इसको खत्म करने की कोशिश की जायगी।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): मेरा भी इसी प्रश्न से सम्बन्धित एक प्रश्न है पंचायत के पास कोई अमला नहीं है इसलिये ठेके के सम्बन्ध में पंचायत कोई निरीक्षण नहीं कर सकती। अगर पंचायत और वन विभाग कोई न कोई रास्ता निकाल कर समझौता कर ले जिसके द्वारा ठेका आदि वन विभाग दें और जो आमदनी होती है उसका अमुक हिस्सा तीस प्रतिशत या जो भी आप तय करें, पंचायत को दे दिया जाय बाकी आय राज-कोष में जाये। ऐसी अगर व्यवस्था हो सकती है तो क्या सरकार उस पर विचार नहीं करेगी? माननीय प्रश्नकर्ता के साथ मेरी सहानुभूति है यह मैं भी मानता हूं कि पंचायत द्वारा जो ठेका दिया जाता है उसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। माननीय वन मन्त्री और पंचायत मन्त्री मेरी इस धारणा का निराकरण नहीं करेंगी जो आवश्यक है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग और वन विभाग विचार कर रहे हैं उनकी जो टिप्पणी आयगी उस बारे में ऐक्शन लिया जायगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या इस तरह से विचार करने के लिये राजस्व विभाग को वन विभाग द्वारा लिखा गया या राजस्व विभाग ने अपने आप इस चीज को हाथ में लिया है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है अगर राजस्व विभाग भी विचार करता है तो वन विभाग की सहमति से हो सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : इसमें सरकार को बड़ा भारी नुकसान है ऐसे ठेके दिये जाते हैं वन विभाग के भी पेड़ काट लिये जाते हैं यह व्यवस्था वन विभाग के अधीन रहे तो नुकसान कुछ कम होगा। आज तो लावारिश मिल्कियत के माफिक व्यवहार होता है यह बड़ी ही असन्तोषजनक व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : वन मन्त्रीजी स्पष्टीकरण करेंगे?

श्री नारायणसिंह मसूदा (वन मंत्री) : मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं यह मामला गत वर्ष से विचाराधीन है। इस विषय में हमने आंकड़े भी देखे हैं कई जगह इन्टेन्सिटी तेन्दू पत्तों की है वह वन विभाग में ज्यादा है बजाय पंचायत समिति के। इसलिए इसमें ठेका देने से वहां दूसरी जगह नुकसान होता है यह समझ में नहीं आता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बता दूं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जैसा कि विरोधी दल के नेता महोदय ने फरमाया कि 35% काट करके उनको दे दिया जाय। एक युनाइटेड प्रणाली हो। इसलिये इस दिशा में वन विभाग और पंचायत विभाग विचार विनिमय कर रहे हैं लेकिन एकदम से यह चीज बिना कानून के लागू नहीं कर सकते हैं। यह जो कानून है वह पंचायत के हक में है और पंचायतें अपने हक के अनुसार ही कर रही हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : शायद आप कन्फ्यूजन में हैं। हर पेड़ का पत्ता काटते हैं। एक पेड़ पंचायत के अन्दर है दूसरा पेड़ वन विभाग के क्षेत्र में है। वह अपने पेड़ का पत्ता काटता काटता वन विभाग के क्षेत्र में घुस जाता है जबकि वह पेड़ पंचायत के एरिया में नहीं होता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : वन क्षेत्र में और पंचायत क्षेत्र में वेस्टेड इन्ट्रेस्ट अलग अलग हैं। इधर के मजदूर को उधर का मजदूर नहीं आने देता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

माण्डलगढ़ क्षेत्र में गोवटा तालाब की नहर

125. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ क्षेत्र के गोवटा तालाब की नहर पक्की बनाई जा रही है ? यदि हां, तो डिपार्टमेंट द्वारा या ठेकेदार द्वारा ?

(2) यदि ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही है तो ठेकेदार कौन कौन है ? नाम बताने की कृपा करें।

(3) यदि डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जा रही है तो क्या कातलों व अन्य सामान के अलग अलग ठेके दिये हुए हैं।

(4) क्या नहर निर्माण में पट्टियों तथा कातलें भी काम में आ रहे हैं ? यदि कातलें काम में आ रहे हैं तो किस प्रकार खरीद की जा रही है। क्या कोई ठेकेदार सप्लाई कर रहा है ?

(5) यदि कातलें तथा पट्टियें ठेकेदार द्वारा सप्लाई की जा रही हैं तो उन ठेकेदार का नाम क्या है ?

(6) कातलें कितने रुपये प्रति 100 फीट से खरीद किये जा रहे हैं।

(7) जिस जिस ठेकेदार से जितने कातले तथा अन्य सामान उक्त नहर के लिए खरीद किया हो, उसका पूरा ब्यौरा रेट तथा कुल तादाद तथा कुल मूल्य बताने की कृपा करें।

(8) क्या यह सही है कि कातलें काफी ऊंची रेट से खरीद किये गये हैं जबकि दूसरे व्यक्ति सस्ती रेट पर देने को भी तैयार थे।

उपमंत्री सिंचाई (श्री जसराज) :

(1) जी हां, गोवटा तालाब की नहरें जहां जहां आवश्यकता है पक्की बनवाई जा रही हैं, कुछ ठेकेदारों द्वारा बनवाई गई हैं तथा कुछ विभाग द्वारा बनवाई जा रही हैं।

(2) इस समय कोई ठेकेदार नहीं हैं। पर निम्न ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया गया है:–

1. श्री सोहनलाल शर्मा, 2. श्री खादीम हुसैन, 3. मेसर्स सीकर सेनीटरी एण्ड पाइप फीटिंग सहकारी समिति, 4. मेसर्स आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०, भीलवाड़ा, 5. श्री अहमदअली खान, 6. मैसर्स चिराना श्रमिक ठेका सहकारी समिति।

(3) वर्तमान में नहरों को पक्की करने का कार्य विभागीय तौर पर कराया जा रहा है। कातलों व अन्य सामान के कोई ठेके इस वर्ष नहीं दिये गये हैं।

(श्री जसराज)

(4) जी हां, नहर-निर्माण में कातले भी काम में लिये जा रहे हैं। ये कातलें गत वर्ष खरीदे गये थे।

(5) इस वर्ष कोई कातलें ठेकेदारों द्वारा नहीं खरीदे जा रहे हैं।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) जैसा कि ऊपर बताया गया है इस वर्ष कोई खरीद नहीं हुई है। गत वर्ष में जो खरीद हुई उसका विवरण निम्न-लिखित है:—

1. मसर्स विजयसिंह नाहर द्वारा 31154 एस.एफ.टी 49) प्रति 100 फीट के हिसाब से 15265) रुपये के खरीदे गये।

2. मैसर्स बजरंगलाल अग्रवाल द्वारा 18697 एस-एफ.टी. 49) रुपये प्रति 100 फीट के हिसाब से 8974) रुपये के खरीदे गये।

(8) जी नहीं कातलें कोटेशन लेकर न्यूनतम भाव से खरीदे गये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वहां पर इसी प्रकार के कातलें अधिक से अधिक 30/32 रुपये प्रति 100 फीट के हिसाब से मिल सकते हैं। फिर 49/50 के भाव से क्यों खरीदे गये हैं ?

श्री जसराज : मेरे पास में जो सूचना आई है वह यही है। इसके लिए टेण्डर्स मांगे गये थे और जो टेण्डर आये उनमें से 49/- रुपये की रेट सबसे कम थी। सबसे कम रेट का टेण्डर यही था इसलिए इसको स्वीकार किया गया है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब से खानें शुरू हुई हैं 49/-- का भाव कभी नहीं रहा है।

टेंडर कागज पानड़ों में ही रह गये। लोगों को मालूम ही नहीं हुआ। उनको जब मालूम हुआ कि 49 के भाव से टेंडर स्वीकृत हुए हैं तो आश्चर्य हुआ।

एक माननीय सदस्य : टेंडर्स कैसे लिये गये ?

श्री जसराज : नियमानुसार टेंडर इश्यु हुआ और 6 व्यक्तियों के टेंडर प्राप्त हुए। इसलिए यह कहना कि किसी को पता नहीं हुआ गलत है। इस विभाग में इस प्रकार की कोई कम्प्लेन्ट नहीं आई है। ऐसी मुझे जानकारी नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं फिर भी इसमें और जांच करवा ली जायेगी, ऐसा आश्वासन दे सकता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कब जांच का आदेश दे देगें।

श्री अध्यक्ष : कह दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : टेंडर कितने व्यक्तियों के आये थे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह उत्तर आ गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह टेंडर अखबारों और गजट में नोटिफाई हुआ था।

श्री जसराज : यह जानकारी मेरे पास में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा।

पंचायत समितियों द्वारा खाद व बीज हेतु ऋण

126. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की समस्त पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न जिलों में खाद्य व बीज के लिये जो ऋण दिया गया है वह 6 करोड़ से अधिक है? यदि हां, तो किस किस वर्ष की कितनी कितनी बकाया है और किस किस जिले में कितनी कितनी बकाया है?

(2) सरकार इस बकाया की वसूली का क्या कार्यक्रम अपना रही है तथा यह रकम कब तक वसूल करने का सरकार का लक्ष्य है?

उपमन्त्री, पंचायत: (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां, सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बकाया राशि का आवश्यक हिसाब तैयार करने के लिये जिला स्तर पर एक सहायक लेखाधिकारी व 25 लेखाकार लगाये गये हैं। वे आरम्भ से हिसाब तैयार कराने तथा वसूली हेतु मांगपत्र तहसीलों में भिजवाने के कार्य में पंचायत समिति ही सहायता करते हैं। वसूली के लिये राजस्व अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। बकाया की शीघ्र वसूल के लिये पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा: क्या यह बतायेंगे कि सब से ज्यादा ऋण किस जिले को दिया गया है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: क्या यह सही है कि गंगानगर को एक करोड़ से ऊपर ऋण दिया गया है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: सूची में लिखा है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: आप हां, तो कीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप सूची देख लीजिये। गंगानगर ही है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: यह ऋण कब तक राज्य सरकार वसूल करने की योजना रखती है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जितनी जल्दी वसूली हो, वसूली का प्रयास किया जा रहा है?

श्री केसरीसिंह हाड़ा: आप के पास में क्या कोई मापदण्ड है? दो वर्ष में, चार वर्ष में या 22-23 वर्ष में, कितने वर्ष में, आप इसको वसूल करेंगे?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: स्पेशल स्टाफ लगा दिया गया है जो वसूली की कार्यवाही करेगा। वह नियमितरूप से इस कार्य को कर देगा और वसूली में मदद करेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या यह सही नहीं है कि खाद और बीज का एकाउन्ट पंचायत समितियों के पास में उपलब्ध नहीं हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उपलब्ध नहीं होने की वजह से ही तो स्टाफ लगाया है और इसी कारण वसूली में ढिले हुई है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : इस बकाया में पंचायत बनने से पहले की रकम भी शामिल है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हो सकती है। पूरी जानकारी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : खाद और बीज जो पंचायत समितियों के बनने के पहले दिया गया था उसकी रकम भी इसमें शामिल है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री केशरीसिंह हाडा।

अवाप्त भूमि का मुआवजा

127. **श्रीकेसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डौली): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिचाई विभाग द्वारा बांधों, नहरों सड़कों के लिये अवाप्त की गई भूमि की कितना मुआवजा मार्च 1970 तक चुकाना था? जिलेवार सूचना दें? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार अवाप्ति के समस्त मामले कब तक निपटा देगी ?

उप मन्त्री, सिंचाई, (श्री जसराज) : (1) मार्च 70 तक करीब 88.40 लाख रुपयों का मुआवजा चुकाना शेष था। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा एवार्ड प्राप्त होने पर।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह रकम नहीं चुकाने का क्या कारण है ?

श्री जसराज : जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह किसकी गलती है, 18-18 साल तक अवार्ड कायम न हो।

श्री जसराज : मैं भी मानता हूं कि यह बहुत देर हुई है। नियमानुसार भूमि अवाप्ति में जो कार्यवाही होती है उसी में डेढ़-दो साल तो लग जाते हैं। उन दिनों अवार्ड अधिकारी थे, बाद में तहसीलदार को सौंप दिया, एस. डी. ओ. को भी दे दिया। इस तरह से कागज एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर होते रहे। दूसरे और भी कारण हैं। यह भी कारण था कि किसान कैश में मुआवजा नहीं चाहते थे काइन्ड में चाहते थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): जो भूमि के बदले भूमि चाहते हैं क्या उनको भूमि दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जसराज : जब अवार्ड अधिकारी को सौंप देते है तो उसकी इन्तजार करते हैं, जब भूमि नहीं होती है तो कैश देने को तैयार होते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, शिक्षा मन्त्री ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या भूमि के बदले में भूमि देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । 128 ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह बहुत इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है लोग-बाग भूमि के बदले भूमि चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कौनसा 128 ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : 127 ।

श्री अध्यक्ष : मैं आगे पुकार चुका हूं ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : नम्बर तो मैं पुकारता हूं, आप थोड़े ही पुकारते हैं ?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्रीजी । 128 ।

साक्षरता अभियान

128. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में साक्षरता अभियान किस-किस जिले में कब शुरू किया गया ?

(2) जहां पर यह अभियान शुरू किया गया उन पर वार्षिक व्यय कितना किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार इस अभियान के लिये अध्यापकों को पारिश्रमिक न देकर पुरस्कार देती है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस-किस को पुरस्कृत किया गया और हर एक को कितनी-कितनी रकम दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) सरकार पिछले छः वर्षों में कितने प्रौढ़ों को साक्षर बना सकी है ? क्या सरकार का डेढ़ लाख निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का वार्षिक लक्ष्य था ? क्या यह सही है कि सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी ?

(5) उक्त अभियान पर गत छः वर्षों का व्यय क्या है और प्रति प्रौढ़ क्या व्यय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम काफी समय से संचालित है । प्रारम्भ में जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की देखरेख जिला समाज शिक्षा अधिकारी ही करते थे तथा खण्ड स्तर पर समाज शिक्षा संयोजक एवं महिला समाज शिक्षा संयोजक द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा था । वर्तमान में जिला समाज शिक्षा अधिकारी, समाज शिक्षा संयोजक एवं महिला समाज शिक्षा संयोजक के पद समाप्त किये जाने पर पंचायत समिति स्तर पर यह कार्यक्रम शिक्षा प्रसार अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है । जिला स्तर पर इसके संचालन का भार जिला विद्यालय निरीक्षकों को सौंपा हुआ है । उप-निदेशक समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के निर्देशन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम राजस्थान में सन् 1954 से चल रहा है । अतः साक्षरता अभियान किस-किस जिले में कब-कब शुरू किया गया की सूचना एकत्रित करने में समय लगने की सम्भावना है ।

(2) राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष 3.00 लाख रुपये व्यय किये जाते हैं । प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में

(श्री शिवचरण माथुर)

वर्णित स्थिति में जिलेवार व्यय की सूचना देना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां । अध्यापकों के लिये नियमित रूप से कोई निश्चित पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं है, परन्तु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में रुचि जागृत करने के लिये अध्यापकों को उनके कार्य श्रेष्ठता के अनुसार पंचायत समिति स्तर पर पारितोषिक देकर प्रोत्साहन दिया जाता है । पारितोषिक राशि का बंटवारा पंचायत समितियों द्वारा ही होता है।

(4) गत छः वर्षों में करीब 6 लाख प्रौढ़ों को साक्षर किया गया है । सरकार का 1.50 लाख प्रतिवर्ष निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य था परन्तु अकाल तथा धनाभाव के कारण निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सका ।

(5) प्रौढ़-शिक्षा कार्य हेतु प्रति वर्ष लगभग 3 लाख रुपये व्यय किये जाते हैं और साक्षर बनाने हेतु 2) प्रति प्रौढ के हिसाब से साधन सामग्री पर व्यय किये जाते हैं ।

श्री विजयसिंह (मकराना): माननीय अध्यक्ष, मन्त्री मण्डल के दो सदस्य अनपढ़ रह गये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है या मान्यता है आपकी ?

श्री दौलतराम सारण(डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मन्त्रीजी यह आवश्यक नहीं समझते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्य बहुत समय से चल रहा है पर उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है अतः उसे बन्द कर दिया जाय ।

श्री शिवचरण माथुर : यह सही है लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये हैं । शिक्षा का नाम चलना चाहिये ।

श्री दौलतराम सारण : यह तो बिलकुल ही नहीं चल रहा है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): प्रौढ़ शिक्षा, एक महत्वपूर्ण विषय है । पर जिस तरह से यह चलाया जा रहा है वह नगण्य ही नहीं मेरे ख्याल से फिजूलखर्ची भी है । इससे तो यह अच्छा है कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई खर्चा ही नहीं करे । और इसको बन्द कर दे । यदि नहीं करना है तो प्रौढ़ शिक्षा पर इसको उचित महत्व देकर व्यवस्थित ढंग से काम हो तो अच्छा । पंचायत समितियों को काम दिया गया । वहां फिजूलखर्ची हो रही है । सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि या तो व्यवस्थित ढंग से इसे चलाया जाय नहीं तो बन्द कर दिया जाय ।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्षजी, जो कार्य हो रहा है उस पर जितना खर्चा होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । नगण्य राशि उपलब्ध है । 3 लाख सारा ही खर्च करते हैं । लेकिन उस तीन लाख को राजस्थान के प्रत्येक जिलेवार बांटकर दें तो काम नहीं चलनेवाला है । इसके बदले में सरकार यह सोच रही है कि जहां यह काम भावना से किया जा रहा है वहां एक प्रोजेक्ट मानकर चलाया जाय और वहां सरकार इस काम में मदद करे ।

इसमें साक्षरता की भी बात आती है । उन बच्चों को ज्यादा पढ़ाने की बात सोच रहे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं । ऐसे बच्चे

Page No. 20

(श्री शिवचरण माथुर)

बहुत हैं जो आर्थिक कारणों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनको प्राथमिकता देकर चलें तो अच्छा होगा बजाय इसके कि प्रौढ़ों पर पर खर्च करें। इसमें प्राथमिकता निर्धारित करना आवश्यक है। इसमें कई बातें दूसरी आती हैं। इस दृष्टि से सोचने के बाद सरकार निर्णय कर रही है कि जहां अच्छा काम हो रहा है उसको प्रोजेक्ट मानकर आगे बढ़ाया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस तरह की जगहें हैं जहां इस प्रकार से प्रोजेक्ट का काम हो रहा हो ?

श्री शिवचरण माथुर : बीकानेर और भीलवाड़ा जिले में हो रहा है। मैं समझता हूं कि उनको बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : भीलवाड़ा जिले में किस जगह हो रहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : आसीन्द पंचायत समिति में।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आंकड़ों और कागजों में या वास्तविक रूप में ?

श्री शिवचरण माथुर : आप जाकर देखेंगे तो मालूम होगा।

श्री दौलतराम सारण : प्रौढ़-शिक्षण का मतलब प्रौढ़ों की साक्षरता से लेते हैं या प्रौढ़ों के सामान्य ज्ञान से लेते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : साक्षर बनाने से।

श्री दौलतराम सारण : साक्षरता को अधिक महत्व देते है या सामान्य ज्ञान को ?

श्री शिवचरण माथुर : साक्षरता का सामान्य ज्ञान भी एक अंग है।

श्री दौलतराम सारण : क्या आप मनोवैज्ञानिक ढंग से यह उचित नहीं समझते कि प्रौढ साक्षरता ग्रहण करने में झिझकते हैं पर सामान्य ज्ञान से उनमें प्रेरणा पैदा कर दी जावे तो अपने आप स्वतः ही साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मांडलगढ़ क्षेत्र में बस मार्ग

129. श्री **मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में आज भी श्रीनगर, झझोला, बीकरण, सरथला, थल, खटवाड़ा, मालका खेड़ा, जोजरा, धाकड़ खेडी, जाल्या, सुरास, आदि ऐसी पंचायतें है जहां आज तक बस रूट नहीं खोले गये हैं, यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त रूट निकाले गये और लोगों की अर्जियें नहीं आई ?

(3) यदि रूट निकाले ही नहीं गये तो क्या अब रूट निकालने की योजना है ? यदि हां, तो इन सब पंचायतों को यातायात की सुविधा देने के लिये कौन कौन से रूट कब निकाले जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री, यातायात (श्री समरथ लाल) : (1) जी हां। यह सही है कि इन गांवों में बस सर्विस सीधी नहीं जाती है। इन ग्रामों में बस चलाने हेतु आवेदनपत्र प्राप्त न होने के फलस्वरूप सीधी बस सर्विस चालू नहीं की गई।

(2) यह मार्ग आज तक खोला नहीं गया अतः ऐसी दशा में आवेदनपत्र आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और न ही किसी व्यक्ति ने स्वतः ही आवेदनपत्र प्रस्तुत किया ?

(3) इस रुट को खोला जावेगा और इस रूट का सर्वेक्षण कराया जाकर मामला आगामी आर. टी. ए. उदयपुर की बैठक दिनांक 18-19-20-6-70 में अग्रिम आज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। तथा धारा 57 के अन्तर्गत परमिट जारी करने की कार्यवाही उसके पश्चात् की जा सकेगी। अभी आर. टी .ए. उदयपुर के समक्ष बेगूं से ऊंचा वाया संगोली, मांडलगढ़, मानपुरा, काछोला, अमरगढ़, पिपलूंद, जहाजपुर मार्ग पर आवेदन पत्र विचाराधीन हैं तथा इस पर आर. टी. ए. उदयपुर की आगामी बैठक दिनांक 18-19 व 20-6-70 में विचार किया जावेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या यह सम्भव है कि कुछ अधिकारियों को इस काम पर लगावें कि जो उन गांवों में स्वयं जाकर देखें और निर्णय कर सकें कि वहां बसें जानी चाहिये। वहां तो आजादी आने के 22 साल के बाद आज भी यातायात के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों को आप उधर गांव-गांव भेजकर कुछ करने के लिये दबावेंगे तभी कुछ होना सम्भव है, नहीं तो कुछ नहीं होने का है ?

श्री समरथलाल : जैसा निवेदन किया उस तरफ का सर्वेक्षण कराया जा रहा है और उस पर आगामी 18-19-20 जून की बैठक में विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री आर्य।

तहसील नोहर में कुओं से पानी

18. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मिमला, तहसील नोहर के गांव केदेया में कुआं चलाने का बिल फरजी बनाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के सरपंच ने इस फरजी भुगतान की शिकायत की है ? यदि हां, तो कब और उस शिकायत की जांच कब हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांव का कुआं गत वर्ष से ही खराब हालत में बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो फिर कुआं चलाने का पेमेन्ट किस आधार पर किया गया ?

(4) उक्त फरजी भुगतान कब हुआ व किसके नाम से कितने रुपयों का किया गया है ?

(5) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उपमन्त्री, (श्री गंगाराम) : (1) जी नहीं।

(श्री गंगाराम)

(2) जी हां। यह शिकायत दिनांक 14-4-70 को इस विभाग को प्राप्त हुई थी उस पर उप जिलाधीश नोहर द्वारा जांच करवाई गई है। जांच का अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं । कुआं चलाने का भुगतान सही रूप में सरपंच की मस्टरोल्स पर तसदीक होने के उपरान्त किया गया है।

(5) भुगतान दिनांक 28-3-70 को 529 रुपये और दिनांक 3-4-70 को 715) रुपये का श्री हेतराम वल्द श्यामाराम जाट साकिन हुईया को किया गया है।

(5) जांच करवाई गई है इसलिये दुबारा करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इस गांव में कुआं बिलकुल खराब है? एक साल से कोई कुआं नहीं चला? नीचे से रिपोर्ट आई है वह गलत है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने उत्तर में ही निवेदन कर दिया है । जांच एस. डी. ओ. से करवाई गई है और सही रूप से कुआं चलाया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जांच जो की गई है, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ही गलत की गई है। गलत रिपोर्ट दी गई है। वास्तव में कुआं उस गांव में चला ही नहीं है। मैं स्वयं देखकर आया हूं और वह कुआं चलने की हालत में एक साल से नहीं है। यह पेमेन्ट झूठा हुआ है। मैं इसको चैलेन्ज करता हूं और इसके अलावा जो 42 कुओं की सूची दी है उनका भी गलत पेमेन्ट किया गया है। कांडल में नहर का पानी पड़ता है और पेमेन्ट फरजी दिया गया। गगराना में फरजी पेमेन्ट किया गया। बाकारक में 24 रुपये रोजाना में कुआं देना बताया है यह बिलकुल ही फरजी पेमेन्ट दिया। सादरिया में 17) रुपये रोजाना में कुआं चलाने की बात कही है, उस गांव में कोई कुआं नहीं है। सिरपुर में 9) रुपया प्रति दिन में कुआं चलाने का लिखा है। वहां 9) रुपये में नहीं चल सकता। इसी तरह जलदरपुर में 15 रुपये रोज में कुआं लीज में चलना बताया है पर वहां भी कुआं नहीं चला। जोहड़ में पानी था। उसी तरह सारण गांव में कुआं नहीं है। 15 रुपया रोज से पेमेन्ट किया। इसी तरह से गड़बड़ी तहसीलदार ने की है। पाइयां गांव में पेमेन्ट किया है सरासर झूठा है। इन सबकी पुनः जांच की जावे। अगर इसमें गलती निकले तो मैं स्तीफा दे सकता हूं। यहां से अधिकारी भेजकर जांच कराई जावे।

श्री गंगाराम चौधरी : जहां तक दूसरे कुओं का प्रश्न है यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह फरजी काम करता है। यह तहसीलदार, इससे सम्बन्धित है।

श्री गंगाराम चौधरी : इस कुए के सम्बन्ध में जो शिकायत प्राप्त हुई थी उस पर जांच एस. डी. ओ. से कराई गई थी। इसकी जांच से यह पाया गया है कि स्वयम् सरपंच जिसने यह शिकायत की थी, उसके द्वारा यह हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जांच के लिए कौन अधिकारी गांव में गया था ?

श्री गंगाराम चौधरी : एस०डी०ओ० नोहर।

श्री दौलतराम सारण : एस०डी०ओ० नोहर कौनसी तारीख को गया था? क्या यह सही है कि उन्होंने तहसीलदार को जांच सौंपी थी?

श्री गंगाराम चौधरी : इस बात का पता नहीं है कि तहसीलदार को भेजा या नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि पेमेंट बिलकुल फर्जी दिया गया है। गांव में कोई कुआं नहीं चलाया गया है? ऐसी हालत नहीं है तो मैं, अध्यक्ष महोदय, से निवेदन करूंगा कि किसी ईमानदार आदमी को भेज कर इसकी जांच करायें। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री को कहता हूं कि इस प्रकार से अधिकारी गड़बड़ करते हैं। इस तरह लोगों का पैसा खा जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। जांच करायेंगे मन्त्री महोदय।

श्री रामचन्द्र आर्य : किससे जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री गंगाराम चौधरी : जिलाधीश ने एस०डी०ओ० को उपयुक्त समझा तो करा ली गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : अकाल सहायता में रुपये खा जाते हैं। मैंने प्रमाण दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार। याचिका समिति के 11 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : आ गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न है। श्री बाढ़दार।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में वन श्रमिकों की संख्या

138. **श्री गंगासहाय (कठूमर) :** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वन श्रमिकों की संख्या कितनी है और इनमें से परिगणित जातियों के श्रमिकों की संख्या कितनी है और परिगणित-जनजातियों की संख्या कितनी है?

(2) राजस्थान की 101 वन श्रमिक सहकारी समितियों में परिगणित जाति और रीपरिगणित जन-जातियों के श्रमिकों की समितियां कितनी हैं और अन्य लोगों की सहकारी समितियां कितनी हैं? उनकी सदस्य संख्या अलग अलग बतलाई जावे।

(3) इन 101 सहकारी समितियों में गैर श्रमिकों की सदस्य संख्या कितनी है और उनमें भी ठेकेदारों की सदस्य संख्या कितनी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी सूचना वन विभाग में उपलब्ध

(वन मन्त्री)

नहीं है। इस कारण परिगणित जातियों एवं परिगणित जन-जातियों के वन श्रमिकों की संख्या बताना संभव नहीं है।

(2) इस समय राजस्थान वन श्रमिक सहकारी समितियां 105 हैं।

	समितियां	सदस्य संख्या
परिगणित जाति की	13	2713
परिगणित जन-जाति की	77	19633
अन्य लोगों की	15	4716
	105	28062

(3) केवल 101 गैर श्रमिक सदस्य हैं जिनकी जिलेवार सूचना निम्नानुसार है:-

बांसवाड़ा	49
उदयपुर	50
जोधपुर	2

ठेकेदारों की सदस्य संख्या शून्य है।

राजस्थान में गेज रीडर के पद

139 श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में गेज रीडर तथा इनके समकक्ष अन्य कितने पद हैं ? गेज रीडर्स की सर्विस कन्डीशन्स क्या हैं ? इनका वेतनमान क्या है ? क्या अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह इन्हें भी पेन्शन व ग्रेच्यूटी दी जाती है ?

उत्तर

गेज रीडर के समकक्ष जमादार व दफ्तरी के पद हैं। इन पर भी राजस्थान सेवा नियम लागू होते हैं। वेतनमान 66-2-90 है। जी, हां इन्हें भी पेन्शन व ग्रेच्यूटी दी जाती है।

झालावाड़ भीमसागर बांध की योजना

140. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीमसागर बांध जिला झालावाड़ की योजना जो राज्य सरकार के विचाराधीन थी अब बनाने हेतु स्वीकार कर ली गई ? यदि हां, तो इस योजना में कितना रुपया खर्च होगा ? कितनी ऊंचाई तक बांध बनाया जायगा ?

(2) इस योजना में कितनी जमीन की सिंचाई होगी ? तथा कितने गांव डूब के कारण उठाये जावेंगे व कौन कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इस बांध का कार्य कब चालू होगा और पूरा कार्य कब होने का अनुमान है ? इस वर्ष इस कार्य हेतु कितना रुपया खर्च करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस योजना की अनुमानित लागत 73.45 लाख रुपया है, एवं इसका पूर्ण भराव लेवल समुद्र तल से 1,005 फुट पर होगा।

(2) इससे लगभग 15,000 एकड़ क्षेत्र के सिंचित होने का अनुमान है एवं 8 गांव इसके डूब क्षेत्र में आवेंगे, जो निम्न प्रकार हैं :—

(1) असनावर, (2) सांगोदिया खुर्द (3) सांगोदिया कलां (4) डिगर खेड़ी खुर्द

(सिंचाई मंत्री)

(5) डिगर खेड़ी कलां (6) ईश्वर पुरा

(7) कंछनी (8) कंसखी

(3) इस बांध का कार्य आरम्भ में 1954 में आरम्भ हुआ और सन् 1958 में जब यह ज्ञात हुआ कि इस बांध के पूरा बनाने से असनावर गांव डूब में आवेगा तब बांध-निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया गया। असनावर गांव के पुनर्वास की समस्या का हल निकलने पर बांध का पुनर्निर्माण कार्य चालू किया जा सकेगा एवं धन उपलब्धि के अनुसार चतुर्थ योजना-काल में कार्य पूर्ण होने की आशा है। वर्ष 70–71 में इस कार्य के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान है।

ग्राम सारंगाखेड़ा की बांध योजना

141. श्री रामप्रसाद वोहरा (झालरापाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सारंगाखेड़ा, पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड में बांध बनाने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है ?

(2) इस बांध से कितनी जमीन कहां कहां की सिंचित होगी और इस बांध पर लागत क्या लगेगी ?

(3) बांध का कार्य इस वर्ष चालू हो जावेगा और इस वर्ष कितना रुपया राज्य सरकार का खर्च करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस बांध से झालरापाटन तहसील की 1183 एकड़ भूमि सिंचित होगी। इस बांध की अनुमानित लागत 12.67 लाख रुपया है।

(3) राज्य सरकार की स्वीकृति होने पर ही बांध का कार्य चालू किया जा सकेगा। वर्ष 70–71 के बजट में इस कार्य के लिये 2.22 लाख रुपये का प्रावधान है।

काश्तकारों से पिलाई की वसूली

142. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिंचाई विभाग द्वारा कितनी पिलाई देने पर ही विभाग द्वारा पूरी पिलाई वसूल की जाती है ? अलग 2 फसलों को विभाग द्वारा कितनी कितनी पिलाई मिलनी चाहिये ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि विभाग पूरी पिलाई नहीं देते हुए भी काश्तकारों से पूरी पिलाई का शुल्क वसूल करता है ?

(3) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा पूरी पिलाई नहीं देने के कारण काश्तकारों को पिलाई का पूर्ण लाभ नहीं मिलता और उनको नहरों की टेल पर तो सदा ही पानी नहीं मिलता ?

(4) क्या सरकार पूरी पिलाई की व्यवस्था करने अथवा उस क्षेत्र को कमाण्ड से निकालने अथवा जितनी पिलाई दी जाय उसी आधार पर पिलाई शुल्क वसूल करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

1. गंग कैनाल, भाखरा कैनाल व घग्घर-राजस्थान, कैनाल, चम्बल एवं वे

(सिंचाई मंत्री)

सिंचाई कार्य 1-1-52 के पश्चात् बनाये गये हैं उनमें सिंचित क्षेत्र पर सिंचाई की दर (चने की जिन्स के अतिरिक्त) फसलवार हैं। एवं पुराने तालाबों से सिंचित क्षेत्र कुछ जिन्सों पर सिंचाई की दरें पाणवार है। विस्तृत सूचियां संलग्न हैं।

2. जी नहीं।

3 पिलाई, पानी की उपलब्धि पर निर्भर रहती है विभाग द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि प्रत्येक काश्तकार को पिलाई का पूर्ण लाभ मिल सके और नहरों की टेल तक पानी पहुंच सके।

4 राज्य सरकार उपलब्ध जल को सुचारु रूप से वितरित करने के लिए जागरूक है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

लूणी नदी के बांध

143. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लूणी नदी पर कहां कहां किस किस लागत के और किस किस क्षमता के बांध कब तक बनाये जाने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना से बाड़मेर जिले की जनता के समक्ष पानी का संकट खड़ा होगा ? यदि हां, तो इसके समाधान की क्या योजना है ?

उत्तर

1. सूची संलग्न है।

2. लूणी नदी पर बनाये गये व बनाये जा रहे बांधों की कुल क्षमता उन स्थानों तक नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से पानी की आवक से कम है अतः इस योजना से बाड़मेर जिले में पीने के पानी की समस्या के दुष्तर होने की संभावना नहीं है फिर भी स्थिति पर तकनीकी दृष्टि से पूर्ण विचार करने के लिए भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता श्री मोतीराम जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन दि० 1-4-70 को कर दिया गया है, जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

गंगानगर में नहरी क्षेत्र के मोगे

144. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि जिला गंगानगर में नहरी क्षेत्र में पानी देने के मोगे पूर्व स्थानों से बदल कर दूसरे स्थानों पर लगाये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो गत आम चुनाव के बाद उपरोक्त क्षेत्र में कौन कौन से मोगों को कब कब किन किन के आदेश से बदला गया और बदलने के क्या क्या कारण थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि कई मोगों को एक से अधिक बार भी बदला गया है ? यदि हां, तो उनका पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(सिचाई मंत्री)

1. जी हां ।

2. सूची संलग्न है ।

3. जी हां, केवल चक नं० 7 जे. डी. डब्ल्यू० का ही मोगा काश्तकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए, उनका झगड़ा निबटाने हेतु, प्रयोगात्मकरूप में अस्थाई तौर से बदला गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

मेज नदी पर पिक-अप वियर का कार्य

145. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई विभाग जिला बून्दी द्वारा मेज नदी, तहसील हिन्डोली में ग्राम बीचड़ी के पास एक पिकअप वियर का कार्य गत वर्ष शुरू किया गया था ?

(2) यदि हां, तो ठेका किसे और कितने में दिया था ? अब तक कार्य की प्रगति कितनी हुई है ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिस जमीन को पिलाने के लिये प्रस्तावित पिकअप वियर बनाया जा रहा है वह जमीन गुढ़ा बान्ध से सिंचित भी होती है ? यदि हां, तो यह किस किस को लाभान्वित करेगा ?

(4) क्या यह सत्य है कि प्रस्तावित बांध से अधिक लाभ छोटे काश्तकारों को खटावदा और डावेटा के पास बन जाने से होता ?

(5) क्या यह सत्य है कि गुढ़ा बांध की नहरों की टेल पर पर्याप्त पानी नहीं दिये जाने के कारण सदा ही फसलें पानी के अभाव मे बिगड़ जाती हैं ?

(6) क्या यह सत्य नहीं है कि सरपंच डावेटा ने एक प्रार्थना-पत्र डावेटा के पास एक पिकअप वियर बनाने के लिये मंत्री महोदय को दिया था ?

(7) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

(8) क्या खटावदा और डावेटा पर भी बीचड़ी के साथ ही पिकअप वियर बनाये जाने की योजना है ?

उत्तर

1. जी हां ।

2. कार्य का ठेका श्री अमीर अली ठेकेदार को संशोधित प्राक्कलन के अनुसार रुपये 34381) में दिया था जो कार्य पूर्ण हो चुका है ।

3. जी हां, इससे सर्व श्री चौधरी हरिसिंह, करतार सिंह, अमरसिंह, तेजसिंह, उजागर सिंह, गजसिंह, नाहर सिंह, छोटे सिंह, देवीसिंह, पृथ्वीसिंह, मदनलाल तामड़िया आदि कृषक लाभान्वित होंगे ।

4. जी नहीं, खटावदा और डावेटा के पास पिकअप वियर बनाने के पश्चात् जब तक लिफ्ट की योजना सरकार नहीं बनाती है, छोटे काश्तकारों को कोई लाभ नहीं होगा । इसके लिए (लिफ्ट स्कीम) सरकार को और लागत लगानी होगी । डावेटा एवं खटावदा से भी पिकअप वियर बनाने की इस प्रकार योजना सरकार की है ।

(सिंचाई मंत्री)

5. जी नहीं।

6. जी हां।

7. इसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। धनराशि उपलब्ध होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

8. जी हां। गुढ़ा बांध के नीचे मेज नदी पर वीचड़ी के अलावा दो और पिकअप वियर बनाने की योजना है (1) खटावदा एवं (2) डाबेटा गांव के पास।

ग्राम रामपुरा में बांध हेतु सर्वेक्षण

146. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नीम का थाना ग्राम रामपुरा जागीर की पहाड़ी के पीछे बांध बनाने हेतु सरकार ने क्या कोई सर्वेक्षण करवा कर योजना तैयार की है? यदि हां, तो कब और नहीं तो सर्वेक्षण के लिये कब तक कदम उठाये जायेंगे?

(2) यह सही है कि यह बांध केवल उत्तर दिशा की ओर लगभग दो फर्लांग की दीवार बनाने से ही बहुत सस्ते में तैयार हो जावेगा?

(3) क्या इस बांध के बन जाने से इस क्षेत्र में फैले हजारों बीघा टीलों में उपज होगी और इस क्षेत्र के कुओं में पानी की सतह काफी ऊंची हो जावेगी?

(4) क्या यह भी सही है कि इस बांध के बन जाने से वन सम्पदा में भी बढ़ोतरी होगी?

(5) भारी उपयोगिताओं की संभावनाओं के होते हुए भी सरकार शीघ्र ही इस बांध की योजना को जनता द्वारा काफी प्रयास करने पर भी क्योंकर हाथ में नहीं लेती?

(6) इस बांध का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाकर समाप्त करने का सरकार का इरादा है?

उत्तर

तहसील नीम का थाना, ग्राम रामपुरा जागीर की पहाड़ी के पीछे कोई बांध बनाने की योजना इस विभाग के विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य ने अब ध्यान आकर्षित किया है। फीजिबिलिटी सर्वे करवा ली जावेगी।

अकाल राहत कार्य के तहत निर्माण कार्य

147. श्री बाल सिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल को दृष्टिगत रखते हुए सन 1968–69 व 1969–70 में नए कुए निर्माण करने, अधूरे कुंए पूर्ण करने व कुओं को गहरा करने के लिए बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर में कितनी राशि स्वीकृत की गई और किस जिले में कितने कुओं का निर्माण किया गया? कृपया सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें? कृपया कुओं की सूची भी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पेय जल की गम्भीर समस्या को देखते हुए रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों में पेय जल के स्थाई हल के

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

लिए कुओं के निर्माण में अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है? अगर हां, तो आज तक इन जिलों में कम राशि खर्च करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

1—अकाल सहायता के पक्ष से वर्ष 68-69 व 1969-70 में जिन कुओं का नव निर्माण, मरम्मत या गहरे करवाने का कार्य किया गया उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। जिला जोधपुर की सूचना उपलब्ध नहीं है।

2—यह क्षेत्र में कुओं के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं तथा पानी की उपलब्धि, लागत आदि को देखते हुए जहां कुओं की मरम्मत, गहरे करवाने आदि की संभावना दिखाई देती है वहां यह काम करवाया जाता है। भूतल जल श्रोतों के उपयोग के लिए नल कूप बनवाये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

जोधपुर जिला अकाल सलाहकार समिति

148. **श्री बाल सिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिला अकाल सलाहकार समिति में पंचायत समिति के प्रधानों को सदस्य नहीं रखा गया है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं? अगर नहीं, तो गत वर्ष व इस वर्ष जिला अकाल सलाहकार समिति की कितनी मीटिंग हुई? उसमें कितने प्रधानों की उपस्थिति थी? मय तारीख सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले की अकाल सलाहकार समिति में जिला परिषद् व पंचायत समितियों की अकाल राहत कार्यों के खोलने की सलाह नहीं मानी जाती है और कार्य राजनैतिक आधार पर खोले जाते हैं? अगर नहीं तो गत वर्ष और इस वर्ष कुल कितने कार्य किये गये जिसमें कितने समिति की राय से और कितने सीधे राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में गतवर्ष व इस वर्ष कुल कितने तालाब अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत खोदे गये और एक एक तालाब पर कितनी राशि खर्च की गई? ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जोधपुर जिले में गत वर्ष व इस वर्ष कितनी सड़कें बनीं और इन सड़कों पर ग्रेवल डालने के ठेके किस आधार पर दिये गये और किस सड़क पर किस ठेकेदार का ठेका था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि ठेकेदारों ने शर्तों के अनुसार ग्रेवल का कार्य नहीं किया? अगर नहीं, तो किस सड़क पर कितने इंच ग्रेवल डाली? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) जोधपुर जिले में भू-संरक्षण कार्य गत वर्ष कितने गांवों में हुआ है और इस वर्ष कितने गांवों में चल रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें। और आज तक इस कार्य पर इस जिले में कितना खर्च हुआ?

(अकालराहत मंत्री)

1- जी हां, राज्यादेशानुसार पंचायत समितियों के प्रधान जिला राहत सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं। इस समिति की बैठकें निम्न तारीखों में हुई हैं:—

13-9-68, 21-11-68, 21-5-69, 8-10-69, 5-11-69, 17-12-69, 5-4-70।

(2) जी नहीं, जिला अकाल सलाहकार समिति में जिला परिषद् व पंचायत समितियों की सिफारिश तहसील राहत सलाहकार समिति के मार्फत प्राप्त होने पर अकाल कार्य खोलने की सलाह को मान्यता दी जाती है। सभी कार्य जिला अकाल राहत सलाहकार समिति के सहमति से ही प्रारम्भ किये जाते हैं।

3- जोधपुर जिले में सम्वत् 2025 में 197 तालाबों की खुदाई की गई है, जिन पर कुल व्यय 1695099-31 पै० हुआ। तालाब वार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

4- सार्वजनिक निर्माण विभाग से अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

5- सार्वजनिक निर्माण विभाग से अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

6- जोधपुर जिले में सं० 2025 में भू-संरक्षण के 14 कार्य करवाये गये थे। सूची निम्न प्रकार है:—

क्रम सं०	नाम ग्राम	किस्म कार्य
1.	भटिन्डा	सर्वोच्च रेखा बंदी
2.	मावी	,,
3.	डूंगर	,,
4.	सुरानी	,,
5.	गोलहिस्दाख	खड़ीन कार्य
6.	बेमला	,,
7.	पेबिया	,,
8.	आमला	,,
9.	दईजर	,,
10.	ढढू	,,
11.	उगरास	,,
12.	मलार	,,
13.	सारा	,,
14.	गोल बोड़	,,

इन का कुल व्यय 977291-94 पै० हुआ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)।

सरकार द्वारा शराब बन्दी की घोषणा

149. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने सन् 1972 तक पूर्ण शराबबंदी करने की घोषणा की है? यदि हां, तो किस योजना के आधार पर? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सन् 1969 में दो और शराब के कारखानों को चालू करने की स्वीकृति दी है? यदि हां, तो फिर अपनी पूर्व घोषित नीति के खिलाफ ऐसा क्यों किया गया?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने 1-4-72 से संपूर्ण राज्य में पूर्ण नशाबंदी लागू करने की घोषणा की थी। इस नीति में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस नीति को क्रियान्वित किये जाने हेतु यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त नीति को एक फण्ड प्रोग्राम द्वारा लागू किया जावे। प्रोग्राम यह था कि सारे राज्य में समस्त शराब की

Page No. 31

(आबकारी मन्त्री)

दुकानें वर्ष 1969–70 में सप्ताह में दो दिन, 1970–71 में सप्ताह में चार दिन व 1971–72 में सप्ताह में छः दिन बंद रखी जावें तथा 1-4-72 से राज्यभर में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी जावे।

सन् 1970-71 से उक्त नीति में परिवर्तन कर यह निश्चय किया गया है कि शनैः शनैः शुल्क दिवसों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर शनैः शनैः नशाबन्दी क्षेत्र को बढ़ाया जावे। इसके अनुसार सन् 70-71 में, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर जिले व उदयपुर जिले की तहसीलें, गोगुन्दा, घरियावद और सराड़ा में पूर्ण नशाबन्दी लागू की गई। इस नीति के अलावा मद्य-निषेध नीति में और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1969 में शराब का कारखाना बनाने के लिये कोई नया लाइसेन्स नहीं दिया गया। वर्ष 1970 में ब्रेवरी बनाने का एक नया लाइसेन्स दिया गया है। राज्य में नये कारखानों की स्थापना से मद्य-निषेध नीति का कोई संबंध नहीं है इन कारखानों द्वारा उत्पादित स्प्रिट का प्रयोग, औद्योगिक संस्थाओं, अस्पतालों, कारखानों तथा शिक्षण संस्थाओं के लिये भी किया जा सकता है तथा डिस्टलरी द्वारा उत्पादित पदार्थ का निर्यात राज्य हित में किया जा सकेगा जिससे नशाबन्दी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन द्वारा कर्मचारियों का चयन

150. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग द्वारा सन् 1966 से अब तक किन किन कर्मचारियों के चयन के लिये कब कब कहां-कहां पर इन्टरव्यू लिया गया और उस इन्टरव्यू का कब कब रिजल्ट निकाला गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त अवधि में कभी इन्टरव्यू की तारीख तय कर देने और प्राथियों को हाजिर होने की इत्तिला देने के बाद भी इन्टरव्यू कैंसिल किया? यदि हां, तो कहां व, कब किस प्रकार से इत्तिला की गई?

(3) इन्टरव्यू लेने के बाद लम्बे समय तक परिणाम घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। साक्षात्कार कभी कहीं का कैंसिल नहीं किया गया। दो एक स्थानों पर अनिवार्य परिस्थिति वश, या अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आजाने से मार्ग अवरुद्ध हो जाने और निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण अथवा शारीरिक अस्वस्थता के कारण निर्धारित तिथि पर यथा समय पहुंचने में विलंब अवश्य हुआ। फलस्वरूप साक्षात्कार स्थगित करने पड़े जिसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। पुनः तिथि निर्धारित कर सूचना प्रार्थियों को पत्रों द्वारा दी गई।

(3) साक्षात्कार के बाद अधिकांशतः परिणाम समय पर ही घोषित किये गये हैं। किसी विज्ञापन का परिणाम निकालने में विलम्ब होने का कारण, जिला परिषदों से

(पंचायत मन्त्री)

रिक्त स्थानों की अन्तिम व पूर्ण सूचना समय पर प्राप्त न होना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

सरकार द्वारा हिस्सों की खरीद

151. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार ने कोई राशि हिस्सों की खरीद में लगा रखी है ? यदि हां, तो कितने कितने मूल्य के कौन कौन से हिस्से कब कब से खरीद कर रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त हिस्सों की राशि पर प्रतिवर्ष कितना कितना नफा या नुकसान किस किस वर्ष में रहा तथा वह लगाई गई राशि का कितना कितना प्रतिशत है ?

(3) क्या सरकार ने इस संबंध में कभी यह भी विचार किया है कि उपरोक्त राशि जो हिस्सों में लगा रखी है उसका वाजिब मुनाफा सरकार को नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो कब और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये ?

(4) उक्त हिस्सों में रुपये लगाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था और उसमें कहां तक सफलता मिली ?

(5) उक्त हिस्सों की खरीद में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(6) पूर्व अनुभव के आधार पर सरकार की इस योजना के संबंध में अब क्या नीति है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा हिस्सों की खरीद में 1-4-70 तक लगाई गई राशि इस प्रकार है :—

(अ) राजकीय व निजी संस्थान

(क) भूतपूर्व रियासत द्वारा किया गया विनियोजन जो राजस्थान बनने के बाद राज्य सरकार को हस्तान्तरित हुआ (संलग्न तालिका) रु० 1,16,61,640/-

(ख) राजस्थान बनने के बाद किया गया विनियोजन संलग्न तालिका (ख) रु० 5,52,55,636

योग:-(अ) रु० 6,69,17,273/-

(ब) सरकारी समितियों-बैंक, मिल्स व संघ आदि में विनियोजन संलग्न तालिका (ग) रु० 6,22,11,560/-

कुल योग (अ+ब) रु० 12,91,28,833/-

(1) उपरोक्त संस्थाओं में प्रतिवर्ष लेखे तैयार किये जाने के बाद साधारण सभा में अनुमति ली जाकर जब किसी वर्ष में लाभ होता है तो हिस्सों पर कुछ लाभांश घोषित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में जिन संस्थाओं ने लाभांश घोषित किया गया है उसकी सूचना संलग्न तालिकाओं में इस प्रकार बतलाई गई है :—

(वित्त मंत्री)

2. (1) राजस्थान बनने से पूर्व सरकारी व निजी संस्थानों में किए गए विनियोजन पर (संलग्न तालिका) (घ)।

(2) राजस्थान बनने के बाद सरकारी व निजी संस्थाओं में किये गये विनियोजन पर (संलग्न तालिका) (ङ)।

(3) सहकारी समितियों। बैंक, संघ व मिल्स आदि में किये गये विनियोजन पर लाभांश व डिबेन्चर्स पर ब्याज के बारे में संलग्न तालिका (च)।

3. विनियोजन करते समय सरकार केवल मुनाफा कमाने का उद्देश्य ही नहीं रखती है अपितु उसका उद्देश्य प्रदेश सहकारिता में बढ़ावा देना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना, प्रादेशिक जनता को अधिक रोजगार दिलवाना आदि भी होता है। अतः वाजिबी मुनाफे का प्रश्न ही नहीं उठता। जो उद्योग स्थापित किये जाते हैं उनमें आवश्यकतानुसार राजकीय संचालक नियुक्त किये जाते हैं जो समय-समय पर संचालक मण्डल की बैठकों में उपस्थित होकर राज्य सरकार द्वारा किये गये विनियोजन के सुरक्षा के हितों व लाभ हानि आदि के बारे में जो समय-समय पर स्थिति रहती है उससे प्रशासनिक विभाग व वित्त विभाग को अवगत कराते रहते हैं।

4. इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त प्रश्न 3 के साथ दिया जा चुका है।

5. इसका सीधा उत्तर प्रशासनिक विभागों (उद्योग-सहकारिता विभाग आदि) से सम्बन्धित है। उन विभागों द्वारा निश्चित की गई योजनाओं के अनुसार, वित्त विभाग (लेखा एवं विनियोजन) द्वारा जांच की जाने पर विनियोजन की स्वीकृति दी जाती है।

6. अब राज्य सरकार द्वारा हिस्सों में नया विनियोजन कम्पनियों में तो लगभग बंद सा ही कर रखा है। सिर्फ सहकारी संस्थाओं व पब्लिकक्षेत्र की संस्थाओं में ही किया जाना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

अध्यापकों की वेतन वृद्धि

102. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 2 (बी) (21) एफ. डी. आर. 66 दिनांक 13-7-1966 के अनुसार तारीख 1-9-1961 को ट्रेण्ड बी. एस. टी. सी. होते ही अध्यापक की तनख्वाह 95/- रुपये से दो अग्रिम इन्क्रीमेंट मिलने से रुपये 105/—माहवारी हो जावेगी ?

(2) क्या तारीख 1-9-1961 से पहिले जो ट्रेन्ड हैं रिवाइज्ड पे-स्केल 1961 में उसको तारीख 1-9-1961 से 95/- रुपये माहवारी वेतन से स्थिरीकरण किया जाता है, वह रुपये 100/- पर एक साल पश्चात् वेतन वृद्धि न लेकर दूसरे वर्ष वेतन वृद्धि लेता है ?

(3) क्या अध्यापक जो एक ही साथ नियुक्त किये हुये हैं एवं एक अध्यापक ने तारीख 1-9-1961 से पहिले बी. एस. टी.

(श्री रामसिंह कुड़ी)

सी. का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वह भी रुपये 95/- प्रति माह पावेगा तथा रिवाइज्ड पे-स्केल 1961 से जिसने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वह भी रुपये 95/- प्रतिमाह वेतन पावेगा एवं तारीख 13-7-1966 के आदेश से तृतीय वेतन श्रृंखला स्केल नम्बर 8 अध्यापकों के लिये निम्न नमूने से असमानता होगी:—

तारीख 31-8-1961 को वेतन रुपये 62+40=102/-

ट्रेन्ड तारीख 1-9-1961 से पूर्व	तारीख 1-9-1961 के बाद ट्रेन्ड आन 14-9-1961
ता० 1-9-1961=95/-	तारीख 1-9-1961=95/-
	दो इन्क्रीमेन्ट रुपये 105/-
तारीख 1-9-1962=100/-	तारीख 1-9-62=रु. 110/-
तारीख 1-9-1963=100/-	तारीख 1-9-63=रु. 115/-
तारीख 1-9-1964=105/-	तारीख 1-9-64=रु. 120/-
तारीख 1-9-1965=110/-	तारीख 1-9-65=रु. 130/-
तारीख 1-9-1966=115/-	तारीख 1-9-66=रु. 135/-
तारीख 1-9-1967=120/-	तारीख 1-9-67=रु. 140/-

इस प्रकार इन दोनों प्रकार के अध्यापकों को तारीख 1-9-1967 को प्रतिमाह रुपये 20/- का अन्तर रहता है ? क्या यह सही है ? यदि हां, तो इस भेदभाव को मिटाने हेतु क्या किया गया है क्या-क्या किया जावेगा ?

उत्तर

(1) वित्त विभाग के आदेश सं० एफ. (बी) (21) एफ० डी./आर./66 दिनांक 13-7-1966 के अनुसार 1-9-61 के पश्चात बी. एस. टी. सी. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को जो अप्रशिक्षित मैट्रिक थे परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से दो अग्रिम वृद्धियां देने का निर्णय लिया गया यदि कोई अध्यापक 1-9-61 को 95/- वेतन पा रहा था तथा उसने बाद में बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसे दो अग्रिम वेतन वृद्धि दे कर 105/- वेतन दिया गया है।

(2) यह सही है कि जो व्यक्ति 1-9-61 से पहले का प्रशिक्षित है और जिसका वेतन 95/-माहवारी स्थिर कर लिया गया है उसे 100/- के स्तर पर पहुंचने पर एक साल पश्चात वेतन वृद्धि दी गई है। इस अध्यापक के प्रकरण में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 1-9-61 से पूर्व जो महंगाई दी जाती थी उसके समायोजन को ध्यान में रख कर ही रिवाइज्ड पे-स्केल में 100/- की रोक का प्रावधान किया गया है। यदि यह अध्यापक आर. पी. एस. में वेतन पाता तो इसका कुल वेतन वेतन वृद्धि मिलने पर भी एकसा ही रहता। निम्न उदाहरण से स्थिति स्पष्ट हो जावेगी- रिवाइज पे 50-4-70-5-80 60-4-80-

(शिक्षा मंत्री)

5-130 70-4-90-5-100-70-4-90-5-140।

100+10=110 70+40=110 68+108-70+40=110 75+35-110 72+38=110 74+36=110

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि यदि ये व्यक्ति पुराने स्केल में रहते तो महंगाई के समायोजन के कारण इनके वेतन में कोई अन्तर नहीं आता। अतः इन्हें 100/- के स्टेज पर दूसरे साल तक उचित ही रोका गया है।

(3) इस प्रश्न में अध्यापक का वेतन 62+40=102 31-8-61 को बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि ये अध्यापक 50-4-70-5-80 की वेतन शृंखला में थे। अप्रशिक्षण मैट्रिक ग्रेड के बी. एस. टी. सं० प्रशिक्षिण अध्यापकों को 1-9-61 से 2 अग्रिम वृद्धियां दी गई हैं और जो अध्यापक बाद में प्रशिक्षिण प्राप्त करते हैं उन्हें भी प्रशिक्षण की परीक्षा फल घोषित होने की तिथि से दो अग्रिम वृद्धियां दी गई हैं यदि दोनों अध्यापकों के उपर्युक्त लाभ देकर प्रश्न कर्त्ता की सारणी को निर्मित किया जावे तो वह निम्न प्रकार होगी:—

	प्रशिक्षित 1-9-61	प्रशिक्षित 14-9-61
31-8-61 को वेतन	62+40=102	62+40=102
1-9-61 को	95+10=105	95+10=105
पूर्व प्रशिक्षण की दो वृद्धियां 8 (ख) (2)	105+10=115	—
14-9-61	—	105+10=115
1-9-62	110+10=120	110+10=120

उपर्युक्त संक्षिप्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पूर्व प्रशिक्षित अध्यापक को किसी प्रकार की हानि नहीं है। जिन व्यक्तियों को उच्च आरम्भिक वेतन या तो अग्रिम वृद्धियां दी गई हैं उन्हें 100/- के स्तर पर द्वितीय वार्षिक तक के लिये नहीं रोका गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत असमानता को दूर करना ही था।

राजऋषि कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा उठाया गया चिकित्सा भत्ता

153. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज ऋषि कॉलिज, अलवर के कर्मचारियों (स्टाफ) ने गत 3 वर्षों के मैडिकल बिलों से कितना पैसा उठाया है ? वर्ष व नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज-ऋषि कॉलेज के कर्मचारियों ने सन् 1967-68, 1968-69 व 1969-70 में क्रमश: 7,972.24, 7,583.62 व 18,210.79 पैसा मैडिकल बिलों से उठाया है। वर्ष व नामवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

बेरोजगार डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त इंजिनियरों की सहकारी समिति

154. श्री रूपसिंह (सरदारशहर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने बेरोजगार डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त इंजीनियरों की सहकारी समितियां बनाई हैं? यदि हां, तो कितनी कब और वह क्या 2 कार्य कर रही हैं?

(2) क्या राजस्थान सरकार पंजाब सरकार के अनुसार बेरोजगार इंजीनियरों को 250/- रु० प्रति माह अदा करेगी और बैंक से बगैर ब्याज दिये ही 5 से 10 हजार तक का ऋण लघु-उद्योग के लिये दिलवायेगी?

(3) क्या राज्य सरकार उन घोषणाओं पर अमल करेगी जो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में करी थी? यदि हां, तो उन घोषणाओं पर अब तक अमल न करने का क्या कारण है?

(स्थगित किया गया)

जे० बी० हायर सैकेन्डरी स्कूल, (लाडनूं)

155. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि जे० बी० हायर सैकेन्डरी स्कूल लाडनूं को दी जा रही सरकारी सहायता बन्द की गई थी? यदि हां, तो क्यों और कब?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्कूल को सहायता बन्द करके पुनः भुगतान भी किया गया? यदि हां, तो कब और क्यों?

(3) उक्त स्कूल में क्या क्या अनियमितताएं पाई गई जिसके कारण सरकार ने सहायता बन्द की और उक्त अनियमितताओं का क्या क्या निराकरण कब कब कैसे कैसे किया गया जिसके कारण सहायता वापिस चालू की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 1970 में। संचालक मंडल का विधिवत गठन न होने के कारण।

(2) जी हां। मार्च, 1970 में।

(3) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने सम्पूर्ण मामले को गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् सिफारिश की है कि व्यवस्थापन समिति के विधान में आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही पूर्ण होने तक इस वर्ष 69-70 का अनुदान जो संस्था को देय है, यथावत जारी कर दिया जावें ताकि संस्था के कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का भुगतान समय पर हो जावे। आगामी वर्ष से व्यवस्थापन समिति एवं उसके विधान को नियमानुसार करने का नोटिस दे दिया जावे। यदि संस्था आगामी वर्ष तक ऐसा नहीं करती है तो संस्था के अनुदान का भुगतान आगे रोक दिया जावे।

जयपुर शहर में विभाग की नाकारा स्कूल बसें

156. श्री दुर्गालाल बांददार (हवा महल, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में विभाग की नाकारा स्कूल बसें कितनी हैं व कब से नाकारा हैं?

(श्री दुर्गालाल वाड़दार)

(2) क्या बसों का नाकारा सामान राजस्थान निर्माण के बाद जो महाराजा कन्या विद्यालय के गोदाम में एवं अन्य विद्यालयों में पड़ा है नीलाम नहीं हो रहा है और दिन 2 छिजत हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि नाकारा बसों के पार्टस बिना संभाल के दरबार हायर सैकेण्डरी स्कूल में पड़े रहने के कारण निकाल कर कुछ लोगों ने चोरी से बेचे ?

(4) सरकारी सम्पति की इस प्रकार हानि किन किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उप शिक्षा मंत्रीजी की जानकारी में जब यह बात आई तो उन्होंने विभाग के निदेशक को इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं तो क्यों नहीं हुई ?

(6) क्या सरकार इन नाकारों बसों और पुराने नाकारा सामान को नीलाम कर इस धन से नई बस खरीद कर जयपुर के ही आवश्यकता वाले स्कूल को देने या बसों की सुरक्षा के लिए गैरेज बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में तीन स्कूल बसें नाकारा हैं तथा ये बसें सन् 1958 से नाकारा है।

(2) क्योंकि यह बसें बिल्कुल खोखला हालत में हैं तथा यह कोई काम में आने योग्य नहीं हैं। महाराजा कन्या विद्यालय के गोदाम में पुराना सामान बिल्कुल खराब है और काम में आने योग्य नहीं है। नीलाम करने हेतु कार्यवाही जारी है।

(3) यह सही है कि नाकारा बस दरबार हायर सैकेण्डरी स्कूल के प्रांगण में पड़ी हुई हैं, परन्तु ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि बसों के सामान को किसी ने चोरी करके बेचा हो।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ये तीनों बसें बिल्कुल खुली हालत में पड़ी हैं तथा उनमें कोई भी सामान काम में आने योग्य नहीं है।

(4) इस प्रकार सरकारी सामान की कोई हानि नहीं हुई है।

(5) जी हां, यह सही है। इस सामान को नीलाम करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(6) सामान के नीलाम होने पर जब रकम प्राप्त होगी तो रकम के अनुसार ही उस रकम के उपयोग की कार्यवाही के बारे में विचार किया जावेगा।

जैसलमेर जिले में समाज कल्याण विभाग का दफ्तर

157. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले से समाज कल्याण आफिस हटाने का क्या कारण हैं ?

(श्री बालसिंह सोढा)

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने स्वर्गीय माणिक्येहलालजी वर्मा को सीमा सुरक्षा की दृष्टि से सीमा पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को शिक्षित व विकसित करने के लिए एक योजना बनाने के लिए कहा था और योजना बना दी गई थी और उसके अनुसार कई छात्रावास खोलने की योजना थी और जिला अधिकारी कार्यालय भी जैसलमेर में रखने की व्यवस्था थी ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार सीमा क्षेत्र के लोगों के हित में उपरोक्त योजना लागू नहीं करना चाहती ? अगर चाहती है तो क्या जिला अधिकारी का कार्यालय वापिस खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं ? अगर हां, तो कुल कितने छात्रावास किस किस जगह हैं और किस छात्रावास में कतने छात्रों की क्षमता है ? छात्रावास वार छात्रों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) छात्रावास में प्रवेश किस आधार पर होता है और किसके द्वारा प्रवेश की स्वीकृति दी जाती है ? एक छात्र पर कितना खर्च प्रतिमाह किया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग ने एक भी छात्रावास के भवन निर्माण के लिए आज तक राशि स्वीकृत नहीं की है ? अगर हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर स्थित जो सरकारी भवन छात्रावास के हैं उन भवनों की आज तक एक बार भी मरम्मत नहीं हुई है और भवन सब जगह से गिरने लग गया है और अगर इस वर्ष मरम्मत नहीं हुई तो वर्षा में मकान गिरने का अंदेशा है जिससे छात्रों को हानि हो सकती है ?

(7) क्या राज्य सरकार रामदेवरा में छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

नागौर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास

158. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से कौन कौन से छात्रावास कब कब से चलाये जा रहे हैं और उनमें कितने कितने लड़के हैं तथा उनका वार्षिक व्यय क्या क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त छात्रावासों के लिए यदि किराये के मकान लिये हुए हों तो उक्त मकानों में क्या क्या सुविधायें उपलब्ध हैं और उनका कितना रुपया मासिक किराया किन किन को दिया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त मकानों में कितने कितने कमरे किस 2 साइज के हैं तथा मकान कितने मंजिल के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

गांधी शताब्दी वर्ष में भंगी कष्ट निवारक कार्यक्रम पर खर्च

159. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांधी शताब्दी वर्ष में भंगी कष्ट निवारण कार्यक्रम पर कितना खर्चा किन किन कामों में किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सच है कि सरकार का लक्ष्य है कि इस साल से ही कोई भंगी राज्य में सर पर मैला नहीं उठायेगा ? यदि हां, तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्या योजना है ?

उत्तर

(1) गांधी शताब्दी वर्ष में भंगी कष्ट निवारण योजना पर 45.80 लाख रुपये खर्च किया गया है। जिसकी विगत संलग्न है।

(2) जी नहीं। सारे राज्य में इस प्रथा को समाप्त करने में समय लगेगा।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(11-5-70)

ओला वृष्टि से फसलों को क्षति

10. श्री हरिवल्लभ शर्मा : (सवाई माधोपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गई शरद ऋतु में राजस्थान के कई जिलों में भयंकर ओलावृष्टि हुई ? यदि हां, तो इस से किस किस जिले के कितने कितने गांवों में फसल को कितनी कितनी हानि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ओलावृष्टि से प्रभावित सब क्षेत्रों के जिलाधीशों ने राज्य सरकार को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो सवाई माधोपुर जिले के इस रिपोर्ट के अनुसार किस किस तहसील के किस किस गांव में कितनी कितनी हानि होना प्रगट किया गया है ? तहसील वाइज प्रभावित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस ओलावृष्टि से कई गांवो के काश्तकारों की फसल पूर्णतः नष्ट हो चुकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन प्रभावित लोगों को अब तक क्या राहत दी है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रभावित काश्तकारों को बिना सूद ही तकावी ऋण दिये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधीशों ने अब तक किस किस तहसील में किस किस गांव में कितनी कितनी तकावी वितरित की है ? और यदि नहीं, तो क्यों ? वितरित तकावी की राशि की गांव वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को तकावी का जो माप घोषित किया था उसके अनुसार जिलाधीशों को अभीष्ट राशि अलाट नहीं की ? यदि हां, तो जिलेवार समुचित राशि काश्तकारों को शीघ्र तकावी मिल सके इस हेतु कब तक आवन्टन करदी जावेगी ?

(श्री हरीबल्लभ शर्मा)

(6) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिला की तहसील सवाई माधोपुर के प्रभावित काश्तकारों ने चारे के इन्तजाम की मांग जिलाधीश को की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके लिये क्या निर्णय लिया है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(11-5-70)

तहसील सोजत के अकाल राहत कार्यों में अनियमिततायें

12. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिला कम्युनिस्ट पार्टी के मन्त्री ने दिनांक 21-2-70 को एक ज्ञापन जिलाधीश, पाली को सोजत तहसील में अकाल राहत कार्यों में स्थानीय तहसीलदार द्वारा की जा रही अनियमितता आदि के संबंध में प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि इस ज्ञापन में तहसीलदार के सम्बन्ध में यह शिकायत की थी कि वे 20) रु० या उससे अधिक चुकारे पर 10 पैसा प्रति मजदूर काटते थे ? क्या यह भी सही है कि उक्त 10 पैसे के रसीदी टिकिट न लगाकर वह पैसा तहसीलदार ने अलग रख छोड़ा था जो कि शिकायत करने पर जमा कराये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ज्ञापन में एक शिकायत यह है कि ग्राम बुल्टेला तहसील सोजत के तालाब का काम 15-5-69 से 30-5-69 तक चला जिसमें मांगीलाल मालवीय और हनुमान सिंह राजपूत ग्राम बुटाला मेट थे और उन दोनों गांवों के मजदूरों की मजदूरी नहीं चुकाई गई ? क्या इस शिकायत की जांच कराई गई ? इसका क्या नतीजा निकला ?

(4) क्या इस ज्ञापन में दी गई सभी शिकायतों की जांच करली गई है ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जिलाधीश कार्यालय में कम्युनिस्ट पार्टी के मन्त्री द्वारा दिनांक 21-2-70 को दिया गया कोई ज्ञापन उपलब्ध नहीं है। अतः ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(2) तहसीलदार सोजत के सम्बन्ध में 20) रु० या उससे अधिक चुकारे पर 10 पैसे प्रति मजदूर काटना सही है। यह पैसा तहसीलदार ने मस्टर रोल्स पर रेवेन्यू टिकट लगाने के लिये काटा था। किन्तु इस प्रश्न पर उन्होंने जिलाधीश कार्यालय से स्पष्टीकरण चाहा था कि फेमिन के मस्टर रोल्स का चुकारा करने के लिये रेवेन्यू टिकट की आवश्यकता होगी। या नहीं। जिलाधीश कार्यालय द्वारा यह स्पष्टीकरण आ जाने पर कि फेमिन लेबर को 20) रु० या उससे अधिक चुकारे पर 10 पैसों का रेवेन्यू टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार ने इस धनराशि को जमा करादी।

(अकाल राहत मंत्री)

(3) ग्राम बूटेलान के तालाब के काम में श्री मांगीलाल मालवीय और हनुमानसिंह मेटों की गैंगों को मजदूरी का चुकारा इसलिये नहीं हो पाया कि चुकारे के समय इन दोनों गैंगों के अधिकांश मजदूर उपलब्ध नहीं थे। अब तहसीलदार से यह जानकारी चाही गई है कि उन्हें इस प्रकार के अनपेड मस्टर रोलों के लिये कितने प्रावधान की आवश्यकता है, ताकि चुकारे की कार्यवाही की जा सके।

(4) ज्ञापन उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अतः जांच करवायी जाना सम्भव नहीं है।

(स्थगित प्रश्न)

(12-5-1970)

एक ही जमीन की दो व्यक्तियों के नाम नीलामी

26. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत कांवट में दिनांक 23-1-64 को श्री रामनिवास पुजारी को ग्राम कांवट में 18×4 कुल 72 वर्ग गज का पट्टा नीलामी सबसे ऊंची बोली होने पर जारी करके रजिस्ट्री कराई गई थी ?

(2) क्या ग्राम पंचायत कांवट ने 30-3-68 को इसी जमीन का पट्टा अन्य दीगर व्यक्तियों को पुनः जारी कर दिया ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को किस दर पर जारी किया गया ?

(3) क्या तहसीलदार श्री माधोपुर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रार्थना पर उक्त जमीन को पी. डब्ल्यू. डी. की सीमा में मानते हुये कोई कार्यवाही नीलामी न करने हेतु स्थगन आदेश पंचायत कांवट के विरुद्ध जारी किया गया था ?

(4) क्या सरपंच को उक्त स्थगन आदेश संख्या 37 दिनांक 6-3-68 को प्राप्त हो जाने के बाद भी 30-3-68 को पट्टा जारी कर दिया ? यह स्थगन आदेश सरपंच को किस तारीख को प्राप्त हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जमीन खसरा नम्बर 1369 कृषि भूमि है एवं इसका खातेदार काश्तकार भोवाराम है ? क्या पंचायत ने इन्हें कोई नोटिस दिया या इनकी भूमि अवाप्ति करके मुआवजा अदा किया ? यदि नहीं, तो पंचायत ने इनकी जमीन का पट्टा किस अधिकार से दिया है ?

(6) सरकार सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। 72 वर्ग गज जमीन 3.25 पैसे प्रति गज की दर से विक्रय की थी।

(2) जी हां। इस जमीन में से श्रीमती दाखांदेवी श्री बुद्ध नारायण एवं श्री सत्यनारायण को क्रमशः 12 वर्ग गज के हिसाब से कुल 36 वर्ग गज भूमि पट्टे 15.24 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिए गए।

(3) जी हां।

(4) जी हां। पंचायत में यह स्थगन प्रस्ताव दिनांक 7-3-68 को प्राप्त हुआ।

(पंचायत मंत्री)

(5) जी हां। पंचायत ने भूमि विक्रय करने बावत आपत्ति नोटिस जारी किये थे लेकिन कोई आपत्ति पेश नहीं हुई पंचायत ने इस भूमि को आबादी भूमि मानकर निलामी की कार्यवाही कर पट्टा दिया है।

(6) पंचायत के उक्त निर्णय से प्रभावित व्यक्ति को नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी। अब इस सम्बन्धी पत्रावली सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट नीमका थाना के यहां विचाराधीन है। वहां से निर्णय होने पर सरपंच अथवा पंचायत के विरुद्ध आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जावेगी।

(11.50 म. पू.)

याचिका समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (सभापति, याचिका समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के 11 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधेयक का पुर: स्थापन

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय, रजिस्ट्रीकरण विधेयक।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 1970 को पुरः स्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यानआकर्षण प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन यह है कि जयपुर नगर के अन्दर पेयजल की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद ले लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केन्द्रीय सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के कई पिछड़े हुए जिलों में विकास कार्यों पर विशेष धनराशि खर्च करने के हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और सभी राज्य सरकारों से इस प्रकार के जिलों की जानकारी मंगवाई थी। राजस्थान को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने यह सूचना केन्द्रीय सरकार को भिजवादी। परन्तु राज्य सरकार की इस उदासीनता एवं लापरवाही के कारण राजस्थान को ज्यादा पिछड़े हुए किसी भी जिले को कोई सहायता केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं होगी। यह एक अत्यन्त सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है अतः इस ओर मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया जाना परम आवश्यक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर सर, व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, एडजार्नमेंट मोशन पहले आएगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बाद में आएगा।

श्री अध्यक्ष: मैं बाद में ले लूंगा। इसको सुविधा की दृष्टि से ले रहा हूं। इसके बाद मैं एडजोर्नमेंट मोशन ले रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय........

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, रामानन्द जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस स्थिति में कार्यवाही स्थगित करनी होगी। यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ले लेते हैं तो सदन चालू हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही, विधेयक का उपस्थापन किया गया तभी से आरम्भ हो गई है। विधायी कार्य लिया तभी से आरम्भ की गई। आरम्भ रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 के अन्तर्गत पिछड़े हुए जिलों के बारे में राज्य सरकार द्वारा नामों की जानकारी नहीं दिये जाने की ओर मुख्यमन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री महोदय इस संबंध में वक्तव्य देंगे, इसके पश्चात् ही मैं कुछ प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा। लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, जिस समय केन्द्रीय स्तर पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया और उस पर विचार किया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कुल धनराशि कितनी रखी जाये। यह विचार किया गया था। जिस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रस्तुत किया है। हमें समाचार पत्रों से जानकारी मिली है। 175 करोड़ की धनराशि स्पेशल असिस्टेन्ट्स के बारे में उन जिलों और क्षेत्रों को दी जायेगी। जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड हैं, उन सभी राज्यों को इस बात के लिए सूचित किया गया था कि अपने अपने राज्यों में जो पिछड़े हुए जिले हैं...

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : पहले मैं अपना स्टेटमेंट दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार ने जो जानकारी चाही, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन इतना है कि क्या वह जानकारी राज्य सरकार ने अपनी ओर से भेजी? भेजी तो कब भेजी? नहीं भेजी तो क्यों नहीं भेजी? इस स्थिति का मुख्यमन्त्री महोदय स्पष्टीकरण करेंगे। उसके बाद इस सम्बन्ध में मैं दो चार प्रश्न उठेंगे तो मैं पूछूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्यमंत्री): दिनांक 14 मई, 1970 को प्रधान मंत्री द्वारा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो सूची राज्य सभा में पेश की गई, उसमें राजस्थान में कोई भी क्षेत्र नहीं बताया गया है। इसका कारण यह था कि राज्य सरकार द्वारा कुछ जिलों को पिछड़े घोषित करने की नीति एवं उनके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अलग से विशेष

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रावधान करने की नीति को ठीक नहीं समझा गया।

(1) राजस्थान जैसे राज्य में जहां अधिकतर जिले पिछड़े हुए हैं वहां केवल कुछ जिलों को या तहसीलों को पिछड़ा घोषित करना ठीक नहीं समझा गया है। क्योंकि उसी के समकक्ष अन्य जिले चयन से रह जाते। इसके विपरीत यदि ज्यादा जिलों का चयन किया जाता तो राज्य सरकार के पास उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों से कोई ऐसे कार्य नहीं किये जा सकते थे, जिनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता।

(2) आर्थिक मापदण्डों के आधार पर ही जिलों का चयन करना भी ठीक नहीं समझा गया क्योंकि प्रत्येक वर्ष वह स्थिति बदल सकती है जबकि एकबार चयन कर लेने के बाद कम से कम 5 वर्षों तक तो विशेष कार्यक्रम उन्हीं जिलों में ही चलाने पड़ते ताकि कोई प्रभाव दृष्टिगोचर होता। उपरोक्त कारणों से वर्तमान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाते समय यह तय किया गया कि प्रत्येक जिले में शिक्षा, चिकित्सा, पीने के पानी की सुविधा सड़कें आदि मदों में राज्य के औसत स्तर से जिन जिलों में कमी हो उन को दूर किया जाये। जिससे प्रत्येक क्षेत्र की कमी को दूर किया जा सकेगा। तथा क्षेत्रीय असन्तुलन भी कम हो सकेगा।

प्रधान मन्त्री के वक्तव्य से शायद माननीय सदस्यों की यह धारणा बनी हो कि पिछड़े क्षेत्रों का चयन नहीं करने से कुछ केन्द्रीय सहायता का नुकसान हुआ है परन्तु यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि पिछड़े हुए क्षेत्रों का द्रुत गति से विकास करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का ही है और इस कार्य के लिए केन्द्र से कोई अलग से विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है। इन क्षेत्रों पर राज्य सरकारें जितनी राशि व्यय करना चाहें वे अपनी ही योजना में से खर्च कर सकती है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का चयन नहीं करने से किसी भी प्रकार की केन्द्रीय सहायता का नुकसान नहीं हुआ है। और न ही राज्य की योजना पर कुप्रभाव पड़ा है।

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 175 करोड़ की स्पेशल असिस्टेन्स का जो ख्याल हो रहा है, वह बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनकी फाइनेंसियल स्थिति के कारण यह प्रोविजन किया है, जहां पर ओवर ड्राफ्ट चला आ रहा है। अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान का जो उपयुक्त हिस्सा है, वह मिलेगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

(12 मध्यान्ह)

इसलिए 75 करोड़ का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि अलग अलग राज्य इस प्रकार के आइडेन्ट करके अपने स्वयं के अन्दर प्रावधान करें, उससे वह जवाब सम्बन्धित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो चौथी योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने इस संबंध में जानकारी चाही थी और केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार की जानकारी मांगी थी और देश के सभी राज्यों ने सिवाय राजस्थान और नागालेण्ड को छोड़कर यह जानकारी केन्द्र को भेजी है तो केवल हम जानना चाहते हैं कि जब देश के अन्य राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी भेजी थी, तो राजस्थान को यह जानकारी भेजने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में क्या आपत्ति थी ? इससे हमको क्या नुकसान होने वाला था ? बाकी जब अन्य राज्यों ने स्पेशल कन्सीडरेशन के लिये अपने अपने राज्य के पिछड़े जिलों, ताल्लुकों व तहसीलों का विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजा तो राजस्थान ने इस प्रकार के पिछड़े हुए इलाके के सम्बन्ध में क्यों नहीं जानकारी भेजी ? मुख्यमन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा था राजस्थान में सभी इलाका पिछड़ा हुआ है किसी न किसी दृष्टि से तो जबसे सदन में चर्चा आई है कि जालोर और सवाई-माधोपुर 26 जिलों के मुकाबले आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो इन दो जिलों के लिए विशेष रूप से जानकारी भेज सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, कोई जानकारी नहीं भेजी। कई तहसीलें आदिवासी क्षेत्रों की तहसीलें हैं, उनके बारे में जानकारी भेज सकते थे। इस सम्बन्ध में राज्य सभा के अन्दर प्रश्न नं० 381 आया था। वहां प्रश्न पूछा गया था, उसमें विशेष मुद्दा था :

क्या प्रधान मन्त्री बताने की कृपा करेंगी :

.. क्या योजना आयोग ने सभी राज्यों में ऐसे क्षेत्रों का, जिनमें आर्थिक असंतुलन है कोई सर्वेक्षण किया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? प्रत्येक राज्य में किन किन क्षेत्रों में आर्थिक असंतुलन है ? चौथी योजना में इन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ? क्या चौथी योजना में इस क्षेत्र को कोई प्राथमिकता दी गई है ? यह प्रश्न 14 मई 1970 को पूछा गया। इसके उत्तर में जो जानकारी राज्य सभा में प्रधान मन्त्री ने दी, वह है, राज्य सरकारों द्वारा जिन जिलों खंडों में पिछड़ापन निर्धारित किया गया है, उनके बारे में राज्यसभा में दिनांक 14 मई को पूछा गया तारांकित प्रश्न का विवरण। उसमें आंध्र प्रदेश ने 14 जिलों में 107 विकास खंडों के बारे में जानकारी दी है। आसाम ने 4 पर्वतीय जिलों की, बिहार ने 4 जिलों, गुजरात में 14 जिलों व 56 ताल्लुकों····

श्री अध्यक्ष : आदि आदि।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हरियाणा में दो जिलों को छोड़कर, इस तरह जम्मू कश्मीर में है मध्यप्रदेश में कुछ हैं, महाराष्ट्र में 6 जिले, मैसोर में एक जिला, पंजाब में होशियारपुर का पूरा जिला। राजस्थान के बारे में लिखा है कि पिछड़ेपन के रूप में किसी क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया है। तो जब सारे देश के राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी भेजी गई है, तो राजस्थान भी एक ऐसा प्रदेश है। जब पूछा गया है आपसे कि आपके राज्य में कौनसा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आर्थिक असंतुलन ज्यादा है और जो पिछड़ा हुआ है, ऐसे जिलों के लिए जो जानकारी मांगी थी, उस सम्बन्ध में राजस्थान में कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

तो मुख्यमन्त्री और स्पष्ट करेंगे कि आखिर यह जानकारी····

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करके दी जा सकती थी। यह स्पेशल असिस्टेन्स वाली बात थी।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अगर यह जानकारी भेज देते तो निश्चित रूप से चौथी योजना में अधिक जानकारी मिलती। योजना आयोग इकोनामिक इम्बैलेन्स के कारण अधिक धनराशि देता और चौथी योजना के अन्तर्गत यदि राजस्थान की पिक्चर सही तरीके से इकोनामिक बैलेंस के सिलसिले में आल इंडिया में सही ढंग से पेंट की जाती तो राजस्थान को ज्यादा धन राशि मिलती।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण आने दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारी राज्य सरकार भारत सरकार पर पूरा दबाव नहीं डाल पाई जिसके कारण आज राजस्थान की दो करोड़ जनता को जितनी मदद मिलती····

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह नहीं मिल पायी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्थिति बहुत स्पष्ट थी जो मैंने कर दी कि एक जिला या दो जिलों के लिए जैसे कुछ राज्यों ने लिखा है, हमने लिख दिया है कि अधिकांश हिस्सा हमारा है। सब लिख देने के बाद भी जो प्लान के लिए सेंट्रल एसिस्टेन्स का फार्मूला तय था उसके अनुसार ही, जिसके अन्दर हमारा ओवरआल बैकवर्डनैस स्टेट का है, वह क्रैटेरिया था, उसको कन्सीडर कर दिया था और उसके आधार पर सेंट्रल एसिस्टेन्स दिया गया है जो कई राज्यों के मुकाबले में प्रति व्यक्ति आल इन्डिया एसिस्टेन्स से ज्यादा है। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला था और अगर हमारे यहां अच्छे वर्ष हों, नार्मल ईयर हो तो वहां की इकोनोमिक सिचुएशन डिफरेन्ट हो जाती है वरना डिफरेन्ट होगी। भारत सरकार से कोई विशेष अनुदान नहीं मिलने वाला है। माननीय सदस्य ने असल में उस रोज बात खड़ी की थी कि 175 करोड़ रुपए रखे हुए है उसमें नाम नहीं भेजा इसलिये हमारा नाम उसमें नहीं आया। इसलिये इस उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि 175 करोड़ से इसका कोई लेना देना नहीं था। अपनी मूल राशि में से प्रावधान की बात थी इसलिये एक रुपये का भी सेन्ट्रल असिस्टेन्स और प्लान में परिवर्तन नहीं होने वाला है।

जो प्रधान मन्त्री ने अभी बजट के उत्तर में स्टेटमेंट दिया है रूरल प्रोग्राम के बारे में राजस्थान सरकार बराबर परश्यू कर रही है और उम्मीद करके चलते हैं कि भारत के अलग अलग प्रदेश इस कार्यक्रम में लिये जावेंगे तो राजस्थान को भी अधिक दिया जावेगा ऐसा हम मानकर चलते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या मुख्यमन्त्री जी····

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह :।

श्री भैरोंसिह : जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया तो क्या उस प्रकार का उत्तर भारत सरकार की ओर से भेज दिया गया है, कौनसा जिला पिछड़ा हुआ है और कौनसा नहीं है, जैसा आपने उत्तर दिया उसके अनुरूप भी आपने भारत सरकार की चिट्ठी आयी तो उसका उत्तर दिया था ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या मुख्य मंत्रीजी का यह मानना है कि 175 करोड़ में से वित्तीय संकट को दूर करने के लिये

(श्री भैरोंसिंह)

सहायता दी जावेगी या जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार की सहायता देने का प्रावधान है ?

श्री दौलतराम सारण : इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है नहीं लिखने से, तो क्या भारत सरकार ने इस प्रकार की सूचना चाही थी और क्या मन्तव्य था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मन्तव्य केवल इसलिये ही नहीं है। जनरल पिक्चर उनके पास रहे और वक्तन फवक्तन ऐसी स्कीम्स निकाले, तमाम तरह की पिक्चर कलेक्ट करने के लिये यह एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि जो 175 करोड़ रुपया रखा गया है वह बैकवर्डनेस के लिए फाइनेन्स करने के लिए होगा, जो जानकारी अब तक दी गयी है उसने अनुसार प्लान असिस्टेन्स के लिए एडीशनल नहीं दिया जायगा। प्लान के लिये नहीं है। प्रदेशों की कुछ डिफिकल्टीज हैं उनको मीट करने के लिए वह रखा गया है। एन. डी. सी. का जो जनरल फार्मूला बना है वह उसके विरुद्ध भी है अगर प्लान असिस्टेन्स के लिए हो तो। यह राशि रिसोर्सेज की साइड में सप्लीमेन्ट करने के लिए है न कि प्लान को सप्लीमेन्ट करने के लिये है। जो इन्फोर्मेशन नहीं भेजी है या भेजने की आवश्यकता नहीं है उसका उस पर तत्काल कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : आपके द्वारा यह जवाब तो बाद में हाऊस में घड़ कर रखा गया है। 176 करोड़ रुपया वित्तीय संकट और फाइनेन्शियल डिफिशियेन्सी को मीट करने के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाय, विशेष समस्या जो प्रदेशों में है उनको मीट करने लिये 175 करोड़ में से राशि देने की बात है, क्या इसी सीमा तक है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसको स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : नहीं किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो असिस्टेन्स रखा गया है और किसी एक्टीविटी के लिये नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुख्य मन्त्रीजी को यह बता देना चाहता हूं कि आप यह फरमाते हैं कि माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है, माननीय सदस्य ने नहीं, माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न पूछिये। भाषण नहीं होगा।

श्री विजयसिंह : मुख्य मंत्रीजी यह सोच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं प्रश्न पूछिये।

श्री विजयसिंह : कहीं ऐसा न हो कि उदयपुर का काम ठप्प हो जाय और अतिक्रमण हो जाय ••

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

Page No. 48

(श्री अध्यक्ष)

श्री विजयसिंह : मुख्य मंत्रीजी को स्पष्ट कर देना चाहिये था। केवल झूठ को छिपाने के लिए····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर्याप्त हो चुके। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान सरकार···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। यह जरूरी नहीं है कि सब माननीय सदस्य प्रश्न पूछें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा स्थगन प्रस्ताव है और उसको प्राथमिकता दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : वह आयगा। मैंने यह कहा है कि वह अस्वीकार किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं किया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब आ जाता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्रीजी का उत्तर···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कुठाराघात होगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है। कुठाराघात नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने अस्वीकार नहीं किया है। यह व्यवस्था दी है। जानकारी दी है।

श्री अध्यक्ष : अब अस्वीकार कर रहा हूं।

मैं माननीय सदस्य को सूचित करता हूं···

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पहले पहल यह लिखा था कि···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डूंगरपुर बांसवाड़ा····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या कारण है, राजस्थान सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

फिर भी सहूलियत के तौर पर और प्रश्न स्पष्टीकरण के तौर पर, भाषण नहीं, प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि प्रधान

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मंत्री ने राज्य सभा में यह उत्तर दिया और उसकी आपको जानकारी होगी कि कोटा जिला के शाहबाद और डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला के बहुत पिछड़े हुए होने के कारण यह रिपोर्ट दी थी कि केन्द्रीय सरकार ने उस आधार पर लगातार सहायता दी है इसके बारे में जानकारी देने में क्या दिक्कत हो सकती है ? पिछड़ी हुई तहसीलों के नाम नहीं गिना सकते और जिन पिछड़े हुए जिलों की तहसीलों को अधिक सहायता दी जावेगी तो उनकी स्थिति क्या होगी ? आपके पास···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । प्रश्न आ गया है, मुख्य मंत्रीजी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नाम नहीं भेजने पर भी, जो पिछड़े हुए जिलों को सहायता प्लान के अन्तर्गत, जो असिस्टेन्स दी जा रही है वह दी जा रही है इसलिये नाम नहीं भेजने का प्रश्न नहीं उठता है ।

महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): इस हद तक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण दिया है और नाम नहीं लिखने की बात है उससे मेरी सहानुभूति है । मैं समझता हूं, राजस्थान के हित में राज्य सरकार ने एक्शन लिया है वह ही उपयुक्त है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले स्टेटमेन्ट ले लिया जाय या पहले स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जाय ?

एक माननीय सदस्य : पहले व्यवस्था दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : वह भी बैठें 2 ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई है ।

(1) राजवी श्री रूपसिंह व श्री चुन्नी लाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर शहर की चाहरदीवारी के बाहर टूटी हुई सड़कों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है इस विषय का सीधा सम्बन्ध बीकानेर की नगरपालिका से है ।

(2) श्री श्रवणलाल व श्री महेन्द्रसिंह सदस्य विधान सभा ने हिन्डौन शहर में पीने का पानी कुओं एवं तालाबों में सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(3) राजवी श्री रूपसिंह, श्री रामचन्द्र आर्य, व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर शहर के सूरसागर तालाब की गन्दगी से मक्खी, मच्छर व कीड़े हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इस विषय में गत सत्र में भी विचार व्यक्त किये जा चुके हैं ।

(4) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री रामसिंह कूड़ी, श्री मेघराज पंवार व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने दी है जिसमें राजस्थान केनाल पर लगे मजदूरों को पूरा अनाज नहीं दिये जाने, मजदूरी समय पर न दिये जाने आदि का उल्लेख किया गया है ।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इस स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त कुछ पेन्डिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है जिनका उल्लेख नीचे दिया जाता है :—

(1) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान के पिछड़े हुए जिलों के बारे में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को जानकारी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। आज की कार्य सूची में इसी विषय का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखा गया है।

(2) श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री विजयसिंह मकराना व श्री ओमदत्त भाटी, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान नहर के द्वितीय चरण की खुदाई का निर्णय न लिये जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें यह बताया गया है कि राजस्थान नहर के प्रथम चरण की खुदाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह कार्य सन् 1973-74 तक पूरा होगा। द्वितीय चरण की प्रारम्भिक जांच हो गई है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। राजस्थान नहर के समानान्तर रामगढ़ तक सड़क बनाने की स्वीकृति अभी नहीं मिली है।

(3) श्री बालसिंह सोढ़ा व श्री पृथ्वीसिंह, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान भू-जल मण्डल की अकर्मण्यता से जैसलमेर जिले में फसल नष्ट हो जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें बताया गया है कि जैसलमेर जिले में 34 नलकूप भू-जल मण्डल द्वारा संचालित किये जा रहे हैं जिनमें से 25 इस समय काम कर रहे हैं तथा शेष 9 में कुछ खराबी होने से काम में नहीं आ रहे हैं तथा उन्हें ठीक कराने की कोशिश की जा रही है।

(4) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने सरकारी कार्यालयों एवं न्यायालयों का समय 15 अप्रेल से 15 जुलाई तक प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक रखे जाने का, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि राजस्थान के बनने के समय कार्यालयों में ग्रीष्मकाल में सुबह का समय होता था किन्तु बाद में सन् 1961 से सम्पूर्ण राजस्थान में कार्यालय का समय ग्रीष्म काल में भी सुबह का होना बन्द कर दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय का समय भी ग्रीष्मकाल में गत वर्ष तक सुबह का होता था किन्तु कुछ वकीलों द्वारा यह आपत्ति उठाने से कि अन्य कार्यपालिकाओं के सम्बन्धित अदालतों का समय सुबह का न होने से उनको बहुत परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों एवं न्यायालयों का समय समान करने के लिए विधान सभा में चर्चा हुई थी। अतः समानता की दृष्टि से उच्च न्यायालय का समय सुबह का रखा गया।

(5) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान साहित्य अकादमी

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा मनमानी व वैधानिक कार्यों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार का जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें बताया गया है कि अध्यक्ष साहित्य अकादमी संगम, उदयपुर द्वारा प्रेषित संशोधित विधान को जब तक जनरल कौंसिल के 3, 4 सदस्यों द्वारा पारित न कर दिया जाये तब तक राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना सम्भव नहीं है। जहां तक सरस्वती सभा और संचालिका सभा की बैठक बिना बुलाये बजट सरकार को पेश होने के लिये भेजने का प्रावधान है, अकादमी का कोई बजट राज्य सरकार के पास, पास करने हेतु नहीं भेजा जाता बल्कि राज्य सरकार इसके लिये अकादमी के खर्च को देखते हुए एक मुश्त धनराशि का आय व्ययक में प्रावधान कर देती है।

(6) श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य, विधान सभा ने विद्यार्थियों के लिये प्रवेश प्राप्त करते समय आवेदन पत्रों के साथ प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि केवल उच्च कक्षाओं में प्रवेश लेने के कारण विभिन्न विषयों तथा पाठ्य स्तर गतिविधियों में चुनाव एवं शुल्क मुक्ति आदि की दृष्टि से छात्र हित में ही यह फार्म भराये जाते हैं ताकि विद्यालयों में विद्यार्थियों से सम्बन्धित नवीन जानकारी उपलब्ध हो सके। सामान्यत: एक ही विद्यालय में नीची कक्षाओं में अध्ययन कर ऊपर की कक्षाओं में शिक्षण जारी रखने वाले विशेषतर छोटी कक्षाओं में बार बार फार्म भरवाने की आवश्यकता नहीं होती है।

(7) श्री भैरोंसिंह व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने बोर्डर रोड़ प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सड़क निर्माण में ठेकेदारों को फर्जी बिलों का भुगतान करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि सीमा सड़कों पर ठेकों पर दिया हुआ कार्य ठेकों की शर्तों और नियमों के अनुसार ही कराये गये हैं और कराये जा रहे हैं। कहीं-कहीं मौकों के अनुसार सड़कों के काम आने वाले माल के लिये क्वारीज को बदला गया है। सीमावर्तीय सड़कें निर्माण कार्यों को जल्दी करने की दृष्टि से ठेकेदारों को मशीनरी निर्धारित दरों पर किराये पर दी गई। हर मशीन के साथ लॉग बुक होती है और किराया उसी के आधार पर वसूल किया जाता है और किया गया है। जहां मशीनों की टूट फूट होती है मरम्मत करवाई जाती है।

ऊपर दिये गये कारणों के अतिरिक्त ये मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं है। अत: मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अलावा जो और स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं:-

(1) जोधपुर नगर में एक व्यक्ति के मकान में बम दुर्घटना के संबंध में श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हैं। इन्हीं माननीय सदस्य ने दो अन्य स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनायें दी हैं ?

(अ) उदयपुर सीमेण्ट फैक्ट्री के मजदूर यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये

(श्री अध्यक्ष)

जा रहे आन्दोलन को पुलिस द्वारा कुचलने के सम्बन्ध में।

(ब) अजमेर हायर सेकेण्डरी बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर मशीन लगाने से 150-200 कर्मचारी बेरोजगार हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री रूपसिंह, श्री लक्ष्मण तानीवाल, श्री विजयसिंह, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण, श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने कृषि विभाग के संचालक द्वारा 33 कृषि प्रसार अधिकारियों एवं कृषि सहायकों की सेवायें 1 जून, 1970 से समाप्त करने के नोटिस जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा। एक और स्थगन प्रस्ताव आज माननीय श्री भैरोंसिंहजी द्वारा 11 बज कर 35 मिनट पर दिया गया है। स्थगन प्रस्ताव में कहा है कि जयपुर नगर में पीने के पानी का संकट बहुत गंभीर हो गया है, जनता पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रही है और इस क्षेत्र की महिलायें विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन कर रही हैं। आदि आदि। चूंकि प्रस्ताव आज ही दिया गया है और उसमें यह प्रार्थना भी की गई है कि समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए नियमों के अन्दर रिलेक्सेशन करके इस प्रस्ताव पर आज विचार करें। चूंकि यह प्रस्ताव आज ही प्रस्तुत किया गया है इसलिए मैंने इस पर आदेश जानकारी प्राप्त करने के दिए हैं। चूंकि माननीय सदस्य ने नियमों में रिलेक्सेशन करके आज ही इसे लिए जाने के संबंध में इसमें निवेदन किया गया है, इसलिए यदि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई उत्तर देने की स्थिति में हो, पीने के पानी की समस्या के प्रश्न पर जयपुर नगर की महिलायें खाली हांड़े लेकर बाहर प्रदर्शन करने के लिए आज आई, इस सम्बन्ध में जानकारी माननीय सदस्य को आज ही देनी हो तो आप उत्तर दे सकते हैं, उत्तर आज ही दिया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना 11 तारीख को दी थी, वह है, बैराठ नगर में गांधीजी के हत्यारे गोपाल गौड़से का अभिनन्दन किया। वहां से एक पत्र निकलता है, जिसमें नाथूराम गौड़से को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष महोदय, 16 तारीख को मैंने यह स्थगन प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष: 16 तारीख को जानकारी के लिए भेज दिया। 16 को छुट्टी हो गई, 17 को छुट्टी हो गई, 18 को छुट्टी रही। आज कोई जानकारी आई तो मैं देखूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसका व्यवस्था में संकेत नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष: इस पर व्यवस्था नहीं दी है इसलिए। आपका स्थगन प्रस्ताव मिला है, उस पर जानकारी प्राप्त की जा

(श्री अध्यक्ष)

रही है। मैं संकेत कर देता हूं कि जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल सदन स्थगित हो रहा है और यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : जितने प्रश्न होंगे उन सब पर मैं व्यवस्था कल दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर सरकार की ओर से आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं आज ही उत्तर प्राप्त कर लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका सरकार की ओर से उत्तर कल दे दिया जायगा, सरकार से इस पर मैं आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर नहीं। उत्तर आज प्राप्त करूंगा, कल व्यवस्था दे दूंगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय ··

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न इस प्रकार का है····

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया, कल व्यवस्था दे दूंगा जो भी होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय.

श्री शंकरलाल (जैतारण) : रामानन्द जी का स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के हत्यारे गोड़से····

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल पर लगे मजदूरों की हालत भयंकर रूप से खराब है। उनको अनाज नहीं मिलता है···

श्री शंकरलाल :···का अभिनन्दन किया जाय। मैं समझता हूं इस स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाया जाय और इस पर चर्चा की जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह मौके पर जाकर देखें। वहां के लोगों की हालत खराब है, उनको अनाज पूरा नहीं मिलता है....

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनको पीने का पानी नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : उनकी दवाई दारू के लिए वहां इंतजाम नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में आपको स्टेटमेंट दिलाना चाहिए और माननीय मुख्यमन्त्रीजी को मौके पर जाकर देखना चाहिए कि क्या हालत है। आज वहां लोग कोड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया गया है, स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्य।

Page No. 54

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके लिए वहां कोई अनाज की व्यवस्था नहीं है। फिर किस काम के लिए उनको वहां पर रख रखा है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पीने के पानी के सम्बन्ध में उठाया ...

श्री रामचन्द्र आर्य : मजदूरों से संबंधित स्थगन प्रस्ताव दिया उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया। आपको चाहिए तो यह था कि इसकी जानकारी लेते, सरकार से स्टेटमेंट कराते ताकि मजदूरों को कुछ राहत मिलती। लेकिन आपके हाथ में कागज आते ही आप कह देते हैं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान साहित्य अकादमी के संबन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर आपने स्थिति के बारे में कुछ बातें कहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अकादमी के सम्बन्ध में, जब से यह नये अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, सारे अखबारों में आप पढ़ते होंगे, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जो प्रेजेन्ट अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा वगैरह किसी किस्म की मीटिंग बुलाये बहुत महत्व पूर्ण निर्णय लिये जा रहे हैं, जिसका सभी साहित्यकार तीव्र विरोध कर रहे हैं। उनकी जो मैनेजिंग बॉडी हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का इस प्रश्न पर आग्रह है कि आप थोड़ा स्पष्टीकरण और चाहते हैं, तो माननीय शिक्षा मन्त्री संक्षेप में स्पष्टीकरण कर दें। उस पर कोई प्रश्न नहीं होंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ...

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, साहित्य अकादमी के संबंध में....

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे बड़ा अफसोस है कि मजदूरों के सम्बन्ध में जो इस प्रकार की सदन के सामने जानकारी देते हैं, उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से...

श्री अध्यक्ष : भई, क्या किया जाय ?

श्री रामचन्द्र आर्य : स्टेटमेंट नहीं दिलाते हैं। मजदूरों के सामने बड़ी कठिनाई हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री जो कुछ फर्मा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन उन लोगों को राहत देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं होती है...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यस।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान साहित्य अकादमी के सम्बन्ध में जो सवाल रामानन्द जी ने अभी पूछा, उन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी यहां प्रस्तुत की गई है। मूलतः वर्तमान अध्यक्ष अकादमी के संविधान में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, उस

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

सम्बन्ध में उनको लिखा है कि सरकार अपने तौर पर कोई भी परिवर्तन करने के लिये विचार नहीं करती जब तक की सरस्वती सभा, जो जनरल कौंसिल है, उनकी थ्री फोर्थ मेजोरिटी से संविधान में संशोधन प्रस्तावित करके राज्य सरकार के पास न भेजा जाय, तब तक राज्य सरकार उस पर विचार नहीं कर सकती एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह पूछी है कि अध्यक्ष द्वारा बिना मिटिंग बुलाये, बिना सरस्वती सभा की मीटिंग बुलाये महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में उनको लिखा है कि एक बार जल्दी से जल्दी सरस्वती सभा की मीटिंग बुलाई जाय और जो कुछ आपने इस बीच कार्यवाही की है, एक्शन लिये हैं – उनको रेटीफाई करायें। यह उनको लिखा गया है। आज के हालात में अकादमी के सम्बन्ध में सरकार का अपना रुख होता है, उससे ज्यादा कड़ा रुख अपनाना हम ठीक नहीं समझते क्योंकि अगर हम ऐसी संस्थाओं को कोई सुझाव दें, और उसके बाद में उसके अनुसार कोई कार्यवाही नहीं हो तो कार्यवाही करना उचित होता है। अब एक बार सुझाव दिया है, मैं सोचता हूं, शीघ्र ही सरस्वती सभा की मीटिंग बुला कर जो इस बीच कार्यवाही की है, एक्शन लिये हैं उनको रेटीफाई करेंगे, और संविधान में परिवर्तन चाहते हैं जो नियम हैं संविधान में परिवर्तन करने के लिए उन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे तो उस पर सरकार द्वारा विचार किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मीटिंग बुलाने के लिए कोई समय निर्धारित किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : समय निर्धारित नहीं किया है, कहा है कि शीघ्र ही सरस्वती सभा की मीटिंग बुलाई जाय।

श्री दुर्गालाल बादृदार : अध्यक्ष महोदय•••

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी।

श्री दुर्गालाल बादृदार : मैं एक जानकारी चाहूंगा••••

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं, मैंने स्टेटमेंट नहीं दिलवाया है। मैंने उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था।

श्री दुर्गालाल बादृदार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जानकारी राजस्थान सरकार ने दी है•••

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दुर्गालाल बादृदार : मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे बच्चे इतना कष्ट उठा रहे हैं, उनके साथ में सरकार को थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए। आप देखेंगे, शिक्षा मन्त्री जी, राज्य सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया है, उसमें अध्यक्ष महोदय को गुमराह करने की कोशिश की गई है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! गुमराह नहीं हो रहा हूं।

श्री दुर्गालाल बादृदार : बिल्कुल गलत उत्तर दे दिया है। वरना अगर छोटे छोटे बच्चों से सहानुभूति होती•••

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री महोदया।

श्री दुर्गालाल बादूदार : दो बातें मैं जानना चाहता हूं। एक तो राज्य सरकार से यह बात पूछ ली जाय कि क्या यह आवश्यक समझती है कि एडमीशन जैसी बात के लिए इतनी सख्त फार्म जैसी चीज में होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट के सन्तोष के लिए गजेटेड आफिसर का प्रमाण-पत्र लाने के लिए कहा जाता है। एडमीशन के फार्म पर पांच पांच छः छः प्रपत्र लगा रखे हैं। इससे छोटे छोटे बच्चों को परेशानी होती है…

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री महोदय।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि शाम को चार बजे वक्तव्य सरकार दे देगी, अगर शाम को नहीं तो कल दे देगी।

श्री अध्यक्ष : चार बजे ले लिया जाय।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 14 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, जैसलमेर में फील्ड फार्यारिंग क्षेत्र की स्थापना से कुछ गांवों की भूमि अवाप्त कर प्रशासन के द्वारा नोटिश देकर लोगों को गांव से निकालने की कोशिश की जा रही है…

श्री अध्यक्ष : जानकारी में है। जानकारी में है। माननीय सदस्य।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह मामला महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये जानकारी के लिये भेजा गया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अकाल का समय है…

श्री अध्यक्ष : आज मत बोलिये उस पर। माननीय सदस्य थोड़ी बहुत नियमों की रुकावट होती है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : फेमिन एरिया में जो डाक्टर नियुक्त थे…

श्री अध्यक्ष : जानकारी में है। आर्डर प्लीज। मुझ से आप पूछ लेते तो मैं आपको बता देता।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो स्थान प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार से जानकारी चाही है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने एक साथ एक आर्डर के द्वारा लगभग 33 व्यक्ति जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफिसर थे, एक्सटेंशन असिस्टेन्ट थे…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इसका व्यवस्था में जिक्र भी कर दिया। इतने अधिकारियों को फिर निकाला गया है इसलिए जानकारी प्राप्त की है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : निवेदन कर रहा हूं…

श्री अध्यक्ष : अब निवेदन कहां होता है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन है कि कल इसके बारे में…

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे दूंगा कल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंत्री महोदय इसके सम्बन्ध में स्टेटमेंट दे दें।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दूंगा। व्यवस्था ऐसी हुई तो स्टेटमेंट हो जायगा।

श्री विजयसिंह (मकराना): इस मामले में मेरा निवेदन है कि मेट्रीक्यूलेट को ले रहे हैं और एम. एस. सी. को निकाल रहे हैं। यह भी बता दें।

श्री अध्यक्ष : इसमें जानकारी प्राप्त की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब लाभ क्या है, अगर कल स्टेटमेंट नहीं देंगे तो।

श्री अध्यक्ष : मैं कल व्यवस्था दे दूंगा। व्यवस्था हुई तो कल स्टेटमेंट हो जायगा। कृषि मंत्री।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने उस पर व्यवस्था देते हुए बताया कि सरकार से आपको उत्तर प्राप्त हुआ है। उस उत्तर को आपने सदन के सामने रख दिया। मैं आपसे एक व्यवस्था के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, यदि सरकार माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में उत्तर गलत दे दे तो आप की इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था हो सकती है ? मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मैंने स्थगन प्रस्ताव में जिन मुद्दों को उठाया था, उन मुद्दों के बारे में राज्य सरकार ने यह नहीं कहा कि मेरे मुद्दे गलत हैं। यह नहीं कहा कि हमने इस प्रश्न से सम्बन्धित कागजात देख लिये हैं और देखने के बाद में राज्य सरकार को सन्तोष हो गया है कि जो आरोप लगाये जा रहे हैं उनमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से क्योंकि यह प्रश्न छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, बोर्डर रोड्स प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मेरी जानकारी के अनुसार 26 करोड़ का व्यय हमने किया है और भारत सरकार ने यह सारा का सारा पैसा हमें दिया है, राजस्थान सरकार केवल वर्किंग एजेंसी थी। वर्किंग एजेंसी थी इस नाते मैं सदन का ध्यान आकर्षित करने की नीयत से और सरकार सक्रिय हो जाय—इस दृष्टि से स्थगन प्रस्ताव मूव किया था। अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे समय दें तो सदन की सूचना के लिए मैं निश्चित रूप से अभी यह बता सकता हूं कि इस 26 करोड़ रुपये के व्यय में से, जो इस बोर्डर रोड्स प्रोजेक्ट में हुआ है, तीन करोड़ रुपये का खुल्लम खुल्ला घोटाला हुआ है, उसके सम्बन्ध में यदि यह सदन आंकड़े लेना चाहे, प्रमाण लेना चाहे तो मैं सारे प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। मैं उदाहरण के नाते एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो मशीनरी राज्य सरकार ने ठेकेदार को किराये पर दी थी, उस मशीनरी का झूंठा बिल बना कर उस बिल का भुगतान कर दिया गया, और सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि यह सारी मशीनरी की, जैसा आपने स्वयं ने फर्माया और बताया कि लॉग बुक मेन्टेन की जानी चाहिए, लेकिन लॉग बुक अव्वल तो मेन्टेन नहीं की गई है और जब अकाउन्ट्स चैक करने का सवाल आया, फाइनल पेमेंन्ट करने का सवाल आया तो लॉग बुक गुम गई, 80 पर्सेन्ट मशीनरी की लॉग बुक गुमी हुई बताई और जब से एडजोर्नमेंट मोशन दिया है तब से लेकर आज तक फर्जी मस्टर रोल बनाने की कोशिश की कार्यवाही

(श्री भैरोंसिंह)

की जा रही है और जो बिलों का भुगतान गलत हुआ है उसको मीट आउट करने की कोशिश की जा रही है (समय-समाप्ति सूचक घंटी) एक मिनिट मैं निवेदन कर देता हूं। समय-समय पर कान्ट्रेक्ट हुआ था उस समय कान्ट्रेक्ट में राज्य सरकार ने ठेकेदार को बता दिया था अमुक सड़क के लिए अमुक क्वेरी से मिट्टी लानी है, अमुक क्वेरी से पत्थर लाना है और जो क्वेरी छांटी गई है वह क्वेरी डिपार्टमेंट के कन्सलटेशन से छांटी जाती है। लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं रखा और ठेकेदार को बिलों का भुगतान किया, जब कि नक्शों के अन्दर और चार्ट में माइन्स दिखाई हैं, उन माइन्स से किसी प्रकार का पत्थर मिले या मिट्टी मिले-दोनों को हर स्थिति में उसी क्वेरी से लेना पड़ेगा। मैंने स्वयं उन क्वेरीज को देखा है कि उन क्वेरीज से पत्थर निकाला गया है, मिट्टी निकाली गई है, लेकिन उस ठेकेदार ने दूसरी क्वेरी का नाम लेकर बिल बनाया है (समय-समाप्ति सूचक घंटी) उसमें डेढ़ करोड़ के फर्जी बिल बनाये थे, उसमें से 96 लाख का पेमेन्ट पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकार में नहीं था, लेकिन वह ठेकेदार को कर दिया गया, और न तो क्वेरी की उस चार्ज के अनुसार जांच की गई कि उसने इन क्वेरी से पत्थर लिया या नहीं, उन क्वेरी में पत्थर है या नहीं। इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, बोर्डर रोड्स प्रोजेक्ट में इतना भयंकर घोटाला है, जैसी मेरे को जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस 26 करोड़ के इस प्राजेक्ट में तीन करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। राज्य सरकार यदि इसकी जांच कराना चाहे तो मैं राज्य सरकार को प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन मुझे कम से कम इस बात की तसल्ली हो कि जो जांच करने वाला अधिकारी है वह निष्पक्ष है और निडर होकर जांच करेगा और जांच के परिणाम सदन के सामने पेश कर देगा। यह प्रोजेक्ट एक नेशनल प्रोजेक्ट है और डिफेन्स का प्रश्न भी उससे जुड़ा हुआ है, ऐसे एक नेशनल इश्यू के अन्दर राज्य सरकार का एक विभाग इतने गम्भीर घोटाले कर सकता है तो मैं समझता हूं कि बाकी के छोटे मोटे प्रश्न, जो इस विधान सभा में उठते हैं वह दब जाते हैं, लेकिन यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो सरकार से जानकारी आई है वह बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, इसमें तथ्यों को छिपाने की गरज से प्रयत्न किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गलत जानकारी देने के विषय में सरकार के विरुद्ध एक्शन लेना चाहिये, सारे कागजात को जब्त किया जाना चाहिए। लॉग बुक के सम्बन्ध में, क्वेरी के सम्बन्ध में, पेमेन्ट के सम्बन्ध में, मैंने इस प्रश्न के सारे पहलुओं के सम्बन्ध में जानकारी लिपिबद्ध करके रखी है, उसके छः पेज हैं···

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूंगा।

यह मसला इम्पोर्टेन्ट है इसको ध्यान से लेना चाहिये, अगर बोर्डर रोड्स प्रोजेक्ट के मामले में इस प्रकार का घोटाला हुआ है तो इससे सरकार की बदनामी होगी

(श्री भैरोंसिंह)

और विदेशों में भी सरकार की बदनामी होगी। क्योंकि यह सुरक्षा के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए इसके सम्बन्ध में सदन में स्पष्टीकरण होता है तो स्थिति साफ होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए बतायें।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण करना चाहें, माननीय मंत्री तो कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही या कल ?

श्री अध्यक्ष : अभी कर रहे हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी अभी तक इस सम्बन्ध में बोर्डर रोड्स की मिली थी वह आपको प्रस्तुत कर दी गई माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं कि गलत जानकारी है, तो मैं समझता हूं कि जानकारी तो सही होनी चाहिए लेकिन क्योंकि यह अहम सवाल है, इसलिऐ मैं इसकी जांच करा देता हूं। आप कहते हैं कि बोर्डर रोड्स के मामले में बहुत ज्यादा घोटाला है ··

श्री रामानन्द अग्रवाल : दस पर्सेंट है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : तो मैं चीफ इंजीनियर को इस बारे में हिदायत कर सकता हूं। माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं वह दो मुद्दे हैं- एक तो रवेरी में चेजेंज- उसकी कान्ट्रेक्ट के हिसाब से वह देखभाल कर लें, और दूसरे 80 लॉग बुक खो गई हैं, उसके विषय में जल्दी से जल्दी जानकारी कर लें। अब यह लॉग बुक सैकड़ों की तादाद में हो सकती हैं, हजारों की तादाद में हो सकती हैं, और दो दिन के अन्दर मालूम करना चाहें तो मालूम नहीं कर सकते हैं ··

श्री रामानन्द अग्रवाल : खो गई है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि खो गई है या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसका पता नहीं है कि खो गई है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह पता नहीं है···

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इस वक्त यह कह सकता हूं। यह हिदायत दी गई है कि लॉग बुक की जांच कर ली जाय, खो गई है तो तादाद बता दी जाय। तो लॉग बुक की जांच की जा रही है। उससे पता लगेगा कि खो गई है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इसकी भी जानकारी कर लें कि पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से एक चिट्ठी ए. जी. को लिखी गई है कि 80 पर्सेंट लॉग बुक खो गई हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी ले ली जाय।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह अस्सी लॉग बुक के लिए बताया गया है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय, विभाग के अधिकारियों के पास जानकारी है, उनसे ले लीजिये।

Page No. 60

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं माननीय सदस्य से दर्ख्वास्त करता हूं कि जो जानकारी उनके पास हो वह दे दें···

श्री भैरोंसिंह : यह विभाग तो आपका है, मेरा थोड़े ही है। आप जानकारी करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप फर्मा रहे हैं कि ए. जी. को चिट्ठी लिखी गई है कि 80 पर्सेंट नहीं है, तो उसकी जानकारी ले लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिपार्टमेंट के आदमी बैठे हैं, उनसे इन्फोर्मेशन ले लीजिये कि ए. जी. को चिट्ठी भेजी है या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पहले से यह सवाल कर लेते तो मैं जवाब दे देता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : आपको मालूम है कि लाग बुक गुम होना बतलाया गया है ? जो तथ्य बता रहा हूं लॉग बुक गुम होने के बारे में...

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर जानकारी किस बात की है। मेरा पर्टीक्यूलर क्वेश्चन था कि लॉग बुक खोई हुई बताई गई हैं या नहीं। इसके बारे में आप जवाब नहीं दे, जबकि एडजोर्नमेंट मोशन, जिस पर व्यवस्था दी है, उसमें दो मुद्दे थे···

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जानकारी दे दी जायगी लाग बुक की।

श्री भैरोंसिंह : किस को जानकारी देंगे ? यह हाउस की प्रापर्टी है अब मेरी नहीं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सदन को बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : यह छः दिन से एडजोर्नमेंट मोशन चल रहा है और आप इसकी जानकारी नहीं कर सके कि कितनी खो गई हैं, कितनी का खोना बताया जा रहा है। आप कह दीजिये कि विभाग जानकारी नहीं दे रहा है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह कैसे कह दूं कि जानकारी नहीं दे रहा हूं। जानकारी नहीं देता तो मैं यहां जानकारी कैसे देता। जानकारी दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ए. जी. को यह जानकारी दी गई या नहीं कि इतनी लॉग बुक खो गई है ? यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है··

श्री अमीनुद्दीन अहमद : स्पेसिफिक क्वेश्चन की जानकारी करने में टाइम लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लॉग बुक का पता नहीं है, आपको जबानी याद नहीं है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह जबानी कैसे कह सकता हूं, जब सैकड़ों और हजारों की तादाद में लॉग बुक होती हैं...

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाया...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण···

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता ।

श्री दौलतराम सारण : जो आरोप लगाये गये हैं क्या उनकी जांच करने के लिऐ माननीय मंत्री तैयार हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं अपनी जानकारी के लिए इसकी जानकारी जरूरी कराऊंगा....

श्री दौलतराम सारण : आपको जानकारी देता ही कौन है ? भ्रष्टाचार की जहां कीमत है वहां आपको उत्तर कौन देगा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आखिर कार लोगबुक्स को सरकार करती क्या है ? लोगबुक महत्वपूर्ण चीज है खास मुद्दा इसमें यह है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता हुई है इसकी जानकारी प्राप्त करने का एक ही जरिया है । सीधी सादी बात है कि लोगबुक्स क्या हुआ ? वे गायब हुई या नहीं इसका उत्तर आप यदि नहीं देते हैं बहुत ही खेदजनक बात है । इस तरह की बातों पर विरोधी पक्ष को आक्रोश होगा क्योंकि यह बोर्डर रोड्स का मामला है, इसके बारे में सरकार शीघ्रातिशीघ्र जानकारी प्राप्त करके उत्तर दे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस समय जो स्थगन प्रस्ताव है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय पूरी तरह से तैयारी करके कल हाउस में स्टेटमेण्ट दे दें । आप इस बारे में सारे मामले पर तैयारी करके कल स्टेटमेण्ट देने को कहें ?

श्री अध्यक्ष : अभी तो स्टेटमेण्ट कृषि मंत्री जी देंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को कोई न कोई आदेश तो होना चाहिये । लोगबुक्स का क्या हुआ कृपा करके इस बारे में तो उत्तर दें ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लोगबुक्स के लिये मैं कह रहा हूं वे जमा की जा रही हैं जब सब जमा हो जायेंगी तभी पोजीशन सामने आ सकेगी कितनी है और कितनी गुम होगई है ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने 13-5-70 को स्थगन प्रस्ताव दिया था आज इसको पूरे सात दिन हो गये आज मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि लोगबुक्स कलेक्ट की जा रही हैं ? सात दिनों में इतनी भी जानकारी आप नहीं कर सके कि कितनी लोगबुक्स आपके यहां है और कितनी गुम हो गई है ?

श्री अध्यक्ष : क्लेक्ट की जा रही हैं यह प्रयत्न तो आरम्भ हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : नई लोगबुक्स बन रही हैं और ज्यों ज्यों बनती जाती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है । क्वेरीज के नाते, एक्स्ट्रा लीड के नाते, कितना पेमेण्ट किया गया क्या सरकार बता सकती है कि एक्स्ट्रा लीड के नाते इतना पे किया गया ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : एक्स्ट्रा लीड के नाते 5 लाख से ज्यादा टेण्डर पर दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्वेरी के नाते और एक्स्ट्रा लीड के नाते डेढ करोड़ का बिल ठेकेदारों ने मिल कर दिया है जिसमें से 96 लाख का पेमेण्ट कर दिया गया । क्या यह सही है कि अकाउण्टेण्ट जनरल ने इस बारे

(श्री भैरों सिंह)

का ड्राफट पैरा बना कर राज्य सरकार को भेज दिया और राज्य सरकार ने आज तक उत्तर नहीं दिया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो मेरे पास इत्तला आयी है उसके अनुसार 1 करोड़ 10 लाख 53 हजार 58 के टेण्डर इश्यू हुये थे उसमें से एक्स्ट्रा लीड के नाते जो पेमेण्ट हुआ है 5 लाख 13 हजार 889 रुपये का हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : 26 करोड़ रुपये की सड़कें बनी हैं एक्स्ट्रा लीड के लिये कितना पेमेण्ट किया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो आपको जानकारी है क्या आपको मैं यह साफ तौर से बताऊं इस संबन्ध में ऑडिट पैरा राज्य सरकार को मिला है आज तक उसका जवाब नहीं दे पाये ?

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सुरक्षा के मामले में जो भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में विधान सभा में जब प्रश्न उठते हैं···

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इस पर पुनर्विचार किया जाय जो कहा है मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि एक कान्ट्राक्ट डेढ करोड़ का हुआ जिसमें 5 लाख का पेमेन्ट कर दिया··

श्री अध्यक्ष : चूंकि मैंने स्थगन प्रस्ताव को मन्जूर नहीं किया है इसलिये आपने जो जानकारी दी तथ्य रखे उस पर मंत्री महोदय ने यथाशक्ति जानकारी देने की कोशिश की ···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर आप स्टेटमेन्ट क्यों नहीं दिलवाते।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार कर लूंगा ?

(विराम)

जो तथ्य यहां आये हैं उस संदर्भ में इस सारे प्रश्न पर विचार करूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय मंत्री महोदय को इतनी भी जानकारी नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न यहां उठाना चाहता हूं वह व्यवस्था की दृष्टि से मान लीजिए या सुविधा की दृष्टि से मान लीजिए इस प्रश्न के बारे में अध्यक्ष महोदय, सारे अपोजिशन ने काफी रिजेण्टमेण्ट शो किया है। मैं समझता हूं कि आपको कम से कम हम इतना कनवीन्स कर पाये होंगे, इतने इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पर कि हम इतने एजीटेटेड हैं। कांग्रेस के मेम्बरान की इसमें दिलचस्पी नहीं है कम से कम मैं समझता हूं हाउस को सेटिसफेक्शन हो जाय इस सम्बन्ध में आगे भी किसी प्रकार की असुविधा न हो आप कम से कम मन्त्री महोदय को इतना तो आदेश दे सकते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय इस बारे में तैयारी करके कल हाउस में वक्तव्य दे दें। ताकि जो भ्रम है उसका निराकरण हो जाय और सही स्थिति सबके सामने आ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाय। हमारे जो इस प्रकार के काम होते हैं उसमें किस प्रकार के घोटाले हैं क्या स्थिति है ? सरकार इस सम्बन्ध में जागरुक है या नहीं, .. There is a demand from the opposition for a statement from the hon... Minister over this particular question tomorrow.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो एडीशनल तथ्य दिये हैं। उस सन्दर्भ में स्थगन प्रस्ताव पर पुनः विचार कर लूंगा और आज ही निर्णय दे दूंगा इसका अर्थ स्पष्ट है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : हिण्डौन की जल समस्या के सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव था वहां कि जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है···

श्री अध्यक्ष : पानी सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकार किया है मैंने ?

श्री श्रवणलाल : वह तो ठीक है आपने अस्वीकार किया है लेकिन वहां की पानी की स्थिति क्या है वह तो बताना चाहूंगा···

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता पानी के लिये त्राहि त्राहि कर रही है···

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विवाद नहीं होने दूंगा। कृषि मन्त्री महोदय वक्तव्य दें।

श्री श्रवणलाल : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री श्रवणलाल : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ? सदस्य महोदय स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : लोग पानी के लिये त्राहि त्राहि कर रहे हैं बड़ी मुश्किल आ रही है पानी के अभाव में। आपके द्वारा हम यह चाहते हैं कि मन्त्री महोदय स्टेटमेंट तो दें आखिर पानी की मांग किस प्रकार से की जाय ? अलग अलग क्षेत्रों के माननीय सदस्य अपने अपने यहां की स्थिति के बारे में जो जल संकट है वह आपके सामने रखते हैं उस पर स्थगन प्रस्ताव देते हैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं सरकार क्या इतना भी नहीं कर सकती कि वह कम से कम स्टेटमेंट तो दें ? इस बारे में सरकार कितनी सतर्क है यह तो जरा बता दें ?

श्री दौलतराम सारण : हमारे और सरकार के बीच में आप क्यों आते हैं। जन समस्या के सम्बन्ध में वक्तव्य तो दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : सुझाव तो बहुत अच्छा है।

श्री दौलतराम सारण : आजकल आप हमारे से नाराज प्रतीत हो रहे हैं इसी के कारण सरकार की जिम्मेदारी भी आप नहीं निभा रहे हैं।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मुझे नियमों को देखना पड़ता है।

श्री दौलतराम सारण : हमेशा वक्तव्य होता रहा है। यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है इस पर आप वक्तव्य नहीं दिला रहे हैं आप अपनी तरफ से इस बारे में व्यवस्था नहीं देते हैं नई परम्परा डाल रहे हैं।

(1 म. प.)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : मेरा आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि आप वक्तव्य दिलवादें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : यह अच्छा नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : कार्य संचालन में आपको सहयोग रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे तो पर्याप्त सहयोग मिल रहा है आपका।

श्री दौलतराम सारण : आप हरेक सदस्य को डांट कर के बिठा देते हैं लेकिन वे तो यहां पर अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य को डांटने का प्रश्न नहीं है। मेरी आवाज तेज हो जाती है जिस तरह की बोलते बोलते आपकी आवाज तेज हो जाती है।

श्री दौलतराम सारण : मैं थोड़ा तेज आवाज में बोला था।

श्री अध्यक्ष : तब मुझे आपके स्वास्थ्य के प्रश्न पर चिन्ता होती है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह सरकार बहरी और गूंगी है इसलिये तेज बोलना पड़ता है।

श्री श्रवणलाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का एक बार का ही नहीं है। कई बार मैं यह प्रश्न यहां पर उठा चुका हूं और हर साल वहां की जनता को परेशानी होती है और हर साल पानी की समस्या को इस विधान सभा के अन्दर उठाता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत कुछ कह दिया है।

श्री श्रवणलाल : इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह आश्वासन मंत्री महोदय से दिलवा दें कि वे वहां के जल संकट का निराकरण करा देंगे वहां के जल संकट के निवारण के लिये मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वे इस जल संकट को जल्दी से जल्दी दूर कर जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

कृषि मंत्री महोदय।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी का सवाल है। क्या आप मंत्री महोदय से इतना नहीं कहला सकते कि वहां के पानी के संकट को दूर कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : शिड्यूल्डकास्ट्स की रिपोर्ट बाकी है।

श्री भवरलाल : जब जयपुर का स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है तो इसी तरह से वहां के लिये भी स्टेटमेंट दिलवा दें।

श्री दौलतराम सारण : जनता पानी के लिये तड़प रही है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, बीदासर के लिये मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। जब भी पूछते हैं तो यह कहते हैं कि जवाब नहीं आया है जबकि यह एक साधारण-सा प्रश्न है। जेठ का महीना है और लोग हा हा कार कर रहे हैं वहां पर पानी 8 आना बाल्टी मिल रहा है। रतनगढ़ एक इम्पार्टेंट कस्बा है। उसके लिये भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था असेम्बली के शुरु होते ही लेकिन आज तक उसका सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। सरकार जवाब देने तक के लिये तैयार नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ये शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्डट्राइब्ज की रिपोर्ट को डिसकस नहीं करना चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, 22 वर्षों की आजादी के पश्चात् भी इस प्रकार से लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल में सरकार की दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। जनता के उपर यह बहुत बड़ा अत्याचार है। इससे बढ़कर अत्याचार और नहीं हो सकता है। सभी जगह आज जनता को यह दिक्कत रही है। हर साल त्राहि त्राहि पानी की घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है सरकार से अगर पूछा जाय शिकायत की जाये, अगर यह मांग की जाये कि पीने के पानी की व्यवस्था वह करे और सरकार उसका कोई उत्तर नहीं दे तो मेरी समझ में इससे बढ़कर नालायक सरकार और कोई नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो चुका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम जो माननीय सदस्य यह शिकायत कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र के अन्दर पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या दिन पर दिन जटिल होती जा रही है, मैं खुद इस बात को भुगत रहा हूं और मैंने विचार किया था कि एक स्थगन प्रस्ताव आपको मेरे क्षेत्र के लोगों की समस्या के उपर विशेषकर डूंगरपुर में लोग गोबर और कीचड़ का पानी पी रहे हैं, उसके उपर आपको दूं। वहां पर 40 वर्ष पहले जो व्यवस्था थी, वह यह व्यवस्था थी कि उन लोगों को फिल्टर का पानी दिया जाता था और एक तालाब के अन्दर दो साल तक डूंगरपुर के लोग पानी पी सकें एक ऐसी व्यवस्था थी, इतना स्टाक पानी का वहां पर रिजर्व रखा जाता था उस व्यवस्था को बदस्तूर रखने की बजाय इस सरकार ने उस व्यवस्था को भंग कर दिया और आज वहां के लोगों को गोबर पानी में मिल रहा है, मैं क्या कहूं.....

श्री गिरधारी लाल व्यास : शायद उसी का असर हो रहा है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: माननीय सदस्य, मैं तो कुंए का पानी पीता हूं। परन्तु जो व्यवस्था उन लोगों को दी हुई थी उसको भंग कर दिया गया, पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया गया...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं एक मिनिट और लूंगा। 12 लाख रुपये गये साल कहां पर खर्च किये गये। इस साल फिर 12 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। यह सब फिजूलखर्ची की जा रही है और लोगों का पीने के पानी की समस्या का हल भली प्रकार से नहीं किया जा रहा है। मैं यहां पर सिर्फ अपनी ही नहीं सुनाना चाहता हूं लेकिन यह पानी की दुर्व्यवस्था सारे राज-स्थान की समस्या है और यह समस्या वार फुटिंग पर इमरजन्सी के रूप में हल की जानी चाहिये और उसको इस रूप में हल नहीं कर सके तो आप नजोगे हैं।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा।••

श्री अध्यक्ष : आप तीन बार खड़े हो के हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं ••

श्री अध्यक्ष : कोई सीमा होती है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तो तीन बार ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह नियमों का उल्लंघन है।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, आप यह कहते हैं कि यह नियमों का उल्लं-घन है। 23 साल की आजादी के बाद भी लोगों को पीने का पानी यह सरकार उपल-ब्ध नहीं करा सकी है और आप कहते हैं कि नियमों का उल्लंघन है। आपने मुझे डांट दिया और माननीय सदस्य कोई बात रखते हैं तो वह कानून के दायरे में खत्म हो जाती है। एक दिन यह कानून का दायरा भी खत्म हो जायेगा और आप लोगों का गला सूख जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं यह सोच रहा हूं कि माननीय सदस्य कृषि मंत्री महोदय द्वारा जो वक्तव्य दिया जाने वाला है उस पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। मैं यह सोच रहा हूं कि माननीय सदस्य जो आज 4 बजे दूसरा वक्तव्य होने वाला है उसको भी नहीं सुनना चाहते हैं, इसके अलावा जो शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्डट्राइब्स की रिपोर्ट है उस पर भी कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं•••

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत है अध्यक्ष महोदय,••••

श्री अध्यक्ष : तो मैं बैठ जाता हूं। पूरी सुविधा की दृष्टि से देखता हूं। कैसे चलाया जा सकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस मसले पर यह बात कहने जा रहे हैं और यहां पर इस हाउस को साइने डाई एडजोर्न करने की भूमिका बना रहे हैं ••

श्री अध्यक्ष : यह नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खेदजनक स्थिति तो यह है कि इस विरोधी पक्ष से••••

श्री अध्यक्ष : यह कैसे अनुमान लगाया आपने ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनुभव के आधार पर•••

श्री अध्यक्ष : यह गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा निवेदन यह है और खेद की बात यह है कि हिन्दुस्तान में जितनी भी राज्य विधान सभाएं उसमें राजस्थान की विधान सभा ही एक ऐसी विधान सभा है जिसको सब से कम समय के लिये बुलाया जाता है। तीन दिन का कोई अधिवेशन होता है। इस तीन दिन के अधिवेशन में आप क्या कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस समय जितनी भी राज्य विधान सभाएं हैं उनके मुकाबले यहां की विधान सभा का समय बहुत ही कम है और इसके अलावा राजस्थान समस्याओं का घर है, जो जन प्रतिनिधि हैं वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सकें उसके लिये यह समय बहुत ही कम है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्तावों पर यहां की सरकार उत्तर नहीं देती है, जो प्रश्न किये जाते हैं उनका भी ठीक ढंग से यह सरकार उत्तर नहीं देती है। खुल कर यहां पर वाद विवाद होता नहीं है। जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में लौट कर कुछ कह नहीं पाते। जिस संविधान के प्रति अध्यक्ष महोदय हमने सौगंध खायी है उसके प्रति हम अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, खेद जनक स्थिति यह है कि सारे मसले रखते हैं यहां, उनके लिये समय चाहते हैं, सदन का समय बढ़ाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से कोई मन्त्री खड़ा होकर यह नहीं कहता कि इन प्रश्नों के सम्बन्ध में सरकार का रुख यह है। यह जिम्मेदारी सदन के नेता की है। वे तो सदन में हाजिर रहते नहीं और यहां मुख्य सचेतक महोदय भौंपू की तरह खड़े हो जाते हैं। ये बिजनैस को रेगूलेट करते नहीं। डिबेट में रहते नहीं। बस इनको 'तो मोटर' बंगला टेलीफोन प्राइवेट सेक्रेटरी पी ए. मिल गये हैं तनख्वा मिल गई है मुफ्त में।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका नम्बर भी आने वाला है। बहस को ठीक तरह से स्वयं नहीं चलाने देना चाहते हैं। शिड्यूल्डकास्ट और ट्राइब्स की रिपोर्ट पर डिसकस करना नहीं चाहते हैं।

श्री लाभचन्द बैद : आपसे कुछ होता नहीं ••

श्री अध्यक्ष : (श्री लाभचन्द को) : उधर हाथ काहे को बढ़ाते हैं, इधर ही बढ़ा दो न।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि जो पूर्व नियोजन कार्यक्रम है शिड्यूल्डकास्ट और ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस का है, वह कराया जावे। फिर माननीय सदस्यों की जो कठिनाइयां है उनका निराकरण करने के लिये समाज कल्याण विभाग के मन्त्री बैठे हैं। अब यह तो नहीं होता बराबर सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने की कोशिश की जाती है और इस के बाद मुख्य सचेतक के बारे में इधर उधर की बातें की जाती हैं। सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाई जावे। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। और इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा ऐसी आशा है। आप जनसंघ के सचेतक हैं आप को समझना चाहिये कि इसलिये आज यह मिटिंग बुलाई गई है दूसरी तरफ की बातें करने से लाभ मिलने वाला नहीं है। व्यवधान डालने की बजाय कार्यवाही को चलाने में सहयोग देना चाहिये,

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

नहीं तो सदन के समय का नुकसान होता है। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सहयोग करके इस निर्धारित कार्यक्रम को चलावें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदन में क्या कार्यक्रम चले, यह यहां की कार्य सलाहकार समिति तय करती है। यह नियमों में प्रावधान है। पर इसने इस सेशन के लिये किसी प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। नियमों की अवहेलना इस तरह से हुई है। यह मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी है जो प्रेक्टिकली मिनिस्टर फोर पार्लियामेन्टरी अफेयर्स है, यद्यपि यह पद इनको दिया नहीं है अभीतक, कुछ दिनों के बाद बनने वाला हैं। इसीलिये डागा साहब थोड़े कम्पीटीटर बन गये हैं। पर उनका नम्बर नहीं आया है। वे कितना ही मक्खन लगावें। डागा साहब आपका नम्बर नहीं आवेगा। मेरी आपसे पूर्ण सहानुभूति है।

श्री मूलचन्द डागा : नाजायज तौर से बोलते जाते हैं, कार्य सूची का पालन नहीं करते 11 तारीख का कार्यक्रम है यह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं इस संबन्ध में, डागाजी नियमों में लिखा है कि एक सदस्य बोल रहे हों तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं डागाजी से निवेदन करूंगा ......

श्री मूलचन्द डागा : आप कौनसे नियम से बोल रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य: अध्यक्ष महोदय,

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने एल. एल. बी. नहीं की है। आपने की है।

श्री मूलचन्द डागा: सारे नियमों की अवहेलना करने की आपकी आदत है। ज्यों ज्यों अध्यक्ष महोदय उदारता बरतते हैं त्यों त्यों आप अवहेलना करते जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, रामचन्द्रजी आर्य यह अपने ढंग के नमूने हैं। ये हर वक्त बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, ने इनको हाउस से बाहर निकाल दिया तो फिर अन्दर आगये। उन्होंने अपने आपको अधिकार समझ लिया हैं कि सदन का ये अपमान करते हैं अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रामचन्द्र जी आर्य की तो यह परम्परा हो चुकी है अध्यक्ष महोदय ने बाहर निकालने की आज्ञा प्रदान की उसकी अवहेलना करके वे सदन में वापिस चले आये, उनको सदन से बाहर रहना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा हैं, गिरधारी लालजी क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आरहा हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं माननीय सतीशचन्द्रजी से भी निवेदन करूंगा कि वें कानून को अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय अध्यक्ष ने माननीय रामचन्द्रजी को सदन से बाहर निकाल दिया, वे बाहर चले गये। पर इसके बाद ही वापिस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आकर सदन की कार्यवाही में पूरी दखलन्दाजी की। नियमों में प्रावधान हैं कि जिस माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा जाता है कि वह सदन से बाहर चले जावें तो चले जाना चाहिये, पर इसके बाद अन्दर कार्यवाही में दखल करते हैं। आज भी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही चलाने में किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है इसलिये निवेदन है कि यह जो निर्धारित कार्यक्रम है सदन का उसके अनुसार शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की रिपोर्ट पर डिसकस करने के संबंध में आज का समय निर्धारित किया गया है उसको डिसकस करिये और इस बारे में माननीय सदस्यों की बात सुनी जावे। इस सम्बन्ध में आप अपना निर्णय दें अध्यक्ष महोदय ताकि कार्यक्रम चल सके।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, वे बड़ी मेहनत से बोल गये हैं, और आपने उनकी तरफ देखा तक नहीं।

श्री अध्यक्ष : जिस चेहरे पर सरलता होती है उधर देखते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने फ्री फोर आल ओवर कर दिया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : वे स्वयं समझ लें तो अपना काम आरम्भ करूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं सदन में जो स्थिति उत्पन्न हुई उस सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके और हमारी भावनाओं का प्रतिबिम्ब भी हो सके उस पर सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ था। सुझाव प्रस्तुत कर रहा था परन्तु खेद है कि गिरधारीलालजी ने रामचन्द्रजी आर्य की बात छेड़ दी। 15 तारीख को सदन छोड़ कर चले गये थे फिर आकर बैठ गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उस रोज के लिये उनको सदन त्याग के लिये कहा गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको जानकारी नहीं है पूरी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उस रोज माननीय अध्यक्ष द्वारा कह दिया गया था कि वे सदन का त्याग करें और आपने त्याग किया, पर थोड़े समय के बाद वापिस आकर फिर कार्यवाही में व्यवधान डाला।

श्री अध्यक्ष : माननीय चीफ व्हिप महोदय। माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। मैं उस प्रश्न पर कि एक माननीय सदस्य बाहर चले गये हैं, आ गये है, विवेचना नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ सहयोग चाहता हूं, यदि दे सकें, तो दे दीजियेगा नियमों के प्रश्न पर भी चलना मुश्किल हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : स्पष्टीकरण कर दीजियेगा कि सहयोग लेना चाहते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: मैं यह चाहता हूं ....

(श्री मूल चन्द डागा के खड़े होने पर) माननीय श्री डागा। आप फिर खड़े हो गये। आर्डर प्लीज। मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने पानी की कठिनाई

(श्री अध्यक्ष)

के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। यह प्रश्न सारे राजस्थान से सम्बन्धित है। किसी विशेष स्थान से नहीं हैं। उसमें उदविग्नता है जैसा माननीय विरोधी दल के नेता ने बड़ी उग्रता से, अप्रसन्न होकर अपने भावों की अभिव्यक्ति दी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बड़े दुःख के साथ।

श्री अध्यक्ष : वेदना और व्यथा के साथ। तो प्रश्न एक ही स्थान का नहीं, प्रश्न सारे राजस्थान में जल के संकट का पीने के पानी के संकट का है। मैं आज ही सम्बन्धित मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करके यदि सम्भव हुआ तो सारी स्थिति के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण दिलाने का प्रयत्न करूंगा।

एक माननीय सदस्य : पानी दिलावें।

श्री अध्यक्ष : पानी तो आप इधर आ जाइये, मैं दे दूंगा। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि सदन थोड़ा अधिक सक्रिय हो जावे। कृषि मन्त्री महोदय, अपना वक्तव्य दें, इसके बाद चार बजे माननीय सदस्य श्री जयनारायणजी सालोदिया शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की रिपोर्ट पर जो हमेशा अधूरी रह जाती है, और जिस पर वे स्वयं व्यग्र हैं और उधर भी व्यग्रता हैं, अपने विचार प्रकट करें। अगर आप चाहें तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि वे अपना स्टेटमेंट दे दें और अगर इसके बीच में व्यवधान होने की सम्भावना हो तो उस व्यक्ति को भी छूट देना चाहता हूं। फिर छूट है, व्यवधान हो मैं बैठ जाऊं।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि के समय मुख्य मंत्री व संबंधित मंत्रियों की अनुपस्थिति पर आपत्ति

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक निवेदन है। इसे आप चाहे तो व्यवस्था का प्रश्न समझिये और चाहे तो आपत्ति समझ लीजिये, मैं इसे व्यवस्था का प्रश्न कह देता हूं ताकि माननीय और कोई सदस्य कुछ न कहे चूंकि कोई यह न कहे कि मैं बीच में बोल रहा हूं इसलिए मैं इसको व्यवस्था का प्रश्न कह देता हूं। मैं आशा करके चलता हूं कि माननीय डागाजी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शान्ति के साथ सुनेंगे ………

श्री मूलचन्द डागा : नहीं ऐसा ………

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक रामचन्द्रजी की ऊंचाई का प्रश्न है और उसके सम्बन्ध में आपकी राय है ………

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऊंचाई तो उधर से मूलचन्दजी डागा की ………

श्री अध्यक्ष : कौन नीचा है और कौन कौन ऊंचा है इस प्रश्न के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं वह प्रश्न नहीं लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऊंचाई में तो रामचन्द्र ………

श्री अध्यक्ष : कोई महत्व में ऊंचा है तो कोई ऊंचाई में ऊंचा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संसदीय परम्पराओं के अनुसार मैंने लोकसभा में देखा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि जहां लिस्ट आफ बिजिनेस शुरू होती है और जब तक एडजोर्नमेंट मोशन,

Page No. 71

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

काल अटेन्शन मोशन आदि जब तक फाई-नली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाते हैं तब प्राइम मिनिस्टर, फोरन मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर हाउस छोड़कर नहीं जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने तो मुझसे इजाजत ले ली है जाने की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ स्थगन प्रस्ताव नामन्जूर किये गये। हमने रिजेन्टमेंट शो किया आप कन्वीन्स हुए और आपने कुछ ऐसा महसूस किया है कि माननीय सार्व-जनिक निर्माण मंत्री को स्पष्टिकरण देना चाहिए। हाउस में रिजेक्ट होने के बाद भी हाउस में रिजेन्टमेंट शो किया जाता है और सदन में आप महसूस करते हैं कि मिनिस्टर कन्सर्न्ड को रिप्लाई देना चाहिए, क्लेरिफिकेशन करना चाहिए लेकिन मिनि-स्टर हाउस में मौजूद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : किस मिनिस्टर के सम्बन्ध में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने एडजोर्नमेण्ट मोशन दिया और एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में सारी बातों की चर्चा की, लेकिन मैंने इसलिए यह मसला खड़ा नहीं किया कि माननीय सदस्यों को अपने मसले खड़े करने के लिए समय मिल जाय। श्री श्रवणलाल खड़े हुए, रामचन्द्रजी खड़े हुए, रामानन्दजी खड़े हुए, इनके स्थगन प्रस्ताव थे। श्रीमान भैरोंसिंहजी का स्थगन प्रस्ताव था, गोयल साहब का स्थगन प्रस्ताव था। वे स्थगन प्रस्ताव पर शान्ति से अपना रिजेन्टमेंट प्रकट करते रहे। जब तक कि सारे एडजोर्नमेंट मोशन पूरे न हों, ऐसा कुछ माननीय सदस्यों का कहना है, वह समाप्त न हो जाय तब तक मैं समझता हूं संबंधित मंत्री महोदय को नहीं जाना चाहिए। मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन रखा था जिसका संबंध माननीय मुख्य मन्त्रीजी से था लेकिन वे हाउस से चले गये। मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए हाउस में इसका निर्णय हो जाना चाहिए। दिस इज कन्टेम्प्ट आफ दी हाउस। जब तक बिजनिस खत्म न हो जाय और आगे का कार्यक्रम शुरू न हो जाय तब तक सम्बन्धित मन्त्री महोदय हाउस छोड़ कर न जायं। मैं समझता हूं कि यह शिकायत हमेशा रही है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी जो कि लीडर आफ दी हाउस हैं वे और सारे केबिनेट मिनिस्टर हाउस में मौजूद नहीं रहते हैं और हाउस को रेग्युलेट चीफ व्हिप करते हैं जिन्हें नियमों का ज्ञान नहीं है, सदन की परम्पराओं का ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं I take strong exception to the absence of the Chief Minister when the business is not over. This is contempt of the House.

इसलिए मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस संम्बन्ध में सरकार को कह दिया जाय कि ....

श्री अध्यक्ष : मैंने जहां तक मुख्यमन्त्री का सम्बन्ध है बता दिया है इसलिए वह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह भी कन्टेम्प्ट ऑफ दी हाउस है जो कि वे इस तरह से कह रहे हैं कि चीफ व्हिप को न परम्पराओं का ज्ञान है और न नियमों का ....

श्री अध्यक्ष - आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस तरह की बातों को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात कहते हैं और सदन की परम्पराओं का उल्लंघन कर रहे है…

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 292 की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं और मेरा भाषण समाप्त न हो इस बीच में सदन के चीफ व्हिप बीच बीच में बोल कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और माननीय गिरधारीलालजी बार बार भाषण में हस्तक्षेप कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 292 के तहत कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक को जितने दिन सदन का कार्यवाही चले उतने दिनों तक सदन की कार्यवाही में भाग लेने से निलम्बित किया जाय। मेरे इस प्रस्ताव को सदन में विचारार्थ लिया जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रस्ताव करता हूं कि इन्होंने (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) ने गलत परम्परायें निर्माण की हैं इस वजह से माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल को जब तक सदन की कार्यवाही चले तब तक के लिए इनको बाहर निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : और कोई प्रस्ताव आने वाला है ?

श्री श्रवणलाल : भूल गये कि नियम क्या है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव तो हो गया। और कोई दूसरा प्रस्ताव है ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं आयेगा। विपक्ष से (हियर, हियर)

श्री मूलचन्द डागा : ये सारे नियमों की अवहेलना करते हैं इसलिए इन सबको बाहर निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही को आगे बढ़ा रहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अच्छा लेसन मिल जाता इनको।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। आप काफी बोल चुके हैं। मुझे कह लेने दें।

(श्री डागा के बोलने पर) आर्डर प्लीज, श्री डागा।

माननीय सदस्य जहां तक माननीय मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति का जो संबंध है वे मुझ से आज्ञा लेकर गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत उदारता दिखाते हैं। वे अनुमति लेकर नहीं गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आप इसका चलेंज नहीं कर सकते हैं। काल अटेन्शन नोटिस उनसे सम्बन्धित था तो मैंने उनको प्रमुखता

(श्री अध्यक्ष)

दी। यह बताता है कि उन्होंने मुझसे आज्ञा ली है। थोड़े में निवेदन कर दिया कि उन्होंने आज्ञा ली है। (श्री विजयसिंह के बोलने पर) आर्डर प्लीज। आपने उसको मान लिया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनट आपको स्मरण होगा कि 11 तारीख को शिड्युल्ड कास्ट की रिपोर्ट पर बहस होने को थी हमने उसका उल्लेख किया था। 11 तारीख को शिवचरण सिंह की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एजोर्नमेंट मोशन था और एक घण्टे तक उस पर विवाद होता रहा। हम नहीं चाहते हैं कि शासन और विरोधी पक्ष के बीच में कार्यवाही छिड़ जाय। सरकार यह चाहती है जिसको आपने देख लिया कि एक घन्टे तक की पूरी कार्यवाही है जिसमें उस वक्त चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, होम मिनिस्टर मौजूद थे और केबिनेट स्तर के मंत्री थे। वे एक भी खड़े होकर नहीं बोले। इससे आपको पता चल जायगा कि सरकार का क्या रुख है कि वे विरोधी पक्ष को आसन से कन्फिलक्ट में लाना चाहती है। हम आसन से कन्फ्रन्टेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन 11 तारीख की सरकार डेलिबरेटली हाउस में चुप बैठी रही और हम शासन से उलझते रहें। हम आसन से उलझना नहीं चाहते, लेकिन सरकार यह परिस्थितियां पैदा करती है। यह सरकार हाउस में चुप बैठी रहती है इसलिये हाउस में यह स्थिति पैदा होती है। अध्यक्ष महोदय, हम यह मानकर चलते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट पर बहस हो। वह आज भी होगी और कल भी होगी। बोर्डर के बारे में भी बहस की जाय, युनिवर्सिटी के बारे में डिबेट हो। मैं मुख्य सचेतक महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभी तक वे हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं। श्री अमृतलाल यादव के खिलाफ मेरा रिजौल्यूशन था उसका क्या हुआ ? ब्रीच आफ प्रिविलेजेज का क्या हुआ ? आपने शुरू से लिस्ट आफ बिजिनेस बनाई तो सरकार की तरफ से किसी ने नहीं कहा। आपने दूसरे दलों के व्हिप्स को कोन्फीडेन्स में नहीं लिया। आपस में आपने डिसकस नहीं किया। आपस में डिसकस नहीं किया और यहां आकर बैठ जाते हैं...

श्री मूलचन्द डागा : आप गलत बात बोल रहे हैं। बिना सेन्स की बात बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इर्रेलेवेन्ट बोल रहे हैं। गलत भाषण हो रहा है। इस प्रकार की बातें कब तक बरदाश्त करते रहेंगे। इस तरह से सारी कार्यवाही रद्द हो जायगी। सिर्फ चीप पापुलेरिटी प्राप्त करने के लिए यह सारी बात की जाती है। कांग्रेस के चीफ व्हिप ने जनसंघ के चीफ व्हिप से बराबर सम्पर्क किया है और सहयोग करते रहे हैं...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने गम्भीरता से कब बात की।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बराबर सम्पर्क किया जाता रहा है और कार्यवाही को एडजस्ट करने में बराबर सहयोग लिया जाता रहा है। वे यहां पर दूसरी बात करते हैं और वहां पर दूसरी बात करते हैं। इसमें

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

बहुत अन्तर है। जिस प्रकार की बात करते हैं उस मुताबिक उसको मानकर व्यवस्था कराने के लिए बराबर कोशिश की जाती रही है। आपने 20 तारीख तक सदन को बढ़ाने के लिए कहा तो हमने नेता महोदय से निवेदन किया और आपके कथनानुसार इस सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। वैसे यह सदन 15 तारीख को ही खत्म हो रहा था लेकिन आपके कथनानुसार उसको आगे बढ़ाने की व्यवस्था की है। सब तरह से सम्पर्क किया है और उनका सहयोग लेकर कार्य किया गया है। आपका और अन्य माननीय सदस्यों को बराबर सम्पर्क में रखा है और इस सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में बराबर आपका सहयोग लिया जाता रहा है। सदन के बाहर आप कुछ कहते हैं और यहां हाउस में कुछ कहते हैं। आपकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से दल का व्हिप फर्स्ट रहा ?

श्री विजयसिंह : पाईन्ट आफ आर्डर, मैं एक मिनिट में अर्ज कर दूं। मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था। डिप्टी मिनिस्टर श्री शिवचरण सिंहजी के बारे में ध्याना-कर्षण प्रस्ताव भी दिया था ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य नियमों के विपरीत कार्यवाही कर रहे हैं। जब उस पर निर्णय हो गया है तो उस पर माननीय सदस्य को कहने का अधिकार नहीं है। नियमों के विपरीत कार्य किया जा रहा है।

श्री विजयसिंह : मैं बात दीवाली की कर रहा हूं और आप होली की कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं विरोधी दल के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझको सहयोग दिलाने का प्रयत्न करें ताकि आगे के कार्यक्रम पर बढ़ सकूं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : हम सहयोग देने को हर तरह से तैयार हैं। इनकी बात को सहानुभूति के साथ सुन लेते ताकि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट है उसके ऊपर बहस होनी है। कृषि मन्त्री से भी वक्तव्य दिलाना चाहते हैं वह भी है। मेरे दल के सदस्य ...

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय यह प्रश्न आफिस से जानकारी लेने का है। मैं कोई इन्साइक्लोपीडिया नहीं हूं कि माननीय सदस्य को यहां पर हर प्रकार की जानकारी दूं।

श्री विजयसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो फैक्टस हैं वे आपके समक्ष यहां पर हाजिर कर दूं।

श्री अध्यक्ष : अभी मत रखिये। अभी समय नहीं आया। न तो प्रश्न है और न समय है।

श्री विजयसिंह : मैं सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे दे दें। सदन के सामने न रखें।

श्री विजयसिंह : मेडिकल एण्ड हैल्थ मिनिस्टर ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में मंत्रीजी द्वारा आसन को कई बार आश्वासन दिया गया है कि अकाल पर बहस की जायगी । इस प्रश्न पर…

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । आसन इस स्थिति में नहीं है कि अभी कुछ कहे । मुझे कहने दें ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आसन की तरफ से निर्देश दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी कोई निर्देश— आदेश नहीं दे सकता । आप स्थान ग्रहण करें । कृषि मंत्रीजी ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : नहीं अध्यक्ष महोदय …

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । बहुत ज्यादती हो रही है, माननीय श्री कृषि मंत्री ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप विश्वास रखिये कि हमारी तरफ से सदन की कार्यवाही चलाने में पूरा सहयोग मिलेगा । हम पूरा प्रयत्न करके चला रहे हैं । (श्री डागा के बोलने पर) आप बोलिये मत डागाजी ।

श्री मूलचन्द डागा : बोलना क्या है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । अब कार्यवाही को आगे चलने दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, …

श्री मूलचन्द डागा : मैं दो-एक बात पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं अधिक से अधिक नेता महोदय का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या पूछना है पूछिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मन्त्री ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, कुछ पूछना चाहते हैं…

श्री अध्यक्ष : नहीं पूछेगा कोई ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मुझसे भी न पूछे अभी । यह स्टेटमेंट होजाने के बाद पूछें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में तीन वर्ष से सबस्टेन्सल मोशन इन्ट्रोड्यूस किये हुए पड़े हैं । दूसरों की बात में नहीं कहता । मेरे जो सबस्टेन्सल मोशन पेश किया है उनके लिये कहता हूं । डेढ़ डेढ वर्ष से इन्ट्रोड्यूसेस किये हुए मोशन्स पड़े हुए हैं । फेमीन के बारे में डिबेट बाकी है, युनिवर्सिटी के बारे में डिसकशन बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट पेश कर दिया गया है । इस पर बहस होनी चाहिए'…

श्री मूलचन्द डागा : आप …

श्री अध्यक्ष : आर्डर, श्री डागा ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय इनसे कहें कि बैठ जायं ।

श्री मूलचन्द डागा । उनको भी कहें बैठने के लिए ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब दिलवाइये स्टेटमेंट।

शासकीय वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में पिछले दिनों में .....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवाज नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ ही नहीं किया अभी तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब है आपने सुना ही नहीं।

श्री शोभाराम : राजस्थान विधान-सभा के विगत सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह घोषणा की थी कि गंगानगर जिले की गंग, भाखरा, राजस्थान कैनाल योजना क्षेत्रों में अनियमित आवंटन आदि की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जायेगी जो जांच के परिणामों के आधार पर अग्रिम यथोचित कार्यवाही हेतु राजस्थान सरकार के पास सिफारिश करेगी। उसी घोषणा के अनुसार दिनांक 25 मार्च, 1970 को एक उच्च-स्तरीय समिति का निर्माण किया गया। इस समिति ने जांच राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र की तहसीलों में दो बार दौरा किया है। इस दौरान कुछ शिकायतें इस प्रकार की आईं कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आरजी आवंटन गलत हुआ है और बहुत से रकबे पर बेनामीदार और दूसरे प्रभावशाली लोग लाभ उठा रहे हैं जो नियमों तथा कानून के विरुद्ध है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी बीच कुछ व्यक्तियों ने चकों का हवाला देते हुए हलफनामों एवं प्रार्थना-पत्र उप-आयुक्त, उपनिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किये और प्रार्थना की कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम एवं उसके तहत बने नियम के अनुसार कार्यवाही की जाय। उपनिवेशन उप-आयुक्त ने प्रार्थना-पत्र तथा हलफनामों पर नियमानुसार आदेश दिये और कार्यवाही चालू की।

श्री नत्थीसिंह : आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवाज खोलिये।

श्री अध्यक्ष : आप शान्त हो जायं तो आवाज उग्र हो जायगी।

श्री शोभाराम : जैसा कि पता चला है कि लगभग 16,608 बीघा भूमि के संदर्भ में

(1.35 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

शिकायतें पेश हुई थीं और लगभग 49,87 बीघा पर फसलें खड़ी थीं। उप-निवेशन उप-आयुक्त ने अपना इत्मीनान करके नियमानुसार इस रकबे को फसल सहित कुर्क करने के आदेश दिये। चूंकि गंगानगर क्षेत्र में अनुचित लाभ उठाने वालों की तरफ से काफी रोष प्रकट किया गया था और स्थिति तनावपूर्ण थी इसलिए फसलों की सुरक्षा तथा निगरानी के लिए जिलाधीश गंगानगर द्वारा विशेष पुलिस का

(श्री शोभाराम)

भी इन्तजाम किया गया जो अब तक मौजूद है। समिति के सदस्यों ने प्रथम बार दोरा अनूपगढ़ आदि तहसीलों का दिनांक 1 से 5 अप्रेल 1970 के मध्य में किया था।

सरकारी पैरोकार एवं आयुक्त उपनिवेशन के द्वारा ज्ञात हुआ है कि कुर्की के आदेश के विरुद्ध एक व्यक्ति श्री राजाराम जिसका लाभ उठाने वाला श्री चण्डीदान बतलाया जाता है, ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की जिस पर यह आदेश हुआ कि उपायुक्त उपनिवेशन वाजिब जमानत पेश करने पर फसल सुपुर्द कर दें। श्री राजाराम ने जमानत अभी तक पेश नहीं की बतलाई।

इसी प्रकार अन्य बेनामीदारों ने जिनमें प्रत्येक के पास एक एक मुरब्बा जमीन बतलायी जाती है जिनका लाभ उठाने वाला श्री चण्डीदान कहा जाता है, ने रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी, बीकानेर के पास उपायुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपील पेश की और उक्त अदालत ने 500-500 रुपये की जमानत पर फसलें प्रार्थियों को सुपुर्द करने की आज्ञा दी। इनमें से 47 व्यक्तियों की जमानत अपने ही कोर्ट में लेकर फसलें उनके सुपुर्द किये जाने की आज्ञा बालाबाला तहसीलदार छत्रगढ़ को दे दी और तहसीलदार ने आज्ञा का पालन करते हुए इन 40 व्यक्तियों को फसलें सुपर्द कर दी। इसी बीच उपनिवेशन विभाग की ओर से भी राजस्व मंडल ने अपीलेट आथेरिटी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील पेश की और दूसरा स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया जिसके कारण शेष 53 को उनकी फसलें नहीं दी गई।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुछ व्यक्तियों ने अनुचित लाभ उठाने वालों के विरुद्ध शिकायत की। इनमें लगभग 45-45 चक 716 आवंटिती प्रभावित होते हैं। जो फसलें कुर्क की गई वे आज भी पुलिस की निगरानी में मौके पर मौजूद हैं सिवाय उनके फसलों के जिन्हें कोर्ट के आदेशानुसार फसल उठाने की अनुमति दी गई है। इसी संदर्भ में यह भी बतलाना उचित है, भजनलाल मुखबीर ने श्री मुरारी लाल से सम्बन्धित एक एस. एम. चक में दो व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी शिकायत वापिस ले ली। तदनुसार उप-आयुक्त ने 50 बीघा भूमि को कुर्की से छोड़ दिया है। ये सब मामले उप-आयुक्त के सम्मुख सब जूडिस हैं।

समिति की दूसरी बैठक तथा दौरा दिनांक 20 से 22 अप्रेल, 70 के मध्य हुआ। इस बार के दौरे में विशेष रूप से स्थायी आवंटनों, हस्तांतरणों, विनिमयों के विषय में चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अब तक जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं उनसे सम्बन्धित सभी पत्रावलियों को मंगाकर कार्यवाही की जाये। लेकिन अल्पकाल में ऐसा किया जाना व्यवहारिक नहीं होने के कारण सदस्यों को कहा गया है कि वो चुने हुए मामलों की सूची दें जिससे उनकी जांच की जाकर आगे के लिए समिति सरकार के पास अपनी सिफारिश भेज सके। इस सम्बन्ध में दिनांक 2 मई 1970 को सदस्यों के नाम अर्द्ध शासकीय पत्र भी लिखे गये हैं। और सदस्यों की इच्छानुसार आगामी मीटिंग दिनांक 22 मई, 70 को सचिवालय में रखी गई है। इस मिटिंग में शेष विषयों पर विचार होगा।

(श्री शोभाराम)

सरकार ने कुर्क शुदा फसल को नष्ट होने से बचाने और उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की है। इस कार्य हेतु एक लाख रुपया स्वीकृत किया गया है।

आरजी काश्त अलाटमेंट के नियमों में एक से अधिक प्रार्थियों के प्रार्थना करने पर उस भूखण्ड को नीलाम करने का नियम था। सरकार ने इस नियम को जनहित की दृष्टि से रद्द करके लाटरी की पद्धति को अपनाना उचित समझा इस समिति के अलावा एक अन्य समिति स्थाई आवंटनों के नियमो में संशोधन करने की सिफारिश करने हेतु बना दी गई है।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : सभा पति महोदय, ऐसी विशेष परिस्थितियों में हाई पावर कमेटी का निर्माण हुआ है। मेम्बर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम किया गया है मैं उसकी सराहना करता हूं। मगर जब कि मौके पर मेम्बर और चेयरमैन ने, कागनीजेंस ले लिया तो जो लोग दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होने के कारण उस इलाके में आतंक का वातावरण है। कमेटी को पूरे पावर दिये गये हैं। जब हाई पावर कमेटी रखी गई है और उसके चेयरमैन जानबूझ कर इसलिए बनाये गये हैं जो पावर है उसका इस्तेमाल वह कर पायें। आवश्यकता इस बात की थी कि जो लगातार 5 साल तक कल्टीवेशन का फायदा उठाते रहे। उनके खिलाफ डिपार्टमेन्टल कार्यवाही होती। मैं निवेदन करता हूं कि जिन फसलों को आप ने कुर्क किया है, अगर आप मौके पर जायेंगे तो माननीय चेयरमैन साहब आपको मालूम होगा कि आधी से ज्यादा फसल लोग घर पर ले गये हैं। इसके अलावा हाई पावर कमेटी की लाईफ कम से कम 6 महिने होनी चाहिये थी ताकि जो टर्म्स एण्ड रेफेरेंसेज हैं उसके अनुसार पूरी छानबीन हो पाये और वह जब तक अपनी पूरी रिपोर्ट नहीं दे दें तब तक उसकी अवधि रहनी चाहिए।

दूसरी बात जिन्होंने एप्लीकेशन दी हैं, उन को परेशान किया जा रहा है। होना तो यह चाहिये था कि उनकी सहायता के लिए सरकारी वकील किया जाता। लेकिन सिर्फ आपने प्राईवेट पर्सन से अप्लीकेशन ली है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आयन्दा आपने अलाटमेंट का तरीका बनाया है वह ठीक है। मगर जिन लोगों ने गलत काम किये हैं, उनका समरी ट्रायल हो। जो जल्दी जल्दी काम किया गया है इसमें ज्यादातर अलाटमेंट गलत हुए हैं 90% गलत हुए हैं। इसलिए इसका स्पेशल कानून बनाया जाये। इसका मुकम्मिल इन्तजाम होना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, जो कृषि मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मन्त्री महोदयों को अपनी जगह पर बैठना चाहिए। दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मन्त्रीपद का उनको इतना मोह नहीं है।

श्री सभापति : इसका मतलब है कि वह ऐसा करने के आदी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कृषिमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है और जो उच्च-स्तर कमेटी के बारे में समाचार प्रकाशित हुए हैं, उससे यह निश्चित तौर से साबित होता है कि जिन बातों को लेकर गंगानगर आन्दोलन चला, जिसके कारण उच्चस्तरीय कमेटी का निर्माण किया था तो वह आधार बिल्कुल सही साबित हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कुछ केसेज ही इनवेस्टीगेट किये हैं। मैं माननीय कृषि मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि जितने केसेज इन्वेस्टीगेट किये हैं उनमें से कमेटी ने कितनों को सही माना है। कितने केसेज की रिपोर्ट जो दी गई थी वह गलत निकली। जहां तक मेरी जानकारी है, जो केसेज रिपोर्ट किये गये हैं, उन केसेज में जिन लोगों के नाम अलोटमेंट करीब करीब वह जमीन पर काबिज नहीं मिले। उनके बजाय बड़े बड़े जागीरदारों और ठेकेदारों का कब्जा था। उस जमीन पर वह ही काश्त करते मिले। जिनके नाम अलोटमेंट है वह वहां पर फिजीकल नहीं थे और, न उनको खेत का ही मालूम है और न यह पता है कि कौन सी फसल बोई गई है। तो, सभापति महोदय मैं समझता हूं कि इस कमेटी ने जितना सेम्पल सर्वे के रूप में काम किया है, अ.ले राजस्थान केनाल क्षेत्र में जो टेम्परेरी एलोटमेंट हुए हैं, लाखों बीघा जमीन का टेम्परेरी एलोटमेंट किया गया है। उसमें जो इन्वेस्टीगेशन किया गया है, केवल 18 हजार बीघा का किया गया है। मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में बताया है और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस इन्वेस्टीगेशन में काफी जमीन के केसेज में गलती पायी है। एक दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो टेम्प्रेरी एलोटमेंट इतने बड़े क्षेत्र में हुए, उनमें से केवल राजस्थान केनाल में हा थोड़े से केसेज को इन्वेस्टीगेट किया गया है। टेम्प्रेरी एलोटमेंट्स का इन्वेस्टीगेशन करने का अभी बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। यह बात गलत है कि वहां से फसल कट चुकी है। लेकिन यह इन्वेस्टीगेशन वह इस तथ्य को जरूर जोरदार बनाता है, इसको बल देता है, जो एलीगेशन्स हैं एलाटमेंट के सम्बन्ध में, टेम्प्रेरी या परमानेन्ट एलाटमेंट के सम्बन्ध में वह सब्सटेन्सियली करेक्ट साबित हुए हैं। इसलिए इस बिना पर जितना काम अभी तक हुआ है, उस बिना पर उन बातों के सबूत होते हुए, वह एलीगेशन्स सही साबित होते हुए कमेटी का कार्यकाल बढाया जाय, कमेटी को और अधिकार दिये जायं। इसके डिस्पोजल पर, डिपार्टमेंट के डिस्पोजल पर कुछ राशि रखी जाय, इस इन्टरीम टाइम में बजट की आवश्यकता पड़े तो वह इसके डिस्पोजल पर रखा जाय ताकि यह अपना इन्वेस्टीगेशन का काम पूरा कर सके। एक स्थिति और आती है, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी टेम्प्रेरी एलाटमेंट का बहुत ही थोड़ा पर्सेन्टेज देखा गया है, और परमानेन्ट एलोटमेंट के केसेज, एक्सचेंज के केसेज, ट्रान्सफर के केसेज— यह तमाम केसेज न केवल राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में, बल्कि गंग कैनाल और भाखरा— इन तीनों के इसके कार्यक्षेत्र में हैं तो लाजिमी तौर पर इस कमेटी का कार्यकाल का एक महीना तो बीत जाता है, और अवधि 31 जून तक बढाई गई है, वह मैं समझता हूं काफी नाकाफी है। यह पूरा काम करने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिए इसे समय काफी चाहिए, और इसलिए जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, कम से कम छः महीने इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाय ताकि यह तमाम वर्क, परमानेन्ट एलाटमेंट का, एक्सचेंजेज का, जो सदन के पटल पर बार बार उठाये जाते रहे हैं, इनकी इन्वेस्टीगेशन कर सके।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कानूनी कार्यवाही का तरीका है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपनाया गया है, और एक्जिस्टिंग कानून की लिमिट के कारण शायद यह तरीका उनको अपनाना पड़ेगा। मैं समझता हूं, यह जो तरीका अपनाया गया है, यह नाकाफी है, असंतोषजनक है एक्चुअल प्रोविजो की रक्षा करने में और जो ट्रेसपासर्स थे, अनॉथोराइज्ड आकूपेन्ट्स थे उन लोगोंके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अफेक्टिव मेजर्स नहीं उठाये जा सकते। उन लोगों ने यह एप्लीकेशन दी है, जो बेनामीदार हैं, जिनके खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की उन्होंने यह क्लेम किया है कि हो सकता है कि बेनामीदार हम हैं। हमने जबर्दस्ती काश्त की है, लेकिन कानून में केवल यह है कि हमको बेदखल सरकार कर सकती है, लेकिन हमारी फसल पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो रिलीफ क्लेम किया है वह यह क्लेम किया है कि फसल हमको दी जाय, फिर हमारा कब्जा रहे या नहीं रहे— यह बाद में देख लीजिये। हमें चूंकि एक साल के लिए एलॉट थी, इसलिए एक साल का पट्टा खत्म हो गया इसलिए इन प्रेक्टिस आप उनका कुछ नहीं कर सकते। यह वाजिब बात है कि फसल के बारे में मौजूदा कानून के अन्दर कुछ नहीं है। अब स्थिति यह है कि मौजूदा कोलोनाइजेशन एक्ट और उसके रूल्स के अन्तर्गत गवर्नमेंट को इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन देने या इस प्रकार के स्पेशल कोर्ट क्रियेट करने का अधिकार नहीं है। उसकी फसल की कुर्की मेनीफेस्टली, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी पर जायज है, और जो काबिज हैं, जो बेनामीदार हैं, जो ट्रान्सफरी हैं— उसके खिलाफ इपसो फेक्टो कोई एक्शन नहीं ले सकते, उनकी फसल कुर्क करके नहीं ले सकते। तो जो मौजूदा कानून हैं, उसकी स्थिति में, मैं समझता हूं कि जो हाई पावर कमेटी ने अपनी रेसपान्सिबिलिटी को इस तरीके से पूरा किया है तो एक प्राइवेट सिटीजन को खड़ा करके सिटीजन की तरफ से कम्पलेन्ट आई है, जो प्राइवेट सिटीजन ने कम्पलेन्ट की है. उसके बजाय गवर्नमेंट को खुद को कंपलेनेंट बन कर इसके सामने आना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से शर्क कर रही है। गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के किसी बड़े जिम्मेदार आफिसर को चाहिए कि डाइरेक्टर आफ कोलोनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है वह इन्वेस्टीगेशन के लिए मौजूद हो, कमेटी में मौजूद हो क्योंकि उन्होंने यह सब चीजें देखी हैं जो कब्जे हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए कम्पलेन्ट एज गवर्नमेंट पार्टी हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को एक पार्टी बनकर यह केसेज को मुस्तैदी के साथ में कराने चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि जो एक्जिस्टिंग कोलोनाइजेशन एक्ट है, जो रूल्स हैं, उनके तहत जो लिमिटेशन है, जो आपके पास पावर नहीं हैं--तो ऐसे मामले में जो इमर्जेन्सी में जो हाई पावर कमेटी बनाई गई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है उसी प्रकार से एक इमर्जेन्सी कानून बनाया जाय, जिसके अन्तर्गत स्पेशल रूल्स बनाये जा सकें और इन्वेस्टीगेशन को और तीव्र किया जा सके। मौजूदा तरीके में जो मेनीफेस्टली बेनामीदार हैं वह कहते हैं कि उनको नोटिस दें और नोटिस देने के बाद में इन्तजार करें, तब तक वह फसल को लेकर भाग जाय। इसलिए स्पेशल कानून बना कर, और स्पेशल कोर्ट बना कर, प्रोसीजर स्पेशल तरीके का इस्तेमाल करके मौजूदा मामलों की दृष्टि से कार्यवाही करनी चाहिए। तो इस प्रकार का कानून बना कर, इस प्रकार की पावर्स स्पेशल कोर्ट्स को देनी चाहिए तभी ऐसे लोगों के केसेज को मीट आउट कर सकेंगे, वरना जिस तरह का आपका कानून है, जिस तरह की ब्यूरोक्रैसी है, जिस तरह के हाई कोर्ट के जजेज हैं, जिनका ज्यादा से ज्यादा झुकाना प्रापर्टी क्लासेज की तरफ है, प्रापर्टी क्लासेज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रियायत मिले, चोरों के फेवर में, मर्डरर के फेवर में केसेज करते हैं, वह हाई कोर्ट में बैठे हैं, सोशल लेजिस्लेशन किसी तरह का हो, लेकिन लाखों बीघा जमीन पर से करोड़ों रुपये की फसल को कैसे उठा कर ले जा सकते हैं—इसके लिए उनको कानून में कोई गली मिल जायगी, खूब वकील मिल जायेंगे बताने के लिए और जो जजेज हैं उनका दिमाग इस तरह का बन गया है कि प्रापर्टी क्लासेज को हर तरह की रियायत मिले हर तरह के आर्डर से उनको एक्जेम्प्ट किया गया है। इस प्रकार के हाई कोर्ट के जजेज बन गये हैं

श्री सभापति : आर्डर प्लीज! आप आउट आफ पाइन्ट चल रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बिल्कुल सही है...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज! यह पाइन्ट अन्डर कन्सीडरेशन नहीं है हाई कोर्ट का।

श्री मूलचन्द डागा : यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि सभी को....

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिये हैं फसल को वापिस देने का। मैं कहना चाहता हूं कि यह डाइरेक्टली कन्सेन्ट है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अन्दर बोलने की जो फ्रीडम है वह अन-रेस्ट्रिक्टेड है, हाई कोर्ट के बारे में, जजेज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वहां के जजेज के बारे में जो भी माननीय सदस्यों के खयालात हैं उनको फ्रीडम से एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि मनमानी नहीं हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेज भी क्रिटिसिज्म से परे नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारा का सारा हाउस इस बात से परटर्ब्ड है कि गंगानगर में लोग जिनकी जमीन से ताल्लुक नहीं है, अनाथोराइज्ड तरीके से जमीन पर कब्जा करे हुए हैं यह फसल पर कब्जा करे हुए हैं क्योंकि अगर उनके खिलाफ कुर्की की गई तो हाई कोर्ट में जाकर उसको रद्द करा देंगे, स्टे करा देंगे। यह क्लीअर कट दृष्टि है प्रापर्टी क्लासेज को रियायत देने की, चोरों की हरकतों को ढकने की। मैं समझता हूं, इस दृष्टि से इस देश में जो भी सोशल इकानामिक चेन्जेज होंगी उनके अनुरूप हाई कोर्ट के जजेज के दृष्टि कोण को भी बदलना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जजेज कौन अपाइन्ट किये जाने चाहिए—इस पर हमें पुर्नविचार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहिए। आज वहां पर जागीरदारों के एजेन्ट बैठे हैं, पूंजीपतियों के एजेन्ट बैठे हैं ...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर देश में किस प्रकार से समाजवाद आयेगा।

श्री सभापति : You are going out of point.

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य को जुडिसियरी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह यह है कि जजेज का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वह जजेज के मैरिट पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेज के ऊपर मोटिव इम्प्यूट नहीं कर सकते कि वह बुरी नीयत लेकर चलते हैं। मैं माननीय सदस्य को ध्यान दिलाऊंगा, आप जो कानून पास करते हैं, जो कानून पार्लियामेंट बनाती है, उसको एग्जीक्यूटिव करती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठ कर उसको इंटरप्रेट करती है। आप कोई सोशलिज्म के आधार पर कानून बनायें, उसको एग्जीक्यूट करें और कोई कानून में खामी है तो जुडिसियरी उसको पाइन्ट आउट करेगी। इसलिए आप जुडिसियरी के प्रति जो रेस्पेक्ट है उसको मेन्टेन करें और जुडिसियरी को बहस में न घसीटें, उसके जजेज को बहस में न घसीटें और मोटिव इम्पयूट नहीं करें। आप जजेज के बारे में इस प्रकार की बात नहीं उठायेंगे— यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

(2 म० प०)

श्री सभापति : यह ठीक है, आर्डर प्लीज। आप आउट आफ पोइंट जा रहे हैं और हाई कोर्ट को बीच में घुमा रहे हैं। पाइट अंडर डिस्कशन दूसरी है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते है। आपने लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर दिया और कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए। मैं समझता हूं, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, उसमें वजन है। कृपया आप जो कृषि मंत्री ने वक्तव्य दिया है, उस संबंध तक अपने स्टेटमेंट को सीमित करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के संबंध में लेजिस्लेचर्स और हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उस बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं और अपने अपने विचार रखना, हरेक माननीय सदस्य का अधिकार है। संविधान में या और भी जितने नियम हैं, उनके तहत हमें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है और उन्हीं सीमाओं के तहत मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

श्री सभापति : यह पोइट अंडर डिस्कशन ही नहीं है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्योंकि इस सिलसिले में...

श्री सभापति : आप स्टेटमेंट के संबंध में क्या जानकारी चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने अपने स्टेटमेंट में हाई कोर्ट के अन्दर जो रिट की है उसका जिक्र किया है, उसमें हाई कोर्ट द्वारा जो नीचे की कोर्ट में स्टेटमेंट के आदेश थे, उसमें स्टे आर्डर जारी किया गया है, यह जिक्र किया है। केस है राजा राम वर्सेज समबॉडी। उस केस के संदर्भ में...

श्री सभापति: आर्डर प्लीज। हाई कोर्ट से जो स्टे आर्डर दिया गया है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप डिस्कस नहीं कर सकते। इट कैननोट बी अलाउड आप इस वक्तव्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टेम्परेरी एलाटमेंट्स का मामला थोड़ी मात्रा में तय हुआ है, परमानेन्ट एलाटमेंट्स जो किए गए हैं वह 9 लाख एकड़ गंग केनाल में करीब 8 लाख एकड़ भाखरा में, और राजस्थान केनाल में 10 हजार एकड़ का परमानेन्ट एलाटमेंट हो चुका है। इस बारे में मैंने इस सदन में कई बार प्रश्न उठाया है, कई नोटोरियल केसेज हैं, उनके किस प्रकार चुनें यह हाई पावर कमेटी द्वारा काम पूरा होना चाहिए। इस प्रकार ट्रांसफर्स के बारे में है और खास तौर से जो हरिजनों की जमीनें जो ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, उनको ट्रांसफर किया गया और उनको कुछ लोग नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न भी सामने आया था। तो यह बड़ा सवाल कमेटी के सामने है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमेटी की अवधि कम से कम 6 महीने और बढ़नी चाहिए। इसके साथ में और फंड्स इसके डिस्पोजल पर होने चाहिए, इसके पावर्स बढ़ाये जाने चाहिए और स्पेशल लेजिस्लेशन पेश किया जाना चाहिए जिसमें स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल प्रोसीजर तय किया जाय।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो वक्तव्य दिया है, उसमें भी आपने बताया कि जो लोग बेनामीदार थे, जिन लोगों का नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा था, जिन लोगों ने शिकायतें की, उनको डराने धमकाने की शिकायतें सरकार के सामने आई होंगी। मेरे सामने एक केस आया है अनोपगढ़ का। गुरुदीपकौर को, जो हमारी किसान सभा की कार्यकर्त्री थी, उसके प्रति जो इसके अन्दर इन्फार्मर थे, कम्पलेनेन्ट हैं, उस पर दिन दहाड़े पुलिस थाने के बराबर गोली चलाई गई, पुलिस का थाना बिल्कुल नजदीक है। यह तो उसकी खुशकिस्मती थी कि वह बाल बाल बच गये। इस तरह की घटनायें विदिन कमेटी की साइट में आई। कुछ लोग इकट्ठे होकर झगड़ा करने आये, कुछ लोगों ने कमेटी के सदस्यों को इन्टीमिडेट करने की कोशिश की कि इस तरह की कार्यवाही करोगे तो देख लेगें, मार देंगे। सरकार को ऐसे एलीमेंट्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो एन्टी सोशल एलीमेंट्स जो लेट लूज हैं, जिनका काम तस्कर व्यापार करना है, इस तरीके से नाजायज कब्जा करना है, बेनामी काश्त करना हैं, हथियारबंद होकर उन लोगों को जो अदालतों में जाय तो रास्ते में रोकें ताकि वे बयान नहीं दें, इस तरह का इन्टीमिडेशन जगह जगह किया जा रहा है, इस प्रकार से शिकायतें सरकार को की गई। मेरे पास भी तार आया है, कुछ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लोगों की व्यक्तिगत शिकायतें आई हैं, सरकार को इन्टीमेट किया है, क्या सरकार ने ऐसे एन्टी सोशल एलीमेंट्स के खिलाफ कार्यवाही की है ?

अब तक मई का आधा महीना हो गया है। आपने उस जमीन को जो करीब राजस्थान कैनाल में अपने पानी की क्षमता के हिसाब से 5 लाख एकड़ जमीन एलॉट कर सकते हैं, आपके सिंचाई विभाग ने बयान दिया है, हम कहते रहे हैं कि यह जमीन है, पानी हम दे सकते हैं लो लेकिन आपने अलॉट नहीं किया। सिंचाई विभाग ने कोलोनाइजेशन विभाग पर आरोप लगाया है कि हमारे पानी का उपयोग कोलोनाइजेशन विभाग नहीं कर सका। तो मैं जानना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय कमेटी ने इस बारे में इम्मीजीएटली परमानेन्ट एलाटमेंट होने के बारे में और टेम्पररी एलाटमेन्ट हो सके सारी जमीन का अलग दो महीने में क्योंकि बारिस कम से कम 15 दिन पहले उम्मीद करनी चाहिए, इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है तो आप पहले से सोचें कि आपकी क्या तैयारी है, आप लोग किस तरह से परमानेन्ट एलाटमेंट कर सकें और बाकी को टेम्परेरी एलाटमेंट करेंगे। अभी तक आपने परमानेन्ट एलाटमेंट कमेटी जिसका वायदा किया था, घोषणा नहीं की है कि बनी या नहीं, हमें आफीशियल जानकारी तो नहीं है। उनकी जानकारी मिलनी चाहिए, कौन उसके सदस्य हैं, कब तक वह नियम बना देंगे आया उन रूल्स के बेसिस पर इस फैसले से पहले परमानेन्ट एलाटमेंट करने की स्थिति में होंगे या नहीं।

इसके अलावा, टेम्परेरी एलाटमेन्ट्स के जो पहले नियम थे उनमें क्या क्या चेंजेज के सुझाव दिए हैं इस उच्च स्तरीय समिति ने, वह सदन की मेज पर रखे जांय ताकि सदन उन पर विचार कर सके।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : कृषि मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उस बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो फैसले का कूंता किया गया है वह सही तरीके से नहीं किया गया है। फसल की पैदावार ज्यादा थी और मौके पर कम की गई। इसलिए जिन्होंने मिलकर काश्त किया, वह फसल उठा रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए और दुबारा विचार होना चाहिए।

दूसरा जो संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी ने उस इलाके में गड़बड़ियां कीं और उन लोगों के नाम से वहां पर जमीनें हैं और उन्होंने बड़ी जायदाद बनाई है ऐसे लोगों को वहां से हटाया जाना चाहिए क्योंकि वे ही लोग हैं जो शिकायत करने वाले लोगों को दबा रहे हैं इसलिए उनको वहां से सस्पेंड किया जाकर हटाना चाहिए। उनके खिलाफ पहले भी शिकायतें हैं। यह काम जो समिति कर रही है वह राज्य व जनता के लिए अच्छा है, इस प्रकार गलत काम करने वालों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक आप सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। इसके अलावा, आपने जो कमेटी की मियाद के बारे में 26 तारीख तय की है, यह बहुत बड़ा काम है और यदि हम सही माइने में जांच करवादें और जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं वह पकड़ में आ जायं तो भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदार अपने आपको कहाते आये हैं, हमारे सामने भी आपकी अब तक कोई गडबड़ी नहीं आयी है। इस कमेटी के चेयरमेन के नाते आपको सही तरीके से 6 महीने के लिये और इस कमेटी को चलाना चाहिये। व्यक्तियों की मार्फत केसेज रेवेन्यू अपीलेंट ओथोरेटी में गये हैं। कमेटी के पास ही रखने चाहिये थे ताकि उनको मौका नहीं मिलता। जो भी कार्यवाही करें कमेटी के मार्फत ही करें। इसका हाई पावर कमेटी नाम रखा गया है। नहीं तो अदालतें तो अपने ही तरीकों के माफिक फैसले करेंगी। इस वातावरण में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो सही तरीके से कार्यवाही करें। गंगानगर आन्दोलन में यह मांग थी कि जिन्होंने गड़बड़ की है उनको सजा मिलनी चाहिये। थोड़े दिनों की कार्यवाही में आपने काफी काम किया है। इस कमेटी के द्वारा बहुत कुछ काम किये जा सकते हैं और गलत तरीके से जिन्होंने जमीनें ली हैं उनका पर्दाफाश होगा और आयन्दा से कोई हिम्मत नहीं करेगा और जो प्रश्न पूछे हैं उनका आप उत्तर देंगे।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सभापतिजी, एक बात सरासर इस कमेटी की जांच से स्पष्ट हो गयी है कि गंगानगर जन आन्दोलन की मांग थी वह सही थी और उसका आधार सही था। कमेटी ने कुछ क्षेत्र में ही जांच की और उसका परिणाम मंत्रीजी ने बताया उससे स्पष्ट है कि गलत अलाटमेन्ट एक साला गलत नाजायज कब्जा करना, काश्त करने की सही साबित हुई। इसलिये आन्दोलन की असलियत स्पष्ट होती है।

दूसरी बात यह जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि आपकी कमेटी को जो काम सौंपा गया है इसकी मियाद थोड़ी दिन ही बाकी है, बाकी समय में सारा काम पूरा कर लेगी? नहीं कर पायेगी तो क्या होगा? आप कमेटी की अवधि को बढ़ाना पसन्द करते हैं और चाहते हैं तो आपके अन्दाज से कमेटी का काम आप कब तक पूर्ण कर सकेंगे?

तीसरी, मेरे पास भी ऐसे लोग आये हैं, जिनकी वहां पर काश्त है, एक एक मुरब्बा वाले लोग काश्त करते हैं, वे लोग आये उन्होंने बताया कि फसलें कुर्क की गयीं। अधिकांश लोग जो उससे सम्बन्धित हैं ट्रकों और ट्रेक्टरों में डाल कर ले गये और बहुत थोड़ी तादाद में रहे। आर. ए. सी. वहां बैठी है यह सही है और सुरक्षा की व्यवस्था भी की। उसके उपरान्त भी फसल लोग ले गये हैं और उन लोगों का वहां भारी आतंक है। जीपों में राइफल सहित वे लोग घूमते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उनको कुछ कह दें। इतना आतंक उनका आज से नहीं वर्षों से है। यह सारी स्थिति इसलिये हुई कि सरकार ने आज तक आंख बन्द रखी है, सुना नहीं और राजस्व अधिकारियों ने, निहित स्वार्थी लोगों ने, बड़े-बड़े स्मगलर और राजनैतिक लोगों ने मिल कर षड़यन्त्र बनाकर उस इलाके को लूटा है और आज भी वह इलाका उनकी लूट में है और गिरफ्त में है। मंत्रीजी क्या अपनी इस जांच से महसूस नहीं करते हैं कि इस प्रकार की आतंक की स्थिति बनी हुई है? उसको

(श्री दौलतराम सारण)

रफा दफा करने के लिये मंत्रीजी किस प्रकार की व्यवस्था सोचते हैं और करना चाहते हैं? यह भी जानना चाहते हैं कि आपने जो वक्तव्य दिया है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप कार्यवाही करने में कुछ असमर्थता महसूस करते हैं। असत्य स्पष्ट हुआ है, गैर जिम्मेदारी का काम आपके सामने आया है लेकिन कार्यवाही करने में आप अपने आपको असमर्थ महसूस करते हैं जैसा कि आपके वक्तव्य से झलकता है। आपको किसी कानूनी अधिकार की आवश्यकता हो तो आप तुरन्त इस सदन से प्राप्त करें लेकिन आपको अधिक सजग और सबल होकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

मेरे पास ऐसी शिकायत भी आयी है कि कुछ इस कमेटी के सदस्य आप की जांच में बाधक बन रहे हैं और वे भी लोगों को संरक्षण देते हैं। इस प्रकार की आपत्ति भी आपके सामने कुछ लोगों ने पेश की है। मैं जानना चाहता हूं कि कमेटी के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में और कार्य में व्यवधान डालने की शिकायत आयी है या ऐसी शिकायतें आयी हैं जिनमें यह बताया गया है कि फसलें हटायी जा रही हैं या हटायी जा चुकी हैं? क्या अधिकारियों ने गलत तरीकों से रिश्तेदारों के नाम पर आवन्टन कराया? एक साला अलाटमेंट ही नहीं परमानेन्ट अलाटमेंट भी विशेष तत्वों को किया गया, उनमें भी बहुत तरह की फर्जी कार्यवाही की गयी। सदन में इस सम्बन्ध में कई बार प्रश्न आये हैं। इसमें काफी जांच की आवश्यकता है आप लम्बा समय जांच के लिये लें और मौके पर जायें और दूसरों को मुखबिर बना सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिये आप स्वयं जाकर कमेटी के द्वारा जांच की व्यवस्था करें तब जाकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी वरना आपने मुखबिर किसी को बनाया तो शिकायत वापिस ले सकेगा, डरा दिया जावेगा और पैसा देकर उसको किसी प्रकार मजबूर कर दिया जावेगा। इस प्रकार आपके सामने कठिनाइयां आवेंगी। जो समस्या आपके सामने है और जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं उनका आप उत्तर देंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं भी इस बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। यह जो समिति का निर्माण हुआ है इस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है और समिति के अध्यक्ष बहुत ही ईमानदार और निष्पक्ष हैं। यह कांग्रेस पार्टी भी मानती है और ओपोजिशन भी इस बात को मान्यता देता है। परन्तु इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिये इस समिति की बिलकुल इम्पार्शियल रिपोर्ट हो और जो जिम्मेदार हैं उनको उचित दंड मिले उसके लिये बहुत ही होशियारी से कदम उठाने होंगे और इसके लिये यह न सोचें कि कांग्रेस का कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी सम्मिलित हो, कोई कार्यकर्ता भी इसमें सम्मिलित हो, और कोई बड़े से बड़ा अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हो तो कार्यवाही न की जाय, किन्तु कार्यवाही निष्पक्षता से करनी है, जो भी दंड हो उसको दंड मिलना चाहिये। हम यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जन जाति को जमीन अलाट हो परन्तु उनको जमीन अलाट नहीं होती है और अधिकांश उसका दुरुपयोग करते हैं और प्रभावशाली लोग उसका लाभ

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

उठा लेते हैं। स्टेटमेन्ट मैंने भी सुना है और उसमें स्पष्ट आया है कि इस प्रकार के कसेज हुए हैं और जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। अनुसूचित जाति और जन जाति को वास्तव में जमीन अलाट नहीं हुई है और बेनामी ट्रांन्जेक्शन हुए हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो। अध्यक्षजी को कोई कठिनाई हो, वे कोई पावर असेम्बली से लेना चाहें तो असेम्बली पूरा अधिकार दे सकती है। मैंने भी यह सुना है और मालूम हुआ है कि जो फसलें कुर्क हुई हैं उसमें से फसल काट ले गये हैं और अपने प्रभाव और शक्ति से ले गये हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी प्रावधान है और उनको दंड देना चाहिए और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये कि समिति के निष्पक्षता से काम करने में विघ्न पड़े, बाधा पड़े, इसलिये पूरी शक्ति और ताकत से यह काम करना चाहिये। क्योंकि गरीबों को और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को सुविधा मिले यही मैं चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आप से यही जानना चाहता हूं आप तो अनुशासन प्रेमी हैं आपने कितने अधिकारियों को चार्ज शीट दी है? ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने इस तरह से अलोटमेण्ट किया है उनको एग्जेम्प्लरी पनिशमेन्ट मिलना चाहिए तभी जाकर उनको मालूम होगा।

श्री शंकरलाल : आपके आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं यह भी आपने देखा है?

इसके अलावा, डागाजी ने जो सवाल किया है कितने अफसरों के खिलाफ आपने एक्शन लिया है आपके आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं आपने जिन व्यक्तियों की फसलों को कुर्क किया जांच करने के बाद आपने क्या पाया क्या ज्यादातर लोग इसमें गंगानगर के ही थे या बाहर के भी लोग हैं ऐसे कितने व्यक्ति हैं? आपने अभी तक गंगानगर जिले के राजनैतिक नेताओं राज्य मंत्री इनके रिश्तेदार जिन्होंने सैकड़ा बीघा जमीन अपने कब्जे ले कर अपने पद का दुरूपयोग किया है, आप पर ये लोग राजनैतिक दबाव डाल रहे हैं कि आप जांच न करें आखिर इन व्यक्तियों की भूमि के बारे में आपने जानकारी की है? क्या जानकारी से आपको इनके नाजायज कब्जे मिले हैं? क्या आपने इस बात की जांच भी करवाई पटवारी, कानूनगो तहसीलदार जो उस इलाके में लगे हुए हैं वे कितने सालों से उसी जगह पर हैं उनका तबादला क्यों नहीं होता है? ऐसे तहसीलदारों और पटवारियों ने जिन्होंने जमीन दी है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

इसके साथ-साथ, मैं एक जानकारी और चाहूंगा कि जिनकी फसलें कुर्क की जा रही है क्या यह सही है कि जिनको आपने उनकी निगरानी के लिये नियुक्त किया उनकी निगरानी से ही फसलों को लोग ले गये हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा गंगानगर जिला इतना बड़ा जिला है जिसकी भूमि के बारे में एक साथ जानकारी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

नहीं की जा सकती इसलिये टैस्ट केस के रूप में कुछ मामले ले रहे हैं इससे तो यह प्रतीत होता है आप जिन मामलों को लेना चाहेंगे वे ही लेंगे इससे आप उनको छोड़ना चाहते हैं। आप पर दबाव भी आ रहे हैं मुख्य मंत्री महोदय का दबाव भी आ रहा है ताकि आप उनकी जांच नहीं कर सकें इसीलिये आप टैस्ट रूप में कुछ मामले ही जांच के लिये लेना चाहते हैं अगर यह मन्शा है तो गंगानगर जिले के अन्दर भूमिहीन किसानों को जो जमीन मिलनी चाहिये वह मिलेगी नहीं। आप राजनैतिक दबाव के कारण जिन लोगों की भूमि छीनना चाहेंगे वह छीन नहीं पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं सिर्फ आपसे दो ही सवाल करना चाहता हूं पहला तो यह कि कोलोनाइजेशन कमिश्नर ने इस जांच कमेटी को सहयोग देने से इन्कार किया क्या यह भी सही है कि पहले दिन जब जब कमेटी की मीटिंग हुई उस दिन कमिश्नर कोलोनाइजेशन नहीं आये ? क्या यह सही है आपने उनका ट्रान्सफर भी कर दिया ट्रान्सफर भी काफी समय के बाद किया यह इसलिये किया कि उन्होंने इस कमेटी को सहयोग नहीं दिया ? इसके सिवाय और कोई कदम आप उठाना नहीं चाहते ?

वहां के तहसीलदार और रेवेन्यू अधिकारी से रेकार्ड मांगा गया पहले दिन तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया उसके बाद दबाव डालना पड़ा तब रेकार्ड सामने आया। ऐसी सूरत में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कमेटी ने क्या कदम उठाया है ?

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : रेवेन्यू अपिलेट ओथोरिटी को केवल अपील सुनने का अधिकार है वे इस प्रकार की अपील नहीं सुन सकते ? यह हाई पावर कमेटी के खिलाफ रेवेन्यू ओथोरिटी को क्या अधिकार है अपील सुनने का ? इसके अलावा, रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी ने सीधे सीधे ही आर्डर भेज दिया तहसीलदार ने उसका तामील कर दिया आपने रेवेन्यू ओथोरिटी और तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही की ?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : हाई पावर कमेटी एक्शन लेती है अफसरों के खिलाफ जमीन कब्जे के खिलाफ यह कानून से कहां तक उचित है ? जो लोग कोर्ट में जायेंगे क्या फिर आपका एक्शन ठीक रहेगा।

राजवी **श्री रूपसिंह** : क्या इस हाई पावर कमेटी को यह अधिकार है क्या कि गवर्नमेंट सरवेंट की नाजायज हरकतों के बारे में एक्शन ले सकें।

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैं दो तीन बातें ही खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा टेम्परेरी कल्टीवेशन, जिसको आरजी काश्त कहते हैं उसके लिए भूमि पट्टे पर दी गई उसकी मियाद केवल एक साल के लिए होती है। इसलिए यह कहना कि टेम्परेरी कल्टीवेशन के बहुत से केसेज हैं आज उनका कुछ नहीं कर सकते। सब की मियाद गुजर गई है इस तरह से उसका ओटोमेटिक फैसला हो गया है इसलिये टेम्परेरी कल्टीवेशन में ज्यादा पड़ना ठीक नहीं होगा।

एक बात और निवेदन कर दूं जो इन-

(श्री शोभाराम)

फोर्मर थे हलफिया बयानों पर केसेज दायर हुये थे बाद में उसके लिये यह उचित समझा कि गवर्नमेंट की तरफ से प्लीडर पैरोकार जितने केसेज इस लेवल पर चल रहे हैं, हाई कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी तथा वहां डिप्टी कमिश्नर की अदालत में सरकारी वकील पैरवी करेगा यह स्टेप एक तरह से ले लिया गया है। जिन लोगों ने गलत अलोटमेण्ट किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। मैं समझता हूं थोड़े से समय में 16 हजार बीघा जमीन पर एक्शन हुआ। इसलिये हुआ कि करीब दस हजार बीघा पर से फसल पहले ही काट ली गई थी सरसों वगैरह पन्द्रह बीस रोज पहले ही काट कर ले गये थे। कमेटी अगर कुछ रोज और एक्शन नहीं लेती तो दस रोज बाद तो कुछ भी मिलने वाला नहीं था। बेशक जिन लोगों ने गलत अलोटमेण्ट किया सब-जुडिस जो मामले हैं, अगर फैसला बेनामियों के खिलाफ होता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात विचाराधीन हो सकती है। उसमें अलोटमेण्ट सही था या बेनामी था...

श्री शंकरलाल : नोन जुडिशियल केसेज हैं...

श्री शोभाराम : उसके बारे में तत्काल निर्णय लेना मुश्किल होगा। मैं जो मामले अदालतों के विचाराधीन हैं उनमें जाना नहीं चाहता। सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट इस तरह की उच्च स्तरीय अदालतों से फैसला हो जाता है उसके लिये स्टे आर्डर रिट पिटीशनों पर होता है, वह लाजमी मानना होता है।

एक प्रश्न और उठाया गया कानून की कमियों के बारे में। परमानेण्ट अलोटमेण्ट के रूल्स के अन्दर संशोधन करने के लिये कमेटी का निर्माण हो गया है जिसकी घोषणा भी हो चुकी है। हम यह चाहते हैं कि परमानेन्ट अलाटमेंट करने के लिये जो कमेटी है उसको हम अपने तजुर्बे के आधार पर लिखें जिन्हें कमेटी ध्यान में रखे ताकि आइंदा गलती न हो। अब प्रश्न यह है टेम्परेरी कल्टीवेशन के लिये आवंटन किया जावे। मैं समझता हूं कि यह लाटरी सिस्टम के आधार पर होगा। इसकी प्रक्रिया और प्रायोरिटीज हमारे रूल्स में अच्छी तरह से डिफाइन्ड है। पहले जो गांव वाले काश्तकार हैं और जो भूमिहीन हैं जमीन पहले उनको मिलेगी। उसके बाद तहसील और उसके बाद जिले के भूमिहीन किसानों को जमीन दी जायेगी और उसके बाद अन्य जिलों के भूमिहीनों को। इसलिये यह कहना ठीक नहीं होगा कि हम दूसरे जिले के भूमिहीनों को जमीन नहीं देना चाहते हैं। अगर उस जिले के पूरे भूमिहीनों को सन्तुष्ट करने के बाद जमीन देने के लिये बचती है तो दूसरे जिलों के भूमिहीनों को जमीन अवश्य मिलेगी। यहां पर यह प्रश्न भी आया है कि 12 जो अनडिसक्लोज्ड बेनीफिशरी हैं, जिनकी तरफ बेनामी थे, कब्जा उनका था या नहीं यह सारा मामला विचाराधीन है। उन 12 आदमियों में से 2 बाहर के थे और बाकी गंगानगर जिले के ही रहने वाले थे। फिर भी यह कहना मुश्किल है कि वे किस जिले के हैं। क्योंकि आज तक उनका फैसला नहीं हुआ है। कूत का फैसला कोलानाइजेशन कमिश्नर द्वारा किया गया है। यह भी प्रश्न उठाया गया कि कमेटी की मियाद बढ़ाई जाये। प्रारम्भ

(श्री शोभाराम)

में कमेटी की मियाद 26 अप्रेल को खतम होनी थी इस पर कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने इसकी मियाद 30 जून तक बढ़ा दी है यदि आवश्यक समझा गया तो मियाद और भी बढ़ सकती है। सब से बड़ी बात टैम्परेरी कल्टीवेशन की है.........

श्री नत्थीसिंह : एक व्यवस्था का सवाल है। सरकार से कहेंगे, सरकार से सिफारिश करेंगे, परन्तु सरकार तो आप स्वयं हैं। आप हाई पावर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, सरकार के एक मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं। इसलिये आपको बता देना चाहिये कि बढ़ायेंगे या नहीं...?

श्री रामकिशन : आप से बड़ी सरकार कोई नहीं है। अगर कोई हो तो कहिये।

श्री दौलतराम सारण : वह कमरे में है और पान खा रही है।

श्री शोभाराम : ओ. एण्ड एम. के द्वारा ही कमेटी का निर्माण होता है और उसकी अवधि भी वही बढ़ाता है। प्रशासनिक डिपार्टमेंट अपने खुद के आर्डर से ही अवधि बढ़ा दे यह सही नहीं है।

एक्सचेंज के मामले, ट्रांसफर के मामले जागीरदारों को गलत अलाटमेंट हुआ हो रूल्स को बलाये ताक रख कर अलाटमेंट हुआ हो, किसी को धोखा देकर अलाटमेंट हुए हों, गलत ढंग से, नियमों के विरुद्ध अलाटमेंट हुए हों, यह सारे केसेज कमेटी के सामने विचाराधीन हैं। इनको दो प्रकार से देख रहे हैं। एक दृष्टिकोण तो यह है कि मौजूदा कानून में जो खामी है उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं और दूसरा यह है कि अमेंडमेंड के द्वारा गलतियों को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ आरोप आपने लगाये हैं मेरे ऊपर कुछ लोगों की तरफ से कि किस प्रकार का दबाव आया कमेटी के अन्य सदस्यों की तरफ से, मैं समझता हूं कि यह सारी गलत बातें हैं। जहां तक अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का सवाल है, इनमें कुछ ऐसे केसेज हैं जो कि टैम्परेरी कल्टीवेशन के अलाटमेंट से ताल्लुक नहीं रखते हैं। कुछ केसेज तहसील कोलोनाइजेशन की तरफ से मेरे सामने हैं। मैं इसकी छानबीन कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस विषय में जितनी कार्यवाही की आवश्यकता है वह सख्त से सख्त की जावेगी। दूसरी बात लोगों को डराने धमकाने की है, समिति के सदस्यों के सामने जो कुछ उनके ख्याल में रिएक्शनरी लोग थे उन्होंने क्या किया। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य, जो जिस दल के हैं वे यह अहसास करते हैं कि यह संघर्ष है और इस संघर्ष के अन्दर सभी प्रकार के लोग हैं, दल है। जैसी कि माननीय सदस्य की मान्यता है एक तरफ वे हैं जो आज तक समाज के अन्दर एक्सप्लाइटेशन करते रहे हैं और दूसरी तरफ वे हैं जो कि शोषित हैं जिनका कि निरन्तर संघर्ष चलता रहेगा। मैं समझता हूं कि यह बात यहां पर भी रिफलेक्ट करती है। कई प्रकार के एक्शन्स हैं जो लिये जावेंगे। कमेटी के सदस्य जिनको कि तरफ इशारा था वे डरने वाले नहीं हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संदर्भ में नाना प्रकार की चर्चाएं होती हैं, उनका कोई महत्व नहीं

(श्री शोभाराम)

है । जहां तक हमारे नोटिस में चोरी का कोई मामला लाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाती है । जो फसलें हमने कुर्क की हैं उनको उठा कर यदि कोई ले गये हों या उसकी चोरी की गई हो, इस प्रकार के जितने भी केसेज हमारे नोटिस में लाये जायेंगे उन पर कार्यवाही की जायेगी और पूरी छानबीन की जायेगी ।

मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर कूंता फी बीघा करीब 82 किलोग्राम आता है । हाईकोर्ट ने राजा राम के केस में कूंते के आधार पर फसल को रिहा करने के आदेश दिये हैं और वही अच्छी माकूल जमानत पर, परन्तु जमानत देने के लिए अभी कोई नहीं आया है । यह इस बात का द्योतक है कि कूंता ठीक हुआ है ।

आरंजी काश्त के बारे में मैं यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि सन् 55 और 60 के बीच में किसी भी समय से अब तक जो काश्त करते आये हैं अथवा सन् 67 से लगातार पट्टे पर काश्त करते आये हैं उन सब को पट्टों का नवीनीकरण कर दिया जायेगा और शेष लोगों को लाटरी द्वारा ही आवंटन होगा और वह भी एक वर्ष के लिए । ....

कुछ बातें ऐसी हैं; जैसा भरतपुर। से आने वालों ने उठाई हैं । उन बातों का जिक्र करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम काम करना चाहते हैं, झगड़ना नहीं चाहते ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी सु.) : आपने घोषणा की थी कि परमानेन्ट अलाटमेंट हरिजनों को जमीनों का किया जावेगा गंगानगर में । उसका आपने उत्तर नहीं दिया ।

श्री सभापति : आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करेंगे तब ये बातें आ जावेंगी ।

श्री जयनारायण सलोदिया ।

श्री लादूराम सुलानियां : जिनकी एप्लीकेशन पेण्डिग हैं उस जमीन पर हिस्सा नहीं, लेना देना नहीं, और आप उन हरिजनों से वादा करते हैं फिर जमीनें क्यों नहीं दी गईं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): केवल संक्षेप में ही कुछ निवेदन करूंगा कि आखिरकार सरकार ने जो व्यवस्था हरिजनों के लिये की है उसको कार्य रूप में कब परिणत करेंगे । सरकार उत्तर देती है, विचाराधीन है, परिणत कर देंगे, और दूसरी जो कुछ भी अनियमितताएं की गई हैं, रिश्वतों का बाजार गर्म है वह सब चल रहा है आखिर इन गरीबों के लिये भी तो व्यवस्था का जो आश्वासन सरकार ने दिया है उस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को क्या कहना है ?

श्री शोभाराम : मैंने निवेदन किया कि हमने फैसला कर लिया । कार्यवाही शुरू है कि जो पिछली पेण्डिग एप्लीकेशनें थीं जो नये कानून के मुताबित लाटरी सिस्टम से गांव वालों को देने के बाद दूसरे गांव में जावेंगे । पांच चार रोज में टेम्परेरी कल्टीवेशन का सवाल है वह तो शुरू हो जावेगा पर परमानेन्ट का आवंटन करेंगे उसमें भी हरिजनों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमने यह भी सुना है कि आपने केवल सात हजार एकड़ जमीन ही देना तै किया है। एक लाख का वादा फिर क्यों करते हैं ?

श्री सभापति : कटौती की है या नहीं की ?

श्री शोभाराम : एक लाख एकड़ जमीन मिलेगी मैं समझता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : प्रायोरिटी का मतलब क्या ?

श्री शोभाराम : प्रायोरिटी का मतलब जैसे एक तरफ से गांव में जब तक हम लेंडलेस को जमीन नहीं दे पाते तब तक दूसरे गांव वाले को नहीं देंगे और जो हरिजनों की आबादी गांव में और आसपास होगी उनमें साथ के साथ वास्तविक रूप से जिनके पास भूमि नहीं है उनको देने के बाद ही बचती है तो दूसरे गांव वालों को मिलेगी इस तरह से काफी मात्रा में जमीन हरिजनों को दे पावेंगे।

श्री सूरजमल : यह प्रायोरिटी जो है इस एक लाख एकड़ सुरक्षित जमीन के अलावा में भी है क्या ?

श्री शोभाराम : सभापतिजी, एक बात अर्ज कर दूं। टेम्परेरी कल्टीवेशन में एक साल में दो लाख बीघा जमीन पड़ी है। इसमें से कुछ तो परमानेन्ट अलाटमेंट में उनको चला जावेगा जिनका दस पन्द्रह सालों से कब्जा था बाकी टेम्परेरी कल्टीवेशन में करीब 1।। लाख एकड़ से ज्यादा है फैसले के मुताबिक हरिजनों को मिल सकेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट वर्ष 1967—68 (सत्रहवीं रिपोर्ट) भाग एक और दो पर चर्चा।

श्री जयनारायण सालोदिया(निवाई): सभापति महोदय, मैंने 15 तारीख को निवेदन किया था उसके आगे संक्षेप में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मेरी पार्टी के भी और उधर से भी बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हम हर साल इस रिपोर्ट पर विचार विमर्ष करते हैं। लेकिन सरकार पर इसका कोई असर होता है ऐसा प्रतीत नहीं होता।

जोशी जी बड़े एक्टिव होकर नोट करते हैं, और बड़े लम्बे चौड़े आंकड़ों द्वारा और लिस्ट द्वारा प्रगति दिखाते हैं। हर साल और और उनके आंकड़ों द्वारा दिखाई गई प्रगति को नापा जावे उसकी टोटल लगाई जावे तो आज पिछड़ी जातियां इतनी उन्नत हो जानी चाहिये थीं कि इस विभाग की आवश्यकता ही नहीं रहती। बेकवर्ड के बजाय इस जाति को फोरवर्ड हो जाना चाहिये था। इतना रुपया और काम इन्होंने किया है कागजों में कि आज 22 साल के बाद बैकवर्ड कहलाने का अधिकार नहीं है। पर मैं निवेदन करूं जोशी जी, यह कोरा आपका भ्रमजाल है, कागजों का और आंकड़ों का मायाजाल है और इसी के आधार पर हर साल ऐसी बातें आप करते हैं।

लोकसभा में वहां के सदस्यों की एक समिति बनी हुई है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की इस रिपोर्ट के बारे में जो बातें और सिफारिशें की गई हैं उ

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पर सरकार कितना अमल करती है इसकी देखभाल करने के लिये चौकस रखने के लिये संसद को अपनी अलग से रिपोर्ट देती रहती है उसी तरह की कमेटी राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की भी बननी चाहिये । इस तरह की कमेटी इस काम के लिये विधान सभा के अगले सैशन में ही निर्मित हो जानी चाहिये ।

जैसा मैंने निवेदन किया हर साल सरकार का जो प्रगति विवरण होता है उसमें इस तरह के आंकड़े होते हैं जो सरकार के लिये प्रोपेगेण्डा का काम देते हैं । पर मैं निवेदन करूं कि सरकार इस तरह का सर्वे भी करावे कि राजस्थान भर में कितने लड़के अनुसूचित जाति और जन जाति के पढ़े लिखे हैं, कहां तक पढ़े लिखे हैं, क्या क्या काम करते हैं, कहां कहां उसको लगाया गया है और कितने कितने हर साल बेकार होते जा रहे हैं, कितने उनमें से उद्योग धन्धों में लगे हैं और क्या क्या उनकी स्थिति है ।

(2.49 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

उनको काम देने की भी एक योजना तैयार की जावे । तो इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे होच पोच तरीके को छोड़ देंगे तो विश्वास है मुझे दस पांच सालों में सबको काम दिलाया जा सकेगा । आज ऐसी कोई योजना या योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हो रहा है ।

सरकार रिजर्वेशन की बात करती है । पर हर साल बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि ही होती जा रही है । इसका क्या क्या कारण है ? सरकार प्रयास करती जाती है फिर भी बेकारों की संख्या घटती नहीं, बढ़ती ही जाती है । इसलिये कहता हूं कि इस तरह का सर्वे कराया जावे और एक योजना बनाई जावे फिर उस पर दृढ़ता से अमल किया जावे ।

उसी तरह से मैं दूसरा और निवेदन कर देना चाहता हूं इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, कि आप कृषि में बेकारी का सर्वे कराइये कि कितने कृषि पर आधारित लोग हैं, कितने लोग कृषि करना चाहते हैं, कितनों के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है, कितनों के पास सीलिंग से कम है, कितनों के पास बिल्कुल जमीन नहीं हैं और दूसरों के यहां काम करते हैं । इस तरह का सर्वे करायें और उनके लिए योजना बनायें । जंगलात से जमीन निकाल कर और चारागाहों की ज्यादा जमीन निकाल कर उस खाली जमीन का पूल बनाकर जितने लोग भूमिहीन हैं उन सब को भूमि पर काम करने के योग्य बना सकते हैं । इस तरह के कार्य के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं जिससे रोज रोज यह बात कहते हैं कि इतने लोगों को इतने एकड़ जमीन अलाट कर दी है, लेकिन वास्तव में अनुसूचित जातियों के पास आज भी जमीन नहीं है और दूसरों की जमीन पर खेती करते आये हैं, वह शिकायत मिट जायगी । आपके विभाग में कहीं न कहीं खामी है जिससे कि कर्मचारी और अधिकारी आंकड़े बढ़ाते जाते हैं और भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जाती है । इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वे कराके योजना बनायें कि अमुक समय में सब लोगों को जमीन मिल जाय ।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब हम पढ़े-लिखे नहीं थे तब सरकार ने यह घोषणा की थी साढ़े बारह परसेन्ट का रिजर्वेशन किया जाय। सरकार ने यह कहा कि साढे बारह पर्सेंट हर स्तर पर लोग नहीं आये और आदमी नहीं मिलते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों उन लोगों में पढ़ने का शौक पैदा हुआ और वे लोग मेहनत करके पढ़े तो अब स्थिति यह हो गई है कि वे दफ्तरों की ठोकरें खाते फिरते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। मेट्रिक्यूलेट, इन्टर, बी.ए. पास को चपरासी की नौकरी भी आज नहीं दे सकते हैं। हम लोगों ने अपने पेट पर पट्टी बांध कर अपने बच्चों को पढ़ाया था वह इस आशा से पढ़ाया था कि ये पढ़ कर हमारे समाज को ऊंचा करेंगे और मां-बाप को आराम से रोटी मिलेगी। लेकिन स्थिति उल्टी हो गई है कि आज उनके घर बिकने को हैं। वे मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। आप उनको नौकरी नहीं दे सकते हैं और आपने निकम्मे लोगों की फौज खड़ी कर दी। आपने घोषणा की कि साढ़े बारह परसेन्ट से बढ़ा कर 28 परसेन्ट नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे, लेकिन उसके दूसरे दिन ही आपने नौकरियों पर बान लगा दिया। चौबेजी छब्बेजी बनने गये थे और दूबेजी ही रह गये। वह साढ़े बारह परसेन्ट भी पूरा नहीं किया। इस तरह की चाल आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के साथ की है। आपने बान लगाया क्योंकि आपकी भूखी सरकार है, दिवालिया सरकार है। आप लोगों को नौकरी में भर्ती नहीं कर सकते हैं और जो भर्ती किये हुए हैं उनको तनख्वाह समय पर नहीं देते हैं। यह हम जानते हैं। आप बान रखना चाहते हैं तो अन्य लोगों के लिये बान लगायें, लेकिन जब तक हर सेक्टर में उस अनुपात से अनुसूचित जाति के लोग कम हैं और 28 पर्सेन्ट में अगर कमी है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की भर्ती चालू रखें, जब तक कि वह कोटा पूरा नहीं होता है। तो आप पढ़े-लिखे बेकारों की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से अगर कहीं किसी को नौकरी मिल जाती है तो उसके साथ में दफ्तरों में भेदभाव होता है, छुआछूत होती है और उसको प्रमोशन नहीं होने देते हैं। उसका बराबर ट्रान्सफर किया जाता है। यह सरकार की नीति है। उससे परेशान होकर उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है या उनके घरवालों को परेशानी उठानी पड़ती है। एक आदमी को कभी बाड़मेर भेज देते हैं, कभी गंगानगर भेज देते हैं और कभी जैसलमेर भेज देते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति के द्वारा कुछ प्रतिशत लोगों को ही नौकरी मिलती है उनको बड़े बड़े अफसरों द्वारा परेशान किया जाता है। उसके लिए आपके डिपार्टमेंट में ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि आप जिस डिपार्टमेंट में वह नौकरी करता है और उसको तंग किया जाता है तो उनकी आप मदद कर सकें।

एक बात आपकी मार्फत मैं, माननीय सभापति महोदय, और निवेदन कर देना चाहता हूं पंचायतों के सम्बन्ध में। हर जगह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के लिए रिजर्वेशन है। लोकसभा में रिजर्वेशन है, विधान सभा में रिजर्वेशन है,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पंचायत समितियों में रिजर्वेशन है, जिला परिषदों में रिजर्वेशन है, म्युनिसिपेलीटीज में रिजर्वेशन है, लेकिन पंचायत ही एक ऐसी जगह है जहां पर उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। एक आदमी को रिजर्वेशन के आधार पर नियुक्त कर देते हैं या उसको रख देते हैं इस तरह से नहीं हो लेकिन मेरी यह मन्शा है कि अमुक वार्ड से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाती के लोग ही जायें, उनके लिए अलग कन्स्टीटुएन्सी का निर्माण कर देना चाहिए जिस तरह से पंचायत समिति और जिला परिषदों में रिजर्वेशन कर रखा है, उसी तरह से पंचायतों में रिजर्वेशन होना चाहिए। इस तरह की आप घोषणा कर दें जिससे कि रिजर्व्ड जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकें ताकि यह परिस्थिति बन सके कि वे प्रमुख आदि बन सकें। यदि इस तरह की प्रक्रिया अपनायेंगे तो फिर उन लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और यह एक अच्छा तरीका भी होगा। लोकसभा, विधान सभा आदि सब जगहों में रिजर्वेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो पंचायतों और पंचायत समितियों में अमुक एरिया को रिजर्व्ड एरिया घोषित कर दें कि अमुक एरिया में से अनुसूचित जाति या आदिम जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो उन लोगों का हित हो सकेगा, क्योंकि प्रगति के जो रास्ते हैं वे पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद ही हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से यदि आप उन लोगों के लिए रिजर्वेशन करेंगे तो कोई बात होगी।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं साथ में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो अर्ध सरकारी बोर्ड हैं उनमें सरकार जो नामजदगी करती है क्योंकि उसमें सरकार का पैसा लगा होता है तो उनमें भी इन लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लोक सेवा आयोग, विद्युत मण्डल आदि इस तरह की पचासों संस्थाएं हैं जिनमें आप आदमी नियुक्त करते हैं और पैसा खर्च करते हैं, उनके द्वारा राज्य का बजट खर्च किया जाता है। हजारों लाखों रुपया उनमें खर्च करते हैं। ऐसे अर्ध बोर्डों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाय तो वे उन लोगों के हकों की रक्षा कर सकेंगे उनको ऐसे बोर्डों में नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वहां पर बैठकर हम लोगों के हकों की वे रक्षा कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं प्रमोशन और कन्फरमेशन के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। भारत सरकार और कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के नियम हैं कि जब आप नौकरियों में रिजर्वेशन रखते हैं तो कन्फर्मेशन और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : एक व्यवस्था का सवाल है, सभापति महोदय।

(3 म. प.)

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, आज शिड्यूलकास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। इसलिये मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि सम्बन्धित मन्त्री और दूसरे मन्त्रियों को यहां पर रहना चाहिये।

श्री सभापति : यह अकेले ही बहुत हैं राज्यमन्त्री बैठे हैं।

श्री श्रवणलाल : शिक्षा चिकित्सा आदि सभी से सम्बन्ध आता है। सभी को यहां रहना चाहिये। रिपोर्ट पर बहस है। मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूं कि माननीय मन्त्री हरफन मोला हैं। यह सब जानते हैं।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय ··

श्री लादूराम सुलानियां : आसन से क्या व्यवस्था हुई है ?

एक माननीय सदस्य : आसन से आदेश हुआ है कि वह हरफत मौला है।

श्री जयनारायण सालोदिया : उनके लिये रिजर्व होनी चाहिये। अगर आप नौकरियों में रिजर्वेशन रखते हैं तो उनको प्रमोशन और कन्फर्मेशन में भी रिजर्वेशन रखना चाहिये। सभापति महोदय, मैं जमीन के एलाटमेंट के बारे में कहूंगा। यहां पर मुख्यमन्त्री महोदय ने सीना तानकर कहा था कि हम एलाटमेंट करेंगे। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। न जमीन मिली और न कब्जा मिला। बिल्कुल सच कहता हूं। किसी को अलाटमेंट हो गया तो कब्जा नहीं मिला। वह लाठी लिये बैठे हैं कि एलाटमेंट तुम्हारे नाम हो गया होगा तो हो गया होगा। हम तो 5 साल से खेती करते हैं। आपके समाज कल्याण अधिकारी जिलों के अन्दर बैठे हैं। वह किस मर्ज की दवा हैं। उनके पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिये। तहसीलदार के पास जाकर सम्पर्क करें। तहसीलदारों के पास कार्यक्रम बनायें। उनको कब्जा दिलावें। होता क्या है, आपने परिपत्र जारी कर दिया उन्होंने उठाकर कूड़े की टोकरी में डाल दिया तहसीलदारों को यह पता नहीं है कि कितनी जमीन कितने नम्बर की बकाया है। सरकार की घोषित नीति के प्रतिकूल काम हो रहा है इसलिये इस पर दृष्टि डाली जानी चाहिये मैं एक दृष्टि में छात्रवृत्ति के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं। छात्रवृत्ति का मामला बहुत ही उलझन पूर्ण है। बहुत ही उलझन पूर्ण तरीका है। मैं निवेदन करूंगा कि कई प्रकार की छात्रवृतियां हैं, 4/5 प्रकार की छात्रवृतियां आप देते हैं। आप दो प्रकार की छात्रवृत्तियां दीजिये। कई प्रकार की छात्रवृत्तियों में अलग अलग फार्म हैं। कोई लड़का या लड़की यह नहीं जानता है कि उसे किस छात्रवृत्ति के लिए किस प्रकार का फार्म भरना चाहिये। जो लड़का या लड़की पास हो जाते हैं। उसको नौकरी नहीं मिलती है। आपने उसमें 55%या 52% का झगड़ा डाल रखा है। उनको ही छात्रवृत्ती दी जावेगी, यह गलत है। पास होने वाले छात्र अगर वह नौकरी में जा सकते हैं, उपर की क्लास में जा सकते हैं तो क्या कारण है कि उनको छात्रवृति न दी जाये ? पहले शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ती बांटी जाती थी, उसमें गड़बड़ होती थी। अब कुछ सन्तोष है। अब मैं यह कहूंगा कि छात्रवृत्तियों का सारा काम आप अपने विभाग द्वारा कीजिये। आप अपना हिस्सा पचायत समिति को बांट देते हैं। काम नहीं होता है। पैसा वापिस आ जाता है। दूसरे कामों में खर्च हो जाता है। मैं यहां उदाहरण दे सकता हूं। कि पैसा दिया है, वह पंचायत समिति ने मास्टरों की तनख्वाह में बांट दिया है। इस लिए मैं कहूंगा कि यह आपके द्वारा होना चाहिये। जो अन्य जरूरी मुद्दे हैं थोड़ा बहुत उनको पूरा किया जावे। जितने लोग परीक्षा में पास हों उनको सबको छात्रवृत्ति देंगे तभी कुछ हो सकता है।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से छात्रावासों की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कितनी ही बार हाउस में चर्चा होती है। एक परेशानी छात्रावास चलाने वालों की ओर से भी होती है। कुछ भरती करने वालों की ओर से होती है। इसलिये आप इस फार्मूले में सुधार कीजिये जिससे न संस्था वालों को परेशानी हो और न छात्रावास वालों को हो। संस्था के कार्यकर्ता अलग से परेशान करते हैं। उनको वह अपनी दुकान समझ बैठे हैं। वह जीपें खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं और छात्रावास चलाते हैं। इन संस्थाओं के छात्रावासों द्वारा छात्रों का शोषण होता है। छात्रों को जो मदद मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। लेकिन मैं समय की कमी के कारण उदाहरण पेश नहीं कर सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की मकानों की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : गला सूख गया है, पानी चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदय, मुझे तो डर लगा जब डागा साहब हाउस में पधारे। लगा कि अब कुछ न कुछ खुराफत होगी।

मकानों के लिये सरकार ने घोषणा की थी। 2 हजार रु० में कर्ज के जरिये से करायेंगे। लेकिन न समय पर नियम बन सके। न प्रेसक्राइब्ड फार्म तैयार कर सके। मकानों की सहायता का जो कार्यक्रम था वह भी कुछ इस प्रकार से होचपोच की दृष्टि से चला। गत साल निवाई तहसील के कुछ लोगों को मकान सहायता का पैसा मिला। उसमें कुछ लोगों ने शिकायत की। आपने फौरन तार द्वारा उसको रुकवा दिया। उसके बाद जब आपने जांच करवाई, उसके बाद फिर जांच करवाई, उसके बाद मामला सही होने पर आपने वह पैसा रिलीज किया अब उसी को टुकड़े टुकड़े में दो ग्रुप में पैसा दिया है, जो आप मानते हैं खुद, एक ग्रुप था जो मैंने रिकमन्ड किया था, दूसरा ग्रुप था जिसे आपके कमीशन ने रिकमन्ड किया"

श्री मूलचन्द डागा : सालोदिया जी का गला सूख गया है, थोड़े पानी की व्यवस्था कर दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : आपको इस बात की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। वह खुद व्यवस्था करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : जितने भी पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं उन सबको चिन्ता करने का अधिकार है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): आप नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सालोदिया साहब तो हिमायती हैं लेकिन आप तो जमीन लूटने वाले हैं।

श्री जगन्नाथ : नहीं नहीं। जमीन यह नहीं लूटते हैं, इनके पिताजी लूटते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदय, मैंने निवाई तहसील के फार्म्स पेश किये थे। उसके लिये नियम यह रखा था कि जहां पर ज्यादा फार्म्स हैं वहां पर कम फेसेलिटि दें और जहां पर कम फार्मस हैं वहां ज्यादा फेसेलिटि दें। जहां के नौ फार्म्स थे, वहां के पच्चीस फार्म पास किये और जहां के पच्चीस फार्म थे वहां के नौ पास किये। यह आधार आप मानते हैं। यह उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था। दूसरी बात जो फार्म्स के सम्बन्ध में है वह यह है कि जो सरकारी आदमी हैं, जो समाज कल्याण विभाग के होस्टल के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, उन आदमियों को पावर देकर आप वहां पर राजनैतिक आधार पर राजनीति चलाना चाहते हैं। यह बहुत बड़े दुःख की बात हैं और यह बात मुझे बड़ी परेशान करती है। उस आदमी ने जो गये साल एप्लीकेशन्स दी हैं, उनकी तो तार के द्वारा आपने स्वीकृति दे दी। आर्डर दे दिया। लेकिन मैंने नहीं दूसरे आदमियों ने जो एप्लीकेशन दी और जिनके बारे में इस असेम्बली में प्रश्न किया उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। आप अपने को निष्पक्ष आदमी कहते हैं, आप रोज एक घण्टे भगवान को घिस्सा देते हैं। तो जो इस तरह से भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति है वह इस तरह से लोगों को धोखा दे तो भगवान में आस्था रखने से क्या होगा आप समझते हैं कि यह जानकारी हमारे पास नहीं है कि आप किस तरह दफ्तर के कर्मचारियों में राजनीति चला कर आप मेरे प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप कहीं पर भी जाकर भाषण दे आयें, उसका मेरे पर कोई असर नहीं होगा और न हुआ है। आप दफ्तर के कर्मचारियों के द्वारा राजनीति चला कर मुझे डाउन करना चाहते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, उससे मेरी प्रगति ही होगी। मेरी ईमानदारी मेरे साथ है, इसलिए मेरी प्रगति होगी और आप डाउन होंगे। मैं जब भी आपको टेलीफोन करता हूं तो मालूम होता है आप भजन कर रहे हैं। मुझे तो आपसे नफरत हो गई है, आप भजन करते है या भगवान को घिस्सा देते हैं...

श्री दिग्विजय सिंह : इस कारण ही तो वहां बैठे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आज एक एक आदमी ने पांच पांच संस्था बना रखी हैं और एक का इस तरह का लेवल है, तो दूसरे का इस तरह का लेबल है। इनको चलाने वाला गवर्नमेंट सर्वेन्ट है या नेता हैं- यह आप जानें, लेकिन एक ही व्यक्ति ने पांच तरह की संस्था बना रखी है, वह पैसा खाता है और कहता फिरता है कि मैं तो मंत्री तक और समाज कल्याण विभाग के हर आदमी को पैसा पहुंचाता हूं, इसलिए मेरा तो काम होगा, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। इस तरह की निम्न बातें कह कर वह आपको बदनाम करे और इस तरह की बातें कहे उसको आप बर्दाश्त करें इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। मेरे जैसे निष्पक्ष व्यक्ति को भी यह सोचने को मजबूर कर दिया जाता है कि आखिर इसमें है क्या।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं तो एम एल. ए. हूं, जन प्रतिनिधि हूं मुझे को आप हाउस से हटा नहीं सकते हैं। मैं जिला परिषद् की मीटिंग में जाऊंगा, मैं एडवाइजरी कमेटी में भी जाऊंगा। आपको यह नहीं देखना चाहिए

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कि यह कौनसी पार्टी का आदमी है। तो मुझ को आप नहीं हटा सकते हैं लेकिन मेरे मुकाबले में जो आपके दफ्तर का आदमी है, जो सरकारी नौकर है, उसको आप ज्यादा इज्जत देते हैं और जो गलत और झूठे काम करता है उसको आप ज्यादा इज्जत देते हैं तो यह सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ घोटाला जरूरी है। वह आदमी हर जगह पर यह कहता है कि मेरा काम तो पैसे से होता है। मैं तो यह कहता हूं कि वह नेता है तो उसको नौकरी करने की क्या जरूरत है। मैंने उसको आपके सम्बन्ध में बातें करते देखा तो मुझे दुःख हुआ। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी उन सारे फार्म्स को मैंने देखा है, उस आदमी ने झूठे दस्तखत बना रखे हैं मेरे, और किसी से सौ, किसी से पचास, किसी से दस-इस प्रकार लोगों से पहले ही पैसा एडवान्स ले लिया है सारे फार्म्स पर। वह कहता है कि मैं तो ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूं तब फार्म्स पास होते हैं। इस आदमी ने प्रायोरिटी लिस्ट में भी चेंज करवाई। आपने कहा था कि एक से नौ तक फार्म पास करूंगा। मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से उसकी प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हुई है। बाद के आदमियों को मिला, इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ गड़बड़ी जरूर है ..

श्री सभापति : आप समाप्त कर दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : इन बातों के साथ मुझे बहुत गम्भीरता के साथ निवेदन करना है कि यह ऐसे लोगों का विभाग है जो गरीब हैं, जो बिना पढ़े-लिखे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है-आप उन लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ में राजनीति खेलते हैं, इस तरह की बात करते हैं-यह आपको शोभा नहीं देता है। आप इस पद का दुरुपयोग करते हैं। आप समाज कल्याण मंत्री होते हुए बिल्कुल इस तरह की बात करते हैं जो कि समाज कल्याण मंत्री को नहीं करनी चाहिए। मुझे, माननीय मंत्रीजी, बहुत दुःख है इस बात का कि मैं यह निवेदन कर रहा हूं लेकिन यह कटु सत्य है। इसके कारण एक तरफ डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, दूसरी तरफ आप खुद बदनाम हो रहे हैं। उसके बाद भी उस आदमी के मार्फत इस तरह के काम करते हैं...

श्री विशम्भर नाथ जोशी : आप अनुसूचित जाति के इस बात में विरोधी हैं कि उनको आर्थिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए, मकान सहायता नहीं मिलनी चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : बिल्कुल मिलनी चाहिए और इसी वक्त मिलनी चाहिए। लेकिन उनको मिलनी चाहिए जो गरीब हैं, जिन्होंने शिकायत की है कि प्रायोरिटी लिस्ट में नाम में चेंज हुआ है और दूसरे लोगों को मिली है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : आप भूल जाते हैं कि पिछली साल जो फार्म आपने रिकमन्ड किये थे, उनकी जांच की तो जांच करने के बाद कुछ लोगों के दो दो पक्के मकान पाये गये, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेन्ट करवाया ...

श्री सभापति : आप अपने जवाब में सब कुछ कह सकते हैं बाद में।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं निवेदन कर रहा था कि जब हमारे लिये जांच हुई तो उनके लिए जांच क्यों नहीं हो रही है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री विशम्बर नाथ जोशी : सरासर जांच होकर नतीजा आ गया है कि पिछली साल माननीय सालोदिया के रिकमन्ड किये फार्म में जो करार थी, वही इनमें है । तो मैंने कहा कि जब वही है तो कोई बात नहीं ! जैसा उनके साथ किया गया है, वैसा ही इसमें किया जाय ।

श्री जयनारायण सालोदिया : कोई जांच नहीं की गई । मैं चैलेंज करता हूं···

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या घर में जांच हो गई !

श्री सभापति : (माननीय मंत्री के खड़े होने पर) आप नोट कर लें, जबाब में कह दें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं निवेदन करता हूं, भविष्य में इस प्रकार की बात चाहते हैं, अगर आप सहयोग चाहते हैं तो जो आप किसी एम. एल. ए. को गैर जिम्मेदार समझते हैं और सरकारी अधिकारी को ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं ··

श्री सभापति : आप भाषण का समय ले रहे हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप मुझे जिम्मेदार नहीं समझते हैं तो नहीं समझें. लेकिन आप हमेशा वहां बने नहीं रहेंगे । खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि आप इधर बैठें ···

श्री विशम्बर नाथ जोशी : मोस्ट वेलकम !

श्री जयनारायण सालोदिया : आप इधर बैठें, तो आप ऐसी परिपाटी कायम न करें क्योंकि एम. एल. ए. एक लाख का प्रतिनिधि होता है, उसकी आवाज में जिम्मेदारी होती है, वजन होता है ।····

श्री सभापति : श्री जयनारायण !

श्री मूलचन्द डागा : श्री शंकर सिंह जी को मौका दीजिये । यह नये मेम्बर हैं ।

श्री सभापति : बिरदा राम ! अब के आपको चान्स दे देंगे ।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं पहले बोल चुका था लेकिन बीच में गड़बड़ कर दी ।

श्री सभापति : आप विराजिये । पूरा बाद में कर दीजिये ।

श्री बिरदाराम (जालोर सु.) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह रिपोर्ट दो तीन साल पहले की पेश हुई है यह आज हाउस में विचार करने के लिए आई है । मैं निवेदन करता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के उन लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन हैं, को जमीन मिलनी चाहिए । आज भूमिहीनों के पास में जमीन नहीं है, मैंने देखा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के पास एक एक बीघा जमीन है । सरकार के पास में जो जमीन, बंजर जमीन पड़ी हुई है, जो बीड़ में जमीन है, वह काश्त को

(श्री बिरदा राम)

जमीन में कन्वर्ट करके इन शिड्यूल्ड कास्ट्स को लोगों को दे दी जाय। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को सरकार जमीन एलाट नहीं करेगी तो इनको जमीन नहीं मिलेगी। पिछली साल सरकार का आदेश हुआ था कि इस साल शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जमीन मिलेगी लेकिन वह नहीं मिली है। इसलिए इस साल जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स को एलाट करके उनको जमीन दी जाय। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको दी जाय। काश्त के लिए जमीन, पीने के लिए पानी, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए झोंपड़ी की व्यवस्था सरकार की तरफ से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए जरूर होनी चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग गरीब हैं, वह दर दर भटकते फिरते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनकी जो जमीन पड़ी है उस पर कब्जा करने के लिए देते हैं तो उनकी रिपोर्ट होती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं तो उनका कुछ नहीं होता है। दूसरों का जो नाजायज कब्जा होता है उनसे वह कब्जा नहीं लिया जा सकता है। वह लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ सकते हैं, लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के पास जमीन नहीं है इसलिए वह चुप होकर बैठ जाते हैं। इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए जमीन काश्त और रहने के लिए जरूरी है, पीने के पानी की उनके लिए व्यवस्था करना जरूरी है और जो लोग बेकार बैठे हैं उनके लिए कानून बनना चाहिए कि रोटी और रोजी का प्रबन्ध उनके लिए होना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिली है। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि अभी जालौर जिले में कुछ लोग लिए लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के बी० ए० थे, मैट्रिक थे, उनको नहीं लिया गया। ऐसा अन्याय हुआ। हमने कहा शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को ले लो लेकिन नहीं लिया, सरकार को विचार करना चाहिए।

शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए सरकार की तरफ से 28 प्रतिशत की घोषणा की गई है। 28 प्रतिशत जरूर लेने चाहिए और जो बेकार हैं उनके वास्ते रोटी रोजी का प्रबंध किया जाय। सरकार ऐसी समिति बनाए जो देखें कि कितने लोग बेकार हैं। वह सरकार को रिपोर्ट दे, उसके अनुसार सभा में प्रबंध किया जाय।

शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को बिजली बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि आजकल बिजली महंगी मिलती है, उन लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, इसलिए उनको बिजली मिलना मुश्किल है तो वह कमेटी देखे कि उनके कुओं पर बिजली दी जाय। जिन कुओं में पानी नहीं है तो उनको गहरा कराने के लिए सरकार कर्जा दे और ट्रेक्टर्स व पम्पिंग सेट्स के लिए कर्जा दे, ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स वाला आगे बढ़ सके।

सरकार की तरफ से शिड्यूल्ड कास्ट्स के वास्ते कुछ छात्रावास खोले गए हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनका गुजारा भी हो सकता है तो सरकार की तरफ से और भी छात्रावास खुलने चाहिए। छात्रावासों में पढ़ाई लिखाई

(श्री बिरदाराम)

के लिए, खाने पीने के लिए सरकार प्रबंध करती है, बाकी व्यवस्था भी ठीक ढंग से होनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग पढ़े लिखे हों तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा छात्रावास खोलने चाहिए। जालौर में एक छात्रावास है शिड्यूल्ड कास्ट्स का। वहां और छात्रावास बनना जरूरी है। हमारे इलाके में एक छात्रावास तो 1967 से बंद हैं। वहां घोटाला है तो सरकार व्यवस्था करे और यदि कमेटी को कहो तो वह भी प्रबंध करने के लिए तैयार है।

दूसरी बात जो नगर परिषदें हैं, वहां भी जैसे यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के एम, एल. ए. हैं वैसे म्युनिसिपैलिटीज में जो कमेटी बनती है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक आदमी जरूर लेना चाहिए, तो वह गरीबों के लिए ध्यान देगा। जैसे पानी है, बिजली है तो गरीबों के लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी कमेटी में लिया जाय। जयपुर और जोधपुर में कमेटी बनी लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी नहीं। बड़े बड़े शहरों में नगर परिषदों की कमेटी में शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी लिया जाय और जहां समिति है और प्रमुख है, प्रधान है, उसमें भी शिड्यूल्ड कास्ट्स को लिया जाय।

चमड़े के काम करने वाले हैं उनके लिए सरकार ध्यान दे। यह उद्योग ज्यादातर मुसलमानों के हाथ में है। कानपुर है, कलकत्ता है, मद्रास है बम्बई है, आगरा है, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के हाथ में है और शिड्यूल्ड कास्ट्स के हाथ में है। राजस्थान में बाहर से माल ज्यादा आता है। वह गरीब कमाते हैं लेकिन पेट भर नहीं कमा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से बंदोबस्त किया जाय, उनको कर्जा दिया जाय, मशीन व दूसरे साधन मिलने चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वह उद्योग राजस्थान में रहेगा, बाहर से नहीं आएगा, यहां के बेकार आदमी रोटी रोजी कमायेंगे। तो सरकार को चमड़ा उद्योग में लोगों को कर्जा देना चाहिए।

सरकार ने जो कानून 28 पर्सेंट का बनाया तो कम से कम 28 पर्सेंट का कोटा माल का दिया जाय। सरकार नीति से काम करे, काम करने वाले बहुत हैं, कर्जा दिया जाय। सरकार कर्जा देगी, तो वह आगे बढ़ेंगे। शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले समझेंगे कि सरकार हमारी मदद कर रही है। यह समय है मदद करने का। हवा आती है तो रोकने से नहीं रुकती। तीर से तलवार से हवा नहीं रुक सकती। अभी जमाना बदला है धरती माता करवट बदल रही है। निचला पक्ष ऊंचा आता है और ऊंचा नीचे जाता है, यह नहीं समझना कि सभी दिन एक समान होंगे, नीचा नीचे ही रहेगा। राजा महाराजा थे, आज आपके बराबर आ गए है यह सत्य है। सरकार ने यदि ध्यान दिया तो हम समझेंगे कि हमें मदद दी है। यदि सरकार ने ध्यान दिया तो नीचा नीचे नहीं रहेगा।

श्री सभापति : भविष्यवाणी कर रहे हैं या समाज कल्याण की तरफ से बोल रहे हैं ?

श्री बिरदाराम : भविष्यवाणी समझो, कैसे भी समझो या समाज कल्याण समझो। ऐसा जमाना आने वाला है यह जमाना नहीं रहेगा।

श्री भवगलाल : अकाल का पैसा बोल रहा है।

श्री बिरदाराम : आप ज्यादा बोलो, बको, बाकी समझते कम हो। हमारी गरीबी थी। मजबूरी के साथ नहीं बोलते। आप ज्यादा बोलते हैं हम बोलते नहीं लेकिन हम समझते हैं कि कौन हमारा हमदर्द है कौन नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा कर्जा मकान बनाने के वास्ते दें। जैसे कोलोनी बसाते हैं। सरकार ने जो कोलोनीज बसायीं, उनमें सरकार ने कर्जा दिया। सरकार को यह सोचना चाहिये कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने मकान बने हैं। दो चारपाई से वहां अधिक नहीं रह सकतीं। वह कोलोनी है। सरकार ने घोषणा की थी कि 28 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए जरूर होना चाहिए। सरकार के छात्रावास हैं उनमें भी 28 पर्सेन्ट होना चाहिए। शिडयूल्ड कास्ट्स को अधिक से अधिक मशीनरी के लिये कर्जा मिलना चाहिये।

श्री सभापति : ये सब बातें तो आपने पहले ही कह दीं।

श्री बिरदाराम : नयी बात तो आसमान से लाऊंगा नहीं।

श्री सभापति : तो विराजो ?

श्री बिरदाराम : बात तो चलेगी वही आवेगी। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए मकान बनाना, कुआ बनाना ....

श्री सभापति: यह सब तो कह दिया।

श्री बिरदाराम : शिड्यूल्ड कास्ट्स गरीब हैं। दूसरों के पास साधन हैं। उसके पास हल, बैल नहीं है। बारिश होवेगी, हल बैल नहीं होंगे तो खेती कैसे करेंगे ? समाज कल्याण मंत्री को निवेदन करूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए जल्दी से जल्दी कर्जा दिया जाय और बीज वगैरह दिया जाय। बीज और हल बैल के बिना जमीन बोनी रह जावेगी। उनकी खेती ट्रैक्टर से करायी जाय उसका लाटा ले लिया जाय।

शिड्यूल्ड कास्ट्स के साथ में बहुत अन्याय होता है उसको सरकार को रोकना जरूरी है और समाज कल्याण मंत्रीजी का फर्ज है। कहां अन्याय हो रहा है, कहां जमीन है या नहीं, अलाट हुई है या नहीं, जमीन कौन काश्त कर रहा है, कौन बीगौड़ी भर रहा है, उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पटवारी को कोई पैसा दे देते हैं तो वह इधर उधर नपवा देता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शिड्यूल्ड कास्ट्स के साथ अन्याय होता है उसका रोका जाय। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लड़के स्कूलों में पढ़ते हैं। फर्स्ट डिविजन आ जाते हैं तो भी उनको इनाम नहीं मिलता है। शिड्यूल्ड कास्ट्स की वजह से छात्रवृत्ति देते हैं। दूसरी जाति वालों का फर्स्ट डिविजन आता है तो इनाम वगैरह मिलता है उसी प्रकार से इनको भी देना चाहिए। इस ओर ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे। वरना समझेंगे कि उनको छात्रवृत्ति तो मिलती है और इनाम नहीं मिलता है तो वे इस ओर अधिक सचेष्ट नहीं रहेंगे। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा इसलिए उनको इनाम मिलना चाहिए। यह भी निवेदन करूं कि जितने बड़े बड़े जिलाधीश, कलेक्टर सेक्रेटरी, आई. ए. एस. वगैरह हैं, उनमें भी इनको 28 पर्सेन्ट का कोटा दिया जाय। जो भी

Page No. 104

(श्री बिरदाराम)

जमीन सरकार उनको अलाट करे वह जल्दी से जल्दी उनको मिले और उनका कब्जा कराये। कई जगह जमीन पड़ी हुई है। बंजर जमीन पड़ी हुई है। काबिल काश्त में करते हैं। उनके विरुद्ध 91 के केसेज चल रहे हैं, उसकी कमी को पूरा किया जाय। इस प्रकार की कमेटी बनाय जो गरीबो की तरफ ध्यान दे। इतना ही कहता हूं।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट सन् 1968-69 को देखने से मालूम होगा कि योजना बनायी वह सुन्दर मालूम होती है। सुन्दरता तो तब ही रहेगी जबकि उसकी क्रियान्विति सुचारु रूप से की जाय।

अभी भूमि आवन्टन के लिये अनुसूचित जाति के लिये काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य सरकार की इसके लिये प्रशंसा की जानी चाहिये, इस्तमरारदारी और जागीरदारी के समय उन लोगों से बेगार ली जाती थी। अब उनकी समाप्ति के बाद उनके सुधार के लिये साधन जुटाये जाते हैं तो सरकार को भी अच्छी भावना रखनी चाहिये। जितनी बातें किताबों में लिखी हुई हैं उनको क्रियान्विति सही तरीके से करें तो काफी उत्थान हो सकता है लेकिन सरकार की कथनी और करनी को वास्तव में देखा जाय तो उसमें बड़ा अन्तर है और यह बिलकुल सत्य है। भूमि का अलाटमेंट सरपंच, तहसीलदार, विधान सभा सदस्य और प्रधान की सहमति से किया जाता है लेकिन उसको यह मालूम नहीं है कि कौन सी भूमि दी जा रही है। वह पटवारी के पीछे 2 फिरता है और वह टालमटोल करता है। मौके पर जाकर जमीन दिखा दी तो ऐसी होगी बंजर और पत्थर। स्वराज्य के पहले अनुसूचित जातियों के प्रति जो भावना थी वह मिटी नहीं है। अभी भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। माल गुजारी वे दे रहे हैं उनके कब्जे में जमीन नहीं है। आपके अधिकारी उनको ऐसी जमीन बतायेंगे, जहां जाकर वह उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं वहां डरा देते हैं। आपका पटवारी उस गरीब आदमी को हाथ पकड़कर जमीन दिलाने की कोशिश नहीं करता। किसी भी जगह मैं समझता हूं पटवारी या पुलिस द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को जमीन का कब्जा नहीं दिलाया गया। सदन में कोई भी माननीय सदस्य यह कहता हुआ नजर नहीं आया कि किसी भी जगह पटवारी ने हाथ पकड़ कर उनके लिये जमीन की व्यवस्था की हो।

बिजली के लिये भी यहां आश्वासन दिया गया था कि इन जाति के लोगों के घरों तक बिजली मुफ्त में पहुंचायी जायगी। इसके साथ साथ उनके लिये भवन निर्माण के लिये पैसा दिया जायगा। जिस गांव में बिजली चली गई है, खम्भे चले गये हैं सरकार द्वारा यह आश्वासन देने के बावजूद कि उनको फ्री विद्युत सप्लाई करेंगे, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता को लिख भी दिया गया है हम पैसा देते हैं इनको विद्युत दी जाय लेकिन उस पर अभी तक कार्यवाही नहीं होने से उनको बिजलीका लाभ नहीं मिल पाया है। हरिजन और आदिवासी लोगों को हम देखते हैं कि जो सरकार इनके लिये

(श्री शंकरसिंह रावत)

ज्यादा से ज्यादा राहत देने की घोषणा करती है ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने की घोषणा करती है लेकिन उसके अनुसार आचरण होता नहीं है। विद्युत के संबंध में ही लीजिये उनकी आज्ञा का कितना पालन हुआ है इस बारे में सरकार को तुरन्त कदम उठाना चाहिये। समाज कल्याण विभाग ही क्या करे इस बारे में सरकार की जो व्यवस्था है वह पहले ठीक होनी चाहिये। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां उनके लिये दी गई सुविधाओं को कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाता है तो सरकार को उसको पूरा करवाने के लिये आदेश देने चाहिये। मौके पर जाकर व्यवस्था करें। वे गरीब बेचारे कहाँ कहां पीछे फिरते रहें। सरकार द्वारा अधिशासी अभियन्ता को पत्र लिखा गया लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ। वे कहते हैं हमारा बोर्ड हैं, बोर्ड आदेश देगा तभी जाकर यह हो सकेगा। अतः सरकार को चाहिये कि वह बोर्ड को आदेश दे।

जहां तक सर्विस के मामले का सवाल है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिये कोटा निर्धारित कर दिया है लेकिन वह कोटा पूरा नहीं होता है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप उतना ही आश्वासन दें जितना कि आप पूरा कर सकें। आपके द्वारा यह भी घोषणा की गई कि हाथ से कमाये हुए चमड़े पर बिक्री कर नहीं लगेगा इसके बारे में 13-5-68 को आदेश भी दिये गये लेकिन उस आदेश की पालना नहीं होती है, उसकी बराबर अवहेलना होती जा रही है और सेल्स टैक्स बदस्तूर लिया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वित्त मंत्री महोदय से मिल कर इस बारे में निराकरण करवायें। 13-5-68 को जो राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है उसके अनुसार उनको सेल्स टैक्स से मुक्ति दिलायें।

इसी प्रकार छात्रावास का भी सवाल है, छात्रावासों का प्रबन्ध जरूर हुआ है, यह गरीब छात्रों की सुविधा के लिए किया गया है लेकिन आज जिस प्रकार से ये छात्रावास चल रहे हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। वे भी मानव हैं, वे भी इसी देश के इन्सान हैं उनके साथ इन्सान का सा व्यवहार होना चाहिये। आज हम छात्रावासों में देखते हैं बच्चों को कपड़े समय पर नहीं मिलते, उनके लिये पुस्तकें समय पर नहीं मिलतीं। जो सरकार द्वारा इसके लिये धनराशि दी जाती है उसका समय पर सदुपयोग नहीं होता। मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं अजमेर जिले के छात्रावासों को देखने का मौका मिला है वहां यह देखने में आया है कि बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिलतीं, रूखी सूखी खाकर पेट भर सकते हैं लेकिन बिना किताब के किस तरह से वे पढ़ सकेंगे? इसलिये मेरा निवेदन है कि किताबों की व्यवस्था समय पर की जानी चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस तबके को आगे लाने के लिये इनको इण्डस्ट्रियल लोन भी दिया जाय। ताकि वे अपने धन्धे की छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज लगाकर अपने को उन्नत कर सकें। आज इनकी जिस प्रकार की स्थिति है उसमें सरकार को और समाज को पूरा सहयोग देना चाहिये। एक हाथ से ताली

(श्री शंकरसिंह रावत)

नहीं बजती। संविधान द्वारा दिये हुए अधिकार से ये लोग असेम्बली में सुरक्षित सीट होने से आ जाते हैं। इस प्रकार की जो सुविधा है उसी के कारण ये इतनी संख्या में यहां आते है। हमें इसके साथ साथ यह भी देखना है कि इसमें व्यवहारिक कठिनाई क्या है? उसके लिये नजदीक जाकर सोचना पड़ेगा और जो कठिनाई हो इनको वह दूर की जानी चाहिये।

इसी प्रकार से पानी की व्यवस्था का सवाल है। हरिजनों के लिये अकाल राहत से पानी मिलता है। गांवों में सार्वजनिक कुएं होने चाहियें। रेगरान और भांभीयान का अलग कुआ नहीं होना चाहिये। उनको सार्वजनिक कुएं से भरने दिया जाना चाहिये लेकिन आज हम देखते हैं गावों में अभी तक छुआछूत की भावना मिटी नहीं। अभी मैंने देखा है एक गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से दो हजार रुपये लगा कर रेगरों ने अपने लिये कुआ खोदा। वहां हमने देखा है कि मटकियां फोड़ी गई। इस तरह से सरकार को चाहिये कि जो स्वतः पैसा लगाते हैं उनको सरकार इमदाद क्यों नहीं देती? यह समाज कल्याण विभाग का उत्तरदायित्व है ऐसे कामों के लिये धनराशि ज्यादा तादाद में दे।

सभापति महोदय, अभी अकाल है। भूमि आवंटन के लिये सभी स्थानों पर वेस्ट लेण्ड पड़ी है उनको वितरित कराई जाय। सारे फार्म जिलाधीश कार्यालयों से मंगाये जायं। जिस भूमि का अभी तक अलाटमेंट नहीं किया गया उसको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों में अलोटमेंट करें।

इसके अलावा सोइल कन्जर्वेशन के लिये 75 प्रतिशत लोन है और 25 प्रतिशत जो सबसिडी है। सभापति महोदय, अगर इनके पास पैसा लगाने के लिये नहीं है तो उसके लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। सोइल कन्जरवेशन के लिए जहां ये लोग सबसिडी और लोन नहीं ले सकते वहां आपको उनको सुविधा देनी चाहिये। इसके लिये समाज कल्याण विभाग प्रबन्ध करे। जिस तरह से भी हो सोइल कन्जरवेशन का काम करवा दिया जाय। इसके अलावा, ज्यादा साधन जुटाने के लिये, अपने धन्धे को आगे बढ़ाने के लिये इसके लिये समाज कल्याण विभाग ज्यादा से ज्यादा अनुदान की व्यवस्था करे और इन पिछड़ी हुई जातियों को उन्नत करने के लिये योजनायें बनाये तभी जाकर इनकी उन्नति हो सकेगी और इसी तरह से इनका विश्वास सरकार के प्रति और योजना के प्रति ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (छापर सु.) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट के बारे में सदन में विचार हो रहा है। इस पर मैं भी अपने विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कई बार इस सदन में इन रिपोर्ट्स पर विचार हुआ है और मेरी यह धारणा बनी है कि इस रिपोर्ट के बारे में जो भी सुझाव दिये जाते हैं उनके बारे में राज्य सरकार सिरियसली विचार ही नहीं करती। राजस्थान सरकार ही नहीं बल्कि मैं तो यह देख रहा हूं कि इस राजस्थान में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जो सदियों से पीड़ित हैं हर तरह से पीड़ित हैं, दुखी हैं जब उनके उत्थान

(श्री रावतराम)

के बारे में विचार करते हैं तो उस समय न तो हाउस के नेता और न विरोधी दल के नेता ही इस विषय में रुचि लेते हैं। यह बडा दुःख का विषय है।

सभापति महोदय, इसका कारण मैं यह समझता हूं कि जो साधन संपन्न लोग हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, दौलत है वे यह महसूस करते हैं कि ये लोग अगर उठेंगे तो हमारे साधनों में कटौती होगी, हमारे सुख और सुविधाओं में कटौती होगी। इस तरह की इन्सान की नेचर बनती जा रही है कि हम अपनी सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की भी कटौती न करें।

सभापति महोदय, इस रिपोर्ट में एक जगह लिखा है उसका मैं उद्धरण देना चाहूंगा। सोशल वर्कर्स को गांधी जी ने कहा है। हम सब इस बात पर विचार करें जिस काम के लिये, जिस समाज के लिये वेकवर्ड कन्ट्रीज के लिये करना चाहते हैं उसके बारे में सेल्फ कोन्फीडेन्स होना चाहिये। अगर सरकार ही इस काम को करे तो वह हर्गिज नहीं कर सकेगी। गांधीजी ने जो इस बारे में कहा है वह मैं पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"मैं तुम्हें एक तावीज देता हूं। जब कभी तुम संशय की स्थिति में होओ, या जब अपना ही ख़याल तुम पर हावी हो उठे, तो तुम इस कसौटी का प्रयोग करो। अपने जीवन में तुमने जिस सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी को देखा है उसके चेहरे को अपनी कल्पना की आंखों के सामने लाओ और खुद से पूछो कि जो कदम तुम उठाने का मनसूबा कर रहे हो, उससे उस आदमी को भी क्या कोई लाभ पहुंचेगा ? क्या उससे उसको भी कुछ प्राप्ति होगी ? क्या उसकी मदद से वह अपने जीवन और प्रारब्ध पर काबू पा सकेगा ? दूसरे शब्दों में क्या तुम्हारे उठाये कदम से इस देश के करोड़ों भूखे-नंगे तथा आध्यात्मिक रूप से बुभुक्षित लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा? इससे तुम्हारा संशय मिट जायेगा और तुम्हारा स्वार्थ तथा अहंकार दूर हो जायेगा।"

इसलिये आप इस बात को सोचें। महात्मा गांधी ने बड़ी मार्के की बात कही है। जब हमारा भ्रम दूर होगा, यह काम हो सकता है। अभी हम यह महसूस नहीं करते हैं। कितना हमारे में सेल्फ कान्फीडेंस है? यह होगा तभी हम इस काम को पूरा कर सकेंगे। आज कितनी ही बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाये लेकिन एक बात को सोचना पड़ेगा। आज 20 साल की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों को तो मैं नहीं जानता लेकिन कम से कम राजस्थान के इलाकों के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि ज्यादा संख्या यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की है। ये लोग जहां पर निवास करते हैं उन लोगों की इकानामिक कन्डीशन को मौके पर देखें तो हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। आज उनको दो दो टाइम, तीन तीन टाइम खाने को अनाज नहीं मिलता है। पीने का पानी नहीं मिलता है। एक पढ़ाई की बात, नौकरी की बात हम कहते हैं, परन्तु स्थिति यह है कि हम उनको अन्न नहीं दे सकते हैं, पीने का पानी नहीं दे पाये हैं। 20 सालों की आजादी के बाद भी एक पक्का मकान नहीं दे पाये हैं जब कि करोड़ों की बिल्डिंग हमने अपने लिये यहां पर खड़ी कर ली है। लाखों करोड़ों रुपया

(श्री रावंतराम)

उनके लिये खर्च करने की बात हम यहां पर कहते हैं परन्तु इन लोगों की इकानामिक कन्डीशन दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। आज आप मौके पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि आज इन लोगों की कन्डीशन क्या है ? इनके लिये हमारे पास क्या प्रोग्राम है ? कोई प्रोग्राम नहीं है। बहुत हुआ तो एक छात्रावास खोल दिया और उनको कह दिया कि हमने तुम्हारे लिये पढ़ने की व्यवस्था कर दी है। 1000 रुपये मकान बनाने के लिये सबसिडी दे दी परन्तु इससे ही उन की इकानामिक कन्डीशन, आर्थिक हालत नहीं सुधर सकती। आज राजस्थान के लाखों अनुसूचित जाति के लोग भूख से मर रहे हैं। उनके लिये आपके पास न कोई योजना है है और न भविष्य में आगे बनाने की आप हिम्मत रखते हैं। इसलिये इसके बारे में आपको सोचना होगा। यह तो छुआछूत का रोग है उसको दूर करना होगा। यह उनको कमजोर करने की बात है। उनकी कमजोरी का मुख्य कारण यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। उनके पास खेती के लिये जमीन नहीं है। आज जीविका का सबसे बड़ा साधन जमीन है। जमीन पर आज उनका कब्जा नहीं है। आप कहते हैं कि हम बिजली लगा रहे हैं, उनको ट्रैक्टर दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कहां लगायेंगे आप बिजली और किन को देंगे ट्रैक्टर ? क्या आज किसी हरिजन में ट्रैक्टर खरीदने की ताकत है ? इसका लाभ पैसे वाले लोग ही उठायेंगे। वे ही इसका उपयोग करेंगे। बिजली का लाभ उन लोगों को ही मिलेगा जो पैसे वाले हैं, जिनके पास में जमीन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के हरिजनों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ट्रैक्टर की खरीद कर सके, बिजली लगा सकता हो, कुआ बना सकता हो। जो आज मुख्य धंधे हैं, उनमें खेती मुख्य है, इसके लिये आपको सोचना होगा। एक अनुसूचित जाति के आदमी के पास में आपने कितनी जमीन दे रखी है ? हम जमीन उनको देते हैं लेकिन वह कहीं पर नजर नहीं आती है। कहीं 15-20 बीघा जमीन दे दी, तो यह एक दिखावे के लिये है। जमीन दे दी लेकिन उसका कब्जा उसको नहीं मिलता है और कब्जा मिल जाता है तो काश्त नहीं कर सकता है। आज खेती के मामले में अनुसूचित जाति के आदमी सफल नहीं हो रहे हैं। फिर दूसरा साधन क्या हो सकता है ? दूसरा साधन व्यापार है। इसके बारे में हरिजनों की हालत ठीक नहीं है। वह पढ़ा लिखा नहीं है। पैसा उसके पास में नहीं है। मैं आपको बताऊं एक हरिजन कहीं कस्बे में जाकर चाय की दुकान कर ले तो वह नहीं चल सकती है। उसकी दुकान नहीं चल सकती है। लोगों का मानस ऐसा नहीं बन पाया है कि हम उसकी हाथ की छाछ पी लें। किसी किसी के पास में थोड़ा बहुत पैसा है वह उस पैसे में किसी कस्बे में जाकर परचूनी की या कपड़े की दुकान खोलना चाहेगा तो वहां के दुकानदार यह पसन्द नहीं करेंगे। वे यह पसन्द नहीं करेंगे कि यह नया आदमी आकर हमारी बिरादरी में व्यापार बिजनेस करे। वे उसके व्यापार बिजनेस को नहीं चलने देंगे। वे इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि राजस्थान के अनुसूचित जाति के लोग बिजनेस में और व्यापार में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। तो दूसरा साधन क्या है ?

(श्री रावत राम)

दूसरा साधन उद्योग धन्धा है। इसको लीजिये। इसको भी आप जानते हैं और महसूस करते हैं और माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठने वाले हैं वे भी इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में हरिजनों के पास में कोई उद्योग धन्धा नहीं है। बड़े उद्योग धन्धे का तो सवाल ही नहीं उठता। बड़े उद्योग धन्धे में लाखों रुपयों की जरूरत होती है। दिमाग और गाइडेन्स की जरूरत होती है और उसको चलाने के लिये गवर्नमेंट का सहारा चाहिये। जो कि इन गरीब हरिजनों के पास में जो छोटे छोटे उद्योग धन्धे हैं, जो इनके पैतृक उद्योग धन्धे हैं वह भी पैसे के अभाव में मार्केट में नहीं चल पा रहे हैं। वे आज मार्केट में टिक नहीं सकते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि फैक्ट्री के माल के मुकाबले में उनके उद्योग धन्धे धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आर्थिक हालत हरिजनों की है वह दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है।

अब चौथा साधन सर्विस का रह जाता है। हम इनको ज्यादा से ज्यादा सर्विस दें। परन्तु इसकी हालत के बारे में भी आप जानते हैं। आये दिन माननीय सदस्य इस बात को यहां पर उठाते हैं। पहले हरिजनों के लिए साढ़े बारह पर्सेन्ट का कोटा था। उसको भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब आपने इसको 28 प्रतिशत कर दिया है। परन्तु इसको भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये सर्विस के बारे में इनके साथ अन्याय तो नहीं कहना चाहूंगा किन्तु न्याय इनके साथ में नहीं हो पा रहा है। इससे इन लोगों को सहारा नहीं मिलता है और हरिजनों की हालत, आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है उससे वे बहुत ही ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं हम यह उम्मीद लेकर चलते थे कि जब धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी परन्तु आज इसके विपरित होता जा रहा है। जो भी साधन हम आगे बढ़ाने के लिये इनको देते हैं दूसरे लोग धीरे धीरे उन पर कब्जा करते जा रहे हैं। और सरकार सिर्फ फोर्मेलिटी पूरी करती जा रही है। सरकार इसके बारे में सीरियस नहीं है। जोशी जी आप कुछ नहीं कर सकते। आज सिर्फ समाज कल्याण मंत्री हैं। जब तक राजस्थान की सरकार, उसके चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे सीनियर मिनिस्टर्स हैं वे इस ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो लाखों गरीब लोग जो राजस्थान में रहते हैं उनकी इकानामिक कन्डीशन ठीक नहीं हो सकेगी, तब तक वे आगे नहीं बढ़ने वाले हैं।

मैं आपको लघु उद्योग धन्धों के बारे में बताऊं। इस रिपोर्ट में बार बार आपको यह संकेत किया गया है कि लघु उद्योग धन्धों के बारे में इन जातियों के लिये क्या सलूक किया जाना चाहिये। आप इस बारे में कितने सीरियस हैं और किस तरह का कदम इस बारे में उठाना चाहते हैं? इस-रिपोर्ट में इसका बराबर संकेत किया गया है। इसके बारे में, छोटे उद्योग धन्धों के बारे में इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये छोटे उद्योग धन्धे इन जातियों में पापुलर हो सकते हैं और थोड़ी रकम से ये चल सकते हैं, यह सुझाव दिया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों की एक बहुत बड़ी संख्या खेती-बाड़ी में लगी हुई है परन्तु फिर भी इस प्रकार

(श्री रावतराम)

के उद्योगों को गांवों में लाकर स्थापित किया जाये जिससे कारीगर, खेतिहर परिवार के लोगों को अपने खाली समय में काम मिल सके।

(4 म०प०)

एक सुझाव यह भी रखा गया कि परम्परागत व्यवसाय से इनको हटा कर अन्य व्यवसायों में भी लगाया जाय ताकि यह जातियों में ऊंच नीच का भाव शिथिल हो। यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। सरकार ने इसके आधार पर कितने और किस किस तरह के उद्योग धन्धे स्थापित किये हैं? कितनी सोसाइटियां स्थापित की हैं? यह बताया जाय। परम्परागत उद्योग-धन्धों को छोड़कर अन्य धन्धों में एक भी लगा हो–ऐसा उदाहरण राजस्थान में सरकार नहीं बता सकती।

हरिजनों की आबादी बढ़ती जा रही है। जमीनों के टुकड़े होते गये हैं। खेती अनइकानामिक होल्डिंग के कारण उनके भरण-पोषण का एकमात्र साधन नहीं रह गया है। वे इस तरह लेबर बनकर या तो फेमिन की सड़कों पर खड़े हैं या दूसरी जगह मजदूरी के लिये मारे मारे फिर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप उनकी इकानामिक हालत को कैसे ठीक करेंगे यह कोई नहीं जानता। तो जैसा रिपोर्ट में बताया गया है जमीन यदि आप नहीं दे सकते तो यह कर सकते हैं, जगह जगह ट्रेनिंग सेन्टर खोलकर छोटे मोटे उद्योग धन्धों में इनको ट्रेण्ड करके उनको स्थाई उद्योग धन्धों में आप लगा सकते हैं। पर आज जो भी ट्रेनिंग सेन्टर चलते हैं उनसे जो लड़के सीख कर निकले हैं उनको भी कहीं नौकरी नहीं मिली, न आपने उनको सबसिडाइज्ड मशीनरी या औजार दिये ताकि वे स्वयं अपने उद्योग धन्धे स्थापित करके उनमें लग सकें। कम से कम पांच सौ लड़के आपको ऐसे मिल सकते हैं जो बेकार घूम रहे हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि जितने छोटे मोटे उद्योग धन्धों का आप विस्तार कर सकें करना चाहिए, ग्राम लेवल पर करना चाहिए ताकि आज जो पोपूलेशन शहरों की तरफ उन्मुख हो रही है और शहरों में निवास की समस्या बन गई है, वह घटा कर उनको गांवों में ही रोका जा सके।

इसके अलावा, ऐसी दुकानें खोलने के लिए भी व्यवस्था कराई जावे जैसे कपडे की है, गल्ले और किराने की है, काठ कबाड़ की है, जनरल मर्चेन्डाइज की है इससे हरिजनों में मनोबल बढ़ेगा। व्यापार की तरफ उनका रुझान होगा। और वे यह महसूस कर सकेंगे कि वे भी दुकानें खोलकर सबके बराबर बाजारों के बीच में बैठ सकते हैं। आप जितनी मण्डियों में प्लाट काटते हैं उनमें भी आप प्लाट हरिजनों को भी दिलावें और जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे हरिजनों को को अधिक से अधिक लोन दिलवायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति जी, मैं अभी दस पांच मिनट का समय लूंगा। आप महरबानी करावें। इसके अलावा 28 पर्सेन्ट सर्विस दिलाने की बात कही जाती है, पर वह केवल कागजों में ही है और बोगस है यह नारा आपका। आप यह नारा नहीं दें तब भी हमें नाराजगी नहीं है। आप दस पर्सेन्ट ही रखें पर अमल उस पर ईमानदारी से करें तब भी नाराजगी नहीं है। आप तो गारन्टी दे दें कि दस पर्सेन्ट के टारगेट को पूरा कर देंगे। आज

(श्री रावतराम)

जो स्थिति है उसमें तो आप 28 पर्सेन्ट के बजाय पचास पर्सेन्ट भी कर दें तो लाभ नहीं होने वाला है । यह सब कागजों में ही रह जावेगा । इसलिये नहीं कि आज सर्विसेज इतनी नहीं हैं । पर इसलिए कि सरकार की नीयत नहीं है । आज क्या होता है जितने विभागों में वेकेन्सीज निकलती हैं वे विज्ञापित नहीं की जातीं । मैंने परसनली भी इसके लिए अधिकारियों से कहा । मिनिस्टर और अफसर बैठकर गुपचुप बात करेंगे और किसी तरह से एक वैकेन्सी को आज भर दिया, एक को कल भर दिया पन्द्रह बीस दिन बाद और भर दीं । तो इस तरह से पांच अपने आदमियों को दो महीने में भर दिया । अब हरिजन कोई भी हो, उसका एप्रोच नहीं है। इसलिये वैकेन्सी भी उनके लिए नहीं हैं ।

आज राजस्थान में ग्रेजुएटों की, मैट्रिक पास वालों की कोई गिनती नहीं, एम.ए. तक सैंकड़ों की तादाद में बेकार फिर रहे हैं । इस रिपोर्ट में उनके लिए सुझाव दिये हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं :—

"सरकार के लिये यह भी सम्भव नहीं होना चाहिए कि भविष्य में रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचि जातियों अनुसूचित आदिम जातियों को साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय ताकि विभिन्न सेवाओं में उनके प्रतिशत की जो कमी चली आ रही है, उसे जल्दी ही पूरा किया जा सके । ऐसा करने में सरकार के सामने कोई मुश्किल पेश नहीं आवेगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार नई भरती के किसी भी वर्ष में सरकार 50 प्रतिशत तक रिक्त स्थानों को आरक्षित पद बना सकने में समर्थ है । इसके अलावा, सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के वर्तमान अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को देखते हुए कोई कारण नहीं कि किसी भी सेवा या ग्रेड में आरक्षित रिक्त स्थानों को बिना भरे हुए ही समाप्त हो जाने दिया जाये, जैसा कि इस समय होता है । संविधान में इस सम्बन्ध में जो प्रावधान रखा गया है उसके पीछे इरादा यह है कि कुशलता को क्षति न पहुंचाते हुए इन जातियों को विभिन्न सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय । यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 335 में दिया गया है ।"

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट में सुझाव दिया है उस पर अमल किया जाय । यदि आप महसूस करते हैं कि पूरी जगह नहीं मिलती है और वे लोग बेकार हैं तो 50 प्रतिशत तक भरती करके रिजर्वेशन को पूरा कर सकते हैं । इसलिए जोशीजी निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में सोचें ।

इसके अलावा पी. एस. सी. का सवाल है । शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हितों की देख भाल के लिए इनमें भी इस जाति का कोई सदस्य होना चाहिये । इसके अलावा जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए आई. ए. एस. और आई. पी. एस. की ट्रेनिंग के लिये इलाहाबाद जाना पड़ता है। पंजाब ने इसके लिये चंडीगढ़ में व्यवस्था की है तो आप क्यों नहीं राजस्थान में ही करने की कोशिश करते हैं? इससे बहुत दूर जाने की कठिनाई हल हो सकेगी ।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं दो-एक बातें और कहना चाहता हूं, और वह यह है कि आज अस्पृश्यता के बारे में

Page No. 112

(श्री रावत राम)

सरकार ने जो कार्यक्रम बना रखा है और इस बारे में सरकार यह कहती है कि अस्पृश्यता मिटनी चाहिये और अस्पृश्यता के बारे में कई समाजसेवी संस्थाएं आज राजस्थान में काम कर रही है। ये समाजसेवी संस्थाएं और सरकार इस बात की कोशिश कर रही हैं कि अस्पृश्यता का निवारण होना चाहिये लेकिन अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो रहा है और खर्चा खूब होता है। मैं आपको बताऊं कि आपके बजट में हरिजन सेवक संघ को 66–67 में 4,41,900 रु० अलग से दिया गया और 67–68 में 5,67,600 रु० दिया गया, दलित वर्ग संघ को भी 1 02,476 रु० दिया गया। यह जो समाजसेवी संस्थाएं हैं जिनको आप पैसा देते हैं और इन समाजसेवी संस्थाओं के जरिये आप चाहते हैं कि वे गांवों में इस प्रकार का वातावरण बनायें और समाज में वातावरण बनायें और अस्पृश्यता के बारे में लोगों के समझायें, लेकिन……

श्री देवीदत्त गाड़िया : डागाजी, आप बात कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : गाड़ियाजी आप खड़े क्यों हुए ?

श्री सभापति : आपस में बातें न करें।

श्री रावतराम : आप इन समाज सेवी संस्थाओं पर लाखों रुपया खर्च करते हैं इसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी जो अस्पृश्यता के बारे में वातावरण बनना चाहिये था वह नहीं बना है ··

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो फिगर्स दिये हैं चार लाख और कुछ हजार हरिजन सेवक संघ के बारे में वे फिगर्स कहां से लिये हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार ये फिगर्स आपके बिल्कुल सही नहीं है। यह मेरे ख्याल से आल इण्डिया फिगर्स होंगे। राजस्थान में 10-20 हजार से ज्यादा नहीं दिया जाता है।

श्री नत्थीसिंह : सही फिगर्स आप बतायें।

श्री सभापति : सही फिगर्स अपने जवाब में देंगे।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : मुझे मालूम है कि वह हजारों पर है और लाखों पर नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बता दें कितना है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं एन्साइक्लोपिडिया नहीं हूं कि पिछले पांच सालों के फिगर्स अपने फिंगर टिप्स पर रखूं। लेकिन यह बात सही है कि वह लाखों में नहीं है।

श्री रावतराम : फिगर्स के बारे में करेक्ट कर दूंगा। रिपोर्ट में लिखा है। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि आपकी यह जो समाज-सेवी संस्थाएं हैं इनका काम एकमात्र यह है कि छुआछूत को दूर करें और कानूनी सहायता हरिजनों को दें। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि हरिजन सेवक संघ और दलित वर्ग संघ इस प्रकार का कार्य करते हुए राजस्थान में नजर आते हैं, उनका काम केवल मात्र यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को……

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री रावतराम :... तनख्वाह दें। इसके बारे में इसी रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है। यह बात जरूर है कि वे तनख्वाहें देती हैं लेकिन उनकी हालत यह है कि इस बारे में कोई काम नहीं कर रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करूंगा। वह बात है भवन-निर्माण के बारे में। हमारे समाज-कल्याण मंत्रीजी ने पिछले अधिवेशन में यह बात बताई थी तो हमने उनको यह निवेदन किया था कि जो मकान सहायता के लिए पैसे देते हैं एक हजार रुपया जो कि सबसिडी के रूप में उनको देते हैं, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। आप इस तरह से जो खुशी से सहायता देते हैं एक हजार रुपये की तो इस एक हजार रुपये से कोई मकान नहीं बनता है। उस रुपये के देने की भी यह हालत है कि आप जिससे खुश होते हैं उसको रुपया देते हैं और जिनसे खुश नहीं होते हैं उनको रुपया नहीं देते हैं। मैंने इस बारे में प्रश्न भी किया था और विधान सभा में आपने उत्तर भी दिया था। हमने चाहा था कि इस तरह के लोन की व्यवस्था की जाय। और लोन के जरिये ही, यह मेरा सुझाव था, भवन निर्माण के लिये उनको 2-3 हजार रुपया दिया जाय बिना व्याज के, कोई बीस पच्चीस हजार का मकान हरिजन नहीं बनाते हैं। एक हजार रुपया देकर आप उसको खुश करते हैं इस परम्परा को खत्म किया जाय। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इस तरह की व्यवस्था कीजिये आयन्दा के लिये और यह व्यवस्था केवल कस्बों तक ही सीमित न रहे। मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जो सहायता अब तक दी गई है। वह यहां पर ही रह गई है जयपुर में और अगर जयपुर से बाहर भी गई तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स तक और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स से आगे भी गई तो तहसील हैडक्वार्टर्स तक ही (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कितने हजार गांव राजस्थान में हैं...

श्री सभापति : क्या आप यह चाहते हैं कि आपके दल के और माननीय सदस्य, न बोलें ?

श्री रावतराम : कोई नहीं बोलेगा आज !

श्री सभापति : चुन्नीलालजी ने नाम दिया है।

श्री रावतराम : आज बोलेंगे नहीं। वे गये हैं।

श्री सभापति : वे आपके पीछे ही बैठे हुए हैं।

श्री रावतराम : मैं उस व्यवस्था के बारे में माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप बताइये कि जब से हाउसिंग स्कीम बनी है तब से कितना लोन दिया गया है लोगों को ? जयपुर में जो लोग रहते हैं वे जमीन ले लेते हैं और मकान बना लेते हैं और आप कहते हैं कि कोटा पूरा हो गया है। 50 हजार या 1 लाख का लोन दे दिया है। आज राजस्थान में दूर दूर गावों में रहने वाले हरिजन हैं जो कि 2-5 हजार रुपया कर्जा नहीं ले सकते हैं उनके लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। केवल मात्र उस समय उनको याद करते हैं जब कि वोट लेने का समय आता है, लेकिन जब देने का मौका आता है तो जयपुर में देते हैं, बीकानेर में देते हैं, जोधपुर में देते हैं, और उन लोगों को

(श्री रावत राम)

देते हैं जिनकी हैसियत आप बड़ी मानते हैं। किसी को आप 50 हजार रुपया देते हैं और किसी को एक लाख लेकिन जिन गरीब लोगों के पास कोई साधन नहीं है उनको नहीं देते हैं। तो इन सारी चीजों में इस तरह से महसूस किया जाय कि गांवों में इनकी ज्यादा जरूरत है। बड़े लोगों को ज्यादा कर्जा नहीं देकर उन गरीब लोगों को बिना व्याज के देना चाहिये जिससे कि उनका काम चल जाय। आज घोषणाएं करते हैं कि हम गांधी शताब्दी वर्ष में अनुसूचित जाति के लोगों को प्लाट्स देना चाहते हैं, लेकिन आप की क्या नीति हैं, किस तरह की आपकी योजना है यह मेरी समझ में नहीं आता है। आप कहीं भी जाकर देखें। म्युनिसिपैलिटियों से बाहर के इलाके में जाकर देखें। राजस्थान गवर्नमेंट यह बात कहती है कि शताब्दी वर्ष में 15 पर्सेंट हरिजनों को प्लाट देंगे, लेकिन वहां जाकर देखते हैं और पूछते हैं तो हमें नजर नहीं आता है कि किसी हरिजन को पट्टा दिया गया हो। आज 20-30 साल जो जिन जमीनों पर बैठे हैं उनका आपकी म्युनिसिपैलटीज या नगरपरिषद् द्वारा पट्टा नहीं दिया जाता है आज जयपुर में भी यही हालत है। मैं जयपुर के बारे में नहीं जाना चाहता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्यों नहीं जाना चाहते हैं।

श्री रावतराम : भैरोंसिहजी ने आपको बताया था किस तरह से गांधी शताब्दी वर्ष में प्लाट देना चाहते हैं। इस आड़ में जो साधन-सम्पन्न लोग हैं उनको प्लाट देकर हरिजनों का कोटा पूरा कर दें तो कम से कम इस बात को वाजिब नहीं समझता। आज जो हरिजन मिनिस्टर हैं, जो एम. एल. एज. हैं, जो नेता हैं और जो बड़े आदमी हैं जिनके पास में जमीन है मैं उनके लिए अर्ज करूंगा कि उनको किसी तरह की फेसिलिटी नहीं दी जाय। इस देश में क्लास स्ट्रगल होने वाला है और जिस दिन क्लास स्ट्रगल होगा तभी इस देश की तरक्की होगी। उसमें क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या जाट और क्या हरिजन जिनके पास साधन नहीं वे एक हो जायेंगे तब जाकर देश की उन्नति होगी। चाहे हरिजन करोड़पति हो, मिनिस्टर हो और चाहे उसके पास कितनी चीजें हो लेकिन सारी की सारी फेसिलिटीज जो हरिजनों को मिलती है वे ले जायेंगे। मकान सहायता वे ले जायेंगे, बच्चों की स्कॉलरशिप्स वे ले जायेंगे। जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज देते हैं वे सारी की सारी फैसिलिटीज वे उठायेंगे। इसलिए मैं जो नेता लोग हैं उनको कह देना चाहता हूं ··

श्री देवीदत्त गाड़िया : समाज-कल्याण मंत्रीजी अपने लड़के और भाई के नाम से 5000 रु० ले गये।

श्री रावतराम : वे लोग इस से फायदा उठाते हैं जिस तरह का आज प्रोसीजर है इसके कारण से। कौन पीड़ित है, किसके पास साधन नहीं हैं उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जिनके पास साधन हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए। जो मिनिस्टर हैं वे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं लेकिन वे स्कालरशिप ले लेते हैं तो मैं समझता हूं कि वह न्याय की बात नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

(श्री सभापति)

और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिए अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रावतराम : मैं अपना भाषण समाप्त कर देता हूं आपकी इच्छा है तो।

श्री सभापति : बोलना हो तो मतलब की बात बोलें। ज्यादातर रिपीटिशन कर रहे हैं।

श्री रावतराम : इसके अलावा, छात्र-वृत्तियों के बारे में जैसा कि सालोदियाजी ने यह बात कही थी कि प्रोसीजर जरूर सरल बनाया जाना चाहिए। जैसा कि आज प्रोसीजर है उसके अनुसार फार्म भरकर भेजते हैं तो छोटी छोटी गलतियों के कारण वह रिजेक्ट कर दिये जाते हैं और उनको स्कालरशिप नहीं दी जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि छोटी-मोटी गलतियों के लिए फार्म नहीं लौटाए जाने चाहिए उनको दुरुस्त करवा सकते हैं, लेकिन सही तौर से उनको स्कालर-शिप मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, इनका रिजर्वेशन होना चाहिए। पंचायत और पंचायत समितियों में हो इस बात का मैं भी हामी हूं। जिसके लिए मैं उन को याद कराना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पंचायत समितियां हैं, उनके अन्दर भी उनको सेवा करने का मौका मिले। शिड्यूल्ड कास्ट्स को भी सेवा करने का मौका मिले। आप राज्य सरकार पर···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दबाव डाल सकते हैं। तो उनके लिए ··

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनको भी सरपंच बनाया जाये। पंचायत समितियों में प्रतिनिधि हो। जिला परिषद् में प्रतिनिधि हो। वहां जो बैठे हैं, काम करते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा काम आएगा। इसके अलावा, सभापति महोदय, एक बात कह कर बैठ जाता हूं कि जो आपने पीने के पानी की व्यवस्था कर रखी है। जिस तरह से उनके लिए कुए आदि का निर्माण करते हैं तो हमारा पिछला अनुभव है कि कई आदमियों को पैसा नहीं देते हैं। पंचायत समितियों को आप पैसा देते हैं वह पंचायत समितियां दूसरे कामों पर खर्च कर देती हैं। ढाई हजार रुपया कुए के लिए देते हैं। बाड़मेर और नागौर में इतने रुपयों में कुआ नहीं बन सकता है। 15 हजार रुपया खर्च होता है। तो कम से कम किसी मुहल्ले में, गांव में हरिजनों को कुआ बनाकर देना चाहते हैं तो कम से कम 5 हजार रु० रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 हजार रु० रखना चाहिए। और आप दूसरे फण्ड्स में खर्च करते है, उसको बन्द कर दिया जाये। वह फण्ड आप पीने के पानी के लिए डाल सकते हैं। जहां उनकी बस्तियां हैं, उनमें यह कुए बनाकर दे सकते हैं। ताकि यह दबे हुये नहीं रहें। यह भी मैं कह सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा उसे बजट में रखकर चलें ताकि लोगों को उससे फायदा हो सके।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण तानीवाल।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, स्टेटमेंट के बारे में क्या हुआ ?

श्री सभापति : आप चिन्ता नहीं करें।

Page No. 116

श्री देवीदत्त गाड़िया : स्पष्टीकरण हो जाय, 4 बजे का समय निर्धारित था। मन्त्री महोदया भी उपस्थित हैं।

श्रीमती सुमित्रा : सभापति महोदय, ज्यादा अच्छा तो यह रहे कि बजाय आज के कल सुबह स्टेटमेन्ट हो जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कल का वायदा तो पक्का है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कल सुबह का स्टेटमेंट इफेक्टिव होगा।

श्रीमती सुमित्रा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अगर सन्तुष्ट हों तो कल सुबह रख लिया जाये ?

श्री सभापति : आप दोनों ने स्वीकार कर लिया है तो मैं भी स्वीकार करता हूं। ठीक है।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु.) : माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। इस तरीके की बातें हम लगातार सुनते आ रहे हैं। यह सरकार लगातार टाल रही है इस काम को। हम करना चाहते हैं उसे। सरकार को उसे करना होगा। लेकिन उसे सरकार पर छोड़ कर और भाषण देकर ही पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं जैसे उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा उन्हीं शब्दों में कहूं तो अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। आज हम इस विधान सभा के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स कहलाने वाले यहां पर जितने भी प्रतिनिधि हैं जो यहां 15 वर्षों से प्रतिनिधि हैं। गत तीन वर्ष से हम यहां विधान सभा में काम कर रहे हैं। अनेक सन्दर्भों ने नियमों के अन्तर्गत प्रश्नों के दौरान इस वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है और उसे एक वर्ग की समस्या मानकर सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर जोर दिया है ? यह समस्या है। हम घटना की जांच कराना चाहते हैं तो उसका निदान नहीं होगा। उस वर्ग को सरकार के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमारी समस्याओं का निदान नहीं करना चाहती है। अगर निदान करती तो कोई सवाल नहीं था कि सरकार उसे स्वीकार नहीं करती। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हाथों में सरकार थी। जब भी हम चाहते, अपनी समस्या का निराकरण करा लेते। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि केवल भाषण का अधिकार पूरा कर लेते हैं। इस तरह से समस्या वहीं की वहीं ही रहेगी। उसका निराकरण नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं ही कमर कसकर आगे आना होगा। जब भी इस सदन के अन्दर कोई बात उपस्थित हो किसी प्रकार का रोड़ा नहीं लगाकर खड़ा हो जाना चाहिए। तो अगर हमने यह कदम उठाया तो हम तुरन्त अपनी समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से यह हमारे सामने अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट आई है, यह 17 वीं रिपोर्ट है। इसके पूर्व भी 16 वीं रिपोर्ट सदन में पेश हुई है। इससे पूर्व 16 वीं रिपोर्ट पर विचार किया गया है। तो इस 17 वीं का कोई अर्थ नहीं है। अगर हमने अब तक की रिपोर्ट पर यथा-सम्भव विचार किया है। उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उनको भी एक विशेष स्तम्भ में दिया जाता है। हम उन स्तम्भों को पढ़ें तो

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

मालूम होगा कि हमें बार बार सुझाव दिये जाते हैं। और समस्याओं के निराकरण के लिए बातें कही जाती हैं। लेकिन आज तक हमने शायद कोई कदम नहीं उठाया है। वह समस्या आज भी ज्यों की त्यों प्रस्तुत है जो कि नहीं रहनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि वही शिकायतें आज भी बराबर हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उनको करके अनुकरण प्रस्तुत नहीं करें। यह अनुकरण ठोस होंगे या नहीं इस सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमें काम करना चाहिए तो काम के लिए हमारे पास समाज कल्याण मन्त्री हैं। क्या वह यह कह सकेंगे कि अब तक मेरे सामने जितने भी प्रश्न आये हैं जो समाज कल्याण से सम्बन्धित हैं मैंने उनको यथासम्भव लिया है और उनका निराकरण किया है। नहीं ऐसी बात नहीं कहेंगे क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज इनके सामने और इस सदन के सामने इस वर्ग की समस्याओं के लिए ऐसे प्रश्न नहीं आ सकते थे। लेकिन इन्होंने इसका सम्बन्ध इससे नहीं जोड़ा है। इन्होंने कहा है कि मुझसे जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका ही मैं उत्तर दूंगा, मुझसे जो नहीं पूछे गये हैं मैं उनका उत्तर नहीं दूंगा। यह उपेक्षा का भाव सदन में बैठने वाले सभी सदस्यों का होगा कि यह हमारी बात नहीं है, और किसी की बात नहीं है—इसलिए उपेक्षा का भाव बरत कर पृथक पृथक बैठे हैं, और इन बातों को अपनेपन से नहीं लिया है। हम नियम बनायें, हम और कोई कानून बनायें लेकिन समस्त समाज के चाहे इस सदन में बैठने वाले लोग हों, चाहे बाकी के लोग हों—समस्त लोगों को इसी कानून का अध्ययन करना होगा। साथ ही उन नियमों और कानून को आत्मसात करना होगा, यह विचार करना होगा कि इस वर्ग के लिए कम से कम समय में अधिक से अधिक सहूलियत कैसे दे सकते हैं, किस तरह अधिक से अधिक इनके कामों में हाथ बंटा सकते हैं? और हाथ बंटा सकते हैं तो हमें हाथ बटाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि मूलतः हमें समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनके साथ आत्मीय सम्बन्ध जोड़ने हैं। अगर उनके साथ हमारे आत्मीय सम्बन्ध नहीं हैं तो यह विचार करना व्यर्थ है, हम व्यर्थ ही भाषण देकर अपनी अपनी जगह बैठ जायेंगे और उसके बाद यह होगा कि जो सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं वह कुछ विशेष बातों और मुद्दों का उत्तर दे देंगे। उनके उत्तर दे देने के बाद में बाकी के समाज में किस प्रकार की प्रतिक्रियायें होंगी—यह न तो हमें देखने को मिलेगा और न हमें कोई कहने वाला है कि हमने जितनी इस सम्बन्ध में बहस की थी, और जितने सुझाव दिये थे, उसके बाद में क्या हमारे समाज में परिवर्तन आया है, क्या हमारे समाज की बढ़ोतरी हुई है, क्या उन्हें जो मिलने वाली सुविधायें हैं वह इनको मिली हैं या नहीं? इस प्रकार से अवलोकन करने वाला कोई नहीं होगा। और फिर यही होगा कि अगली मर्तबा हमारे सामने अठारहवीं रिपोर्ट पेश कर दें। तो मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि हमें काम करना चाहिए कुछ और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात सोचनी है वह यह है कि जो इस वर्ग के मूलतः धन्धे हैं वह इस प्रकार के हैं कि अगर यह लोग उन धन्धों को करें तो अपनी जीविका नहीं चला सकते हैं। इन लोगों के धन्धों का आधुनिकीकरण

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

नहीं हुआ है, वह उसी प्रकार की स्थिति में रह कर वह काम कर सकते हैं. साथ ही दूसरे लोगों ने भी उन धन्धों को करना चालू कर दिया है इसलिए अब इन धन्धों से अपनी रोजी रोटी कमाने वाली बात नहीं हो सकती है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वर्ग का मुख्य धन्धा है, चर्म का। जो चर्मकार होते हैं वह जूती बनाने का धन्धा करते हैं। लेकिन आज जूती बनाने का धन्धा करें तो उसके लिए जो विशेष सुविधायें होनी चाहिए, बाहर से सामान मंगवाने और सामान पर पैसा खर्च करने की स्थिति होनी चाहिए। इसलिए इनको कुछ सहूलियतें देने वाली बात है वह नहीं मिल पाती हैं। आज बैंकों के माध्यम से कर्ज देने की, सुविधा देने की योजना तैयार की है, लेकिन कर्ज देने के लिए जो वैधानिक तरीका अपनाया गया है, उससे सरलतापूर्वक इनको कर्ज नहीं मिल सकता है। कोई आदमी कर्ज लेने के लिए बैंकों की ओर बढ़ता है तो उसको कई तो नियमों का पालन करना पड़ता है, साथ ही काफी अधिक समय लग जाता है, इसलिए वह बीच में ही हताश होकर छोड़ बैठता है। साथ ही जो कर्ज दिलाने वाले लोग है वह टालमटोल कर देते हैं। इसलिए इनको कर्जा दिलवाया जाय, और जो नियमों के अन्तर्गत कर्जा दिलवाया जाता है उसमें अधिक कर्ज देने का प्रावधान होना चाहिए।

दूसरी बात सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में रखी जाती है। आज जो सरकारी नौकरियों में लगे व्यक्तियों का पर्सेन्टेज है वह राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में सही नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो काम दिलाऊ दफ्तर होते हैं, उन दफ्तरों को इस प्रकार के आदेश प्रसारित करने चाहिए कि वह यह आंकड़े इकट्ठे करें कि किस किस विभाग में कितने कितने कर्मचारी हैं। और उन कर्मचारियों में इस वर्ग के कितने लोग हैं, ताकि हरएक विभाग का हमें इस वर्ग के कर्मचारियों की संख्या और अनुपात मालूम हो सके, इस वर्ग के लोग कितने अनुपात में हैं-यह मालूम हो सके। इसके पश्चात काम दिलाऊ दफ्तरों को विशेष आदेश प्रसारित करने चाहिए कि यह देखें कि इन विभागों के अन्दर जो आगामी समय में वान्टेड निकलें, या पद भरे जायं या चाहे नई भर्ती हों-वहां जो कर्मचारी लिए जाएं वह इसी वर्ग के लोगों को लिया जाय। इससे भी इस वर्ग की समस्या का निराकरण हो सकता है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितनी भी औद्योगिक संस्थायें हैं, उन औद्योगिक संस्थानों के अन्दर इस वर्ग के लोगों को विशेष प्रपोर्शन में लिया जाय-इसके लिए कोई आदेश नहीं दिये जाते हैं, जब कि उद्योगों के हर, प्रकार के उद्योगों में अधिक से अधिक मजदूर वर्ग काम करता है, लेकिन इस वर्ग के लोगों के अन्दर शिक्षा का स्तर इस प्रकार का नहीं है कि औद्योगिक संस्थानों के अन्दर वह इंजिनियर अथवा दूसरे उच्च पदों पर लिए जा सकें, इसलिए इन लोगों को निम्न पदों से अधिक संख्या में लगाने के लिए आदेश देने चाहिए। औद्योगिक संस्थानों के अधिक से अधिक स्थान इस वर्ग को देना चाहिए और अधिक से अधिक इन लोगों को लगाया जाना चाहिए—इसके सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार के नियम बने हुए हैं और उनके आधार पर निगम भी बने हुए हैं, जो इस वर्ग की समस्याओं का निराकरण करते

(श्री लक्ष्मण तानेवाल)

हैं। वह निगम साथ ही उन संस्थानों और विभाग से सम्पर्क करता है, और चाहे रिजर्वेशन दिलाने की बात हो, अथवा काम दिलाने की बात हो यह निगम उनकी समस्याओं का निराकरण करने में सहायता करता है। और इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि राजस्थान में भी इस प्रकार के निगम की स्थापना करनी चाहिए।

साथ ही विशेष तौर पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, हमें जो सहूलियतें सरकार दे रही है, उन सहूलियतों के अंदर जो धन का माध्यम है, वह बड़ी धीमी गति का है, और धीमी गति होने के कारण हम लोगों की समस्यायें सरकारी माध्यम से पूरी नहीं होती है। लेकिन हमारे देश के अन्दर एक नया माध्यम और पैदा हो गया है वह है ईसाई मिशनरी का। ईसाई मिशनरी का प्रचार और ईसाई मिशनरियों का कार्य-क्रम है वह इस प्रकार का है कि वह धर्म परिवर्तन के जो वर्ग है उनके ऊपर विशेष रूप से हाथ डालता है। वह जानते हैं कि इस वर्ग के लोग अपने अभावों में ग्रस्त होते हैं, इन लोगों का धर्म थोड़ी सहायता के बदले में खरीदा जा सकता है, अथवा इन लोगों को खरीदा जाकर इनका धर्म परि-वर्तन किया जा सकता है। इसलिए यह लोग इस वर्ग पर हावी होते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण मिले हैं। कोटा में तहसील अटरू के ग्राम पीपलदा में एक ईसाई ने गरीब लोगों की जमीन अपने यहां गिरवी रख ली, उनको कुछ रुपया दे दिया। उसके बाद में वह गरीब इनके चंगुल से छूट नहीं सके और धीरे धीरे उन लोगों का धर्म उन जमीनों के नाम से कन्वर्ट कर लिया। मैं कहना चाहूंगा इन लोगों में शोषण करने की प्रवृत्ति है, इसके ऊपर सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। साथ ही मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ईसाई मिशनरी को सरकार सहायता देती है, वह उस सहायता का अगर इस प्रकार उपयोग करते हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों के मानस को विदेशी धर्म के प्रभाव में लाना चाहते हैं, और लोगों के धर्म परिवर्तन करके, उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था मिटा कर, विदेशी धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करना चाहते हैं तो ऐसी मिशनरी को मिलने वाली सरकारी सहायता बन्द कर देनी चाहिए और इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए जिससे इस वर्ग के धर्म के अन्दर जो ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप हो रहा है, उस पर रोक लगाई जा सके।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी सु.) : सभापति महोदय, पहले ही यह रिपोर्ट देर से प्रस्तुत की गई है, यह पिछले विधान सभा अधिवेशन में आने वाली थी और अब भी सब के बाद में रखी गई है। मुझसे पूर्व महानुभावों ने विचार रखे हैं और आज भी राज्य सरकार और इस रिपोर्ट के बीच में जो समन्वय होना चाहिए था वह नही है

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सर-कार से निवेदन करूंगा कि अगर एक भी कैबिनेट मंत्री सदन में नहीं रहे ऐसा महत्व-पूर्ण विषय सुनने के लिए तो मैं समझता हूं, यह सदन का अपमान है।

श्री लादूराम सुलानिया : उस पर विचार करने के लिए विधान सभा का जो अमूल्य समय इसमें लेते हैं...

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सभापति जी, विरोधी दल के नेता की पाइंट पर आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री सभापति : व्यवस्था हो रही है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : कोई मंत्री नहीं है।

श्री सभापति : व्यवस्था हो रही है।

श्री सूरजमल : इस रिपोर्ट के प्रति कितनी उदासीनता है कि कोरम भी पूरा नहीं है।

श्री सभापति : कोरम पूरा है, गिनती आपको नहीं आती होगी।

श्री लादूराम सुल्तानिया : आज जो राज्य सरकार की स्थिति है इस रिपोर्ट से संबंधित उस बारे में मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से, समाज कल्याण मंत्री व अन्य मंत्रियों से कहना चाहूंगा कि आज इस सरकार की व्यवस्था हमारे राजस्थान के परिगणित जाति और जन जाति के लोगों के लिए जो सिद्धांतत: होनी चाहिए थी, उसके अंदर कितनी कमियां आज तक रही है और उनको पूरा करने के लिए क्या राज्य सरकार जागरूक है ? दोनों बातों को लेकर हम कहना चाहेंगे। जब देश आजाद नहीं था, उस समय भी ऐसी भयंकर स्थिति नहीं थी जैसी हम लोगों के साथ आज है। 30 वर्ष पहले जब देश आजाद नहीं था और अलग अलग छोटे हिस्सों में राजाओं के राज थे उस समय भी अगर किसी हरिजन पर अत्याचार होता था तो तुरंत इंतजाम होता था। हमारे जयपुर जिले में जहां जोशीजी रहते हैं, उस इलाके में एक गांव है। वहां हरिजनों को केवल मिठाई बनाने से कुछ सवर्ण लोगों ने रोक रखा था। उसके लिए हमारे जो जयपुर नरेश थे, उनसे इस बात की मांग की गई कि हम भी इन्सान हैं उसके नाते हम अपना भोजन बनाकर खा सकते है। हमें अच्छी मिठाई लड्डू बनाने से ये लोग रोकते हैं, इसका इंतजाम किया जाय। उस समय सरकार की तरफ से इंतजाम हुआ लेकिन सवर्ण लोगों ने नहीं माना और उस बात ने उग्र रूप धारण किया। उस समय सरकार ने यहां से मिलट्री भेजकर सैकड़ों आदमियों को गिरफ्तार करके उन पर मुकद्दमे चलाकर जेल के शिकंजे में भेजा। उस कांड में भाग लेने वाले आज भी जयपुर की सेंट्रल जेल में मौजूद हैं।

जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस सरकार ने दुहाई दी कि हम हरिजनों की सुरक्षा करेंगे, हरिजनों को समानता का अधिकार देंगे। वे सारे के सारे अधिकार पता नहीं कौनसे ताक पर रखे हुए हैं। आज दिन दहाड़े हरिजनों की बरातों के बाजों को रोक देते है ठोकते है, लूटते हैं और मारते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराई जाय तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। मैं माननीय जोशीजी को बताना चाहता हूं कि 16 तारीख को जो सावे थे, तब टोंक जिले में एक पुराना गांव है वह थाना बास्नी के तहत पड़ता है वहां बाजे वालों को पीटा, थाने में गए, आज तक रिपोर्ट रजिस्टर नहीं हुई। और उस पर यह दुहाई सरकार देती है कि हम हरिजनों का उद्धार करने वाले हैं।

मेरे पास यह कल का पेपर है 18 मई का। इसमें समाचार छपा है भीलवाड़ा जिले में कुम्हार जाति के लोगों पर खुले आम अत्याचार होता है। समाज कल्याण मंत्री कहते हैं कि हम जागरूक हैं। आप जागरूक

(श्री लादूराम सुलानिया)

हैं। मैं आपका ध्यान पिछले वर्षों में हरिजनों के साथ हुए अत्याचारों की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां हमारे गृह मंत्री रहते हैं, उनका पूरे का पूरा जमघट हैं, बस्सी तहसील, लालसोट तहसील और जहां देहाती कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होता है, हरिजनों के उद्धार के नाम पर होता है, इस उद्धार से अब काम नहीं चलने वाला है, अब जोशीजी आपको नकद देना पड़ेगा। जितना सरकार से मिलता है वह नकद दे दो।

मै आपका ध्यान उस कांड की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अखिल भारतीय बैरवा महा सभा दिल्ली से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो पिछले साल हरिजनों के साथ अत्याचार हुए और गिरोह बनाकर दिन दहाड़े खुले आम हमला करके व्यक्तियों को काटा, टुकड़े टुकड़े कर दिए। 20 जुलाई 1968 को और 22 जुलाई को····

श्री मूलचन्द डागा: कितनी पुरानी बात कर रहे हैं?

श्री लादूराम सुलानिया : बहुत पुरानी बात है। सियोला गांव है और सुन्दर गांव है बस्सी व लालसोट तहसील में। तीन हत्यायें खुल्लम खुल्ला हुईं और काफी पुलिस वहां गई। सारे नेता व मंत्री गए लेकिन इन तीन हत्याओं का मुलिजम आज तक 302 में गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हत्यायें नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, क्या लोग मारे नहीं गए? यह स्पष्ट है कि जहां तीन हत्यायें हुई और राज्य सरकार की व्यवस्था हो, उसमें मुलिजम को गिरफ्तार नहीं कर सके, इतनी निकम्मी सरकार हरिजनों की क्या सुरक्षा कर सकती है? इस बात से आभास होता है कि यह सरकार हरिजनों की सुरक्षा के मामले में कमजोर पड़ती है।

इतना ही नहीं, दिल्ली के लोगों ने एजीटेशन चलाया, गिरफ्तारी के लिए लोग चले, राजस्थान के प्रति उन्होंने सहानुभूति बताई। मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव और दूसरे मंत्रियों को शिकायत की कि जो हरिजनों पर अत्याचार हुआ है, उनकी तुरन्त गिरफ्तारी की जाय। इतना ही नहीं लोक सभा में यह बात उठी वहां तय हुआ कि कि संसद सदस्यों का एक दल राजस्थान में जाय और इस घटना की जांच करे और 5 संसद सदस्यों का दल राजस्थान में आया। यह रिपोर्ट बहुत बड़ी है। वह दल गृहमंत्री से लेकर मुख्य मंत्री से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर, आ. ई. जी., एस. पी., एस. डी. एम. से मिला और उस दौर में जो कुछ देखा उसकी रिपोर्ट की और उसकी प्रतिलिपि राजस्थान सरकार को भेजी है। आज तक इस रिपोर्ट को सदन में नहीं रखा और न ही जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था, जिनसे कहा था कि हम इन्तजाम करेंगे, उनको सूचित किया। किसी भी मृत के परिवार को एक पैसा भी सहायता नहीं दी जब कि तत्काल ही सहायता मिलनी चाहिए थी। मैं समाज कल्याण मंत्री से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने इन हत्याओं के लिए कितने मुलिजम गिरफ्तार किए और उनके खिलाफ मुकद्दमा क्यों नहीं दर्ज किया और तत्कालीन जो पुलिस थी, जिन्होंने गिरफ्तारियां नहीं कीं, मुकदमे में खामियां रखीं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? यह जानकारी करना जरूरी है।

मैं आपका ध्यान संविधान की तरफ थोड़ी देर के लिये ले जाना चाहूंगा। हमारे भारत

(श्री लादूराम सुलानिया)

का संवैधान है, संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के पिछड़े हुए लोगों को उसमें अधिकार मिला हुआ है, राजस्थान के रहने वाले परिगणित जाति और जन जाति के लोगों को और आप हम सब लोगों को यह अधिकार मिला है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार यदि जागरूक हो तो वह पूरी हो सकती है और यदि उदासीन रहे तो नहीं हो सकती। देश में यदि सब से बड़ा कलंक कोई है तो वह छुआछूत है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत इसका समूल नाश कर दिया गया है और यह कहा गया है कि भारत के नागरिकों के साथ कोई छुआछूत नहीं होगी। लोक सभा ने सन 1954 में छुआछूत के सबंन्ध में एक्ट बनाया और उसको सारे देश में प्रसारित किया। जो एक्ट जनहित के लिये महत्व रखता है उसका उपयोग आज तक राजस्थान में नहीं हुआ है। सबूत में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में हजारों के साथ छुआछूत और भेदभाव होता है लेकिन आपकी निकम्मी पुलिस एक भी मुकदमा दर्ज नहीं करती है। कोई भी यदि मुकदमा दर्ज भी कर लिया तो हरिजनों को डराती है। जोशीजी को मैंने एक डी० ओ० लटर लिखा था। भीलवाड़ा के एस. डी. ओ. ने हरिजनों को कहा था कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। आपने क्या कार्यवाही की जोशीजी ? साल भर से अधिक समय हो गया है मैं कई बार डी. ओ. भेजता हूं कि फलां जगह हरिजनों का कत्ल हो गया लेकिन आप और आपकी जोशिनजी डूमले बना लेती होंगी। सदस्यों को भी चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं तो आपको राज्य करने का क्या अधिकार है ? आपने पूरे के पूरे अधिकार ले रखे हैं। या तो राज्य सरकार में चलती नहीं होगी। चलती है तो आपको मनुष्यता के नाते और संविधान की भी आपने शपथ खायी है और हरिजनों के प्रति सहानुभूति रखना चाहते हैं तो आपके हैड ऑफिस के नमूने सामने रखना चाहता हूं। आपके विभाग में पत्नीवाद कितना चलता है, आपका विभाग पत्नीवाद के प्रति कितना जागरूक है। पत्नीवाद कितना प्रबल है यह तो आपको मालूम होगा और मालूम नहीं हो तो आपको बता दूं।

एक माननीय सदस्य : यह तो सब जगह है।

श्री लादूराम सुलानिया : हमारे समाज कल्याण विभाग में श्री व्यास प्रिन्सिपल है ट्रेनिंग स्कूल के। जोशीजी ने घोषणा की थी 28 पर्सेन्ट को सर्विस देनी की और गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में एक भी हरिजन के सिवाय किसी दूसरे को नौकरी नहीं दी जायगी। घोषणा तो आदमियों के लिए थी और औरतों के लिये तो नहीं थी इसलिये अपोइन्टमेंट हो गया होगा। श्रीमती व्यास का अपोइन्टमेंट एक स्कूल में किया गया और तीन सौ रुपया वेतन उठाया जाता है। 1969 में नियुक्ति की जब कि नियुक्तियां बन्द थी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि टू दी बेस्ट आफ माई नालेज मेरे विभाग में प्रिन्सिपल श्री व्यास की पत्नी न तो तीन सौ पर नौकर हैं और न ही तीस रुपये पर नौकर हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : आप जांच करेंगे तो पता नहीं चलेगा। आप जांच नहीं

(श्री लादूराम सुलानिया)

कर सकते हैं। आप इसके लिए कमेटी बनाइये। चेयरमैन उसका मुझे बनाइये तो मैं बता सकता हूं। जोशीजी, लीपा पोती से काम नहीं चलने वाला है।

एक श्री वर्मा है,, आर. ए. एस. ऑफिसर। आपने तीन साल से विभाग सम्हाला है। दो वर्ष से अधिक नहीं रख सकते हैं। लेकिन बपौती बना रखी है। सात सात साल से रखा गया है। एक और बताना चाहता हूं। यही नहीं। 1970 में, सभापति महोदय, जयपुर बापूनगर में एक छात्रावास है और वहां पर आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि जो व्यभिचारी लोग हैं उनके बच्चों को सुधार के लिये वह खोला गया है, उसका नाम रखा है सोशियल मौरल स्कूल। बोर्ड का पता नहीं;जयपुर की किस गली और मोहल्ले में यह है। जोशीजी को पता हो तो बता देंगे। कागजों में श्री वर्मा को धर्म पत्नी का अपोइन्टमेंट हो गया और 150 रुपया महीना पे का समाज कल्याण विभाग दे रहा है। न तो छात्रावास का पता और न कुछ और का। इस अंधी सरकार में किस आशय से मान कर चलें कि हरिजनों की सुरक्षा हो सकती है।

यही नहीं, इससे पूर्व कई माननीय सदस्यों ने बताया कि हाउसिंग लोन के लिये एक एक हजार का अनुदान दिया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : आप कितना समय बोलेंगे ?

श्री लादूराम सुलानिया : एक घण्टा।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय पांच मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री लादूराम सुलानिया : पांच मिनट में तो क्या बोल पाऊंगा।

यही नहीं, समाज कल्याण विभाग में पचास वाहन हैं। दो लाख रुपया सेन्टर से ले लिया। एक प्रचार की वाहन नहीं बनाई। कहां मोटरें गायब कर दीं ? यह वाहन आई नहीं पब्लिसिटी के काम में, वह किसी मिनिस्टर के यहां बजरी ढोती होगी।

प्रजेण्ट पोजीशन यह है कि विभाग में एक अधिकारी है शान्तिलालजी गुप्ता। अभी अभी पिछले हफ्ते उन्होंने अपने सारे बच्चों सहित उदयपुर और सागवाड़ा का भ्रमण किया उसी प्रचार वाहन में। आप क्या देखते हैं दिये तले अन्धेरा है। जहां के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं उस विभाग का क्या कहना और आप कहते हैं कि हम जागरूक हैं। बहुत अच्छे जागरूक हैं। यह तो उस तरह से हुआ कि "जलेबी की रखवाली पर बिल्लियों को लगा दिया गया है"। हमें संविधान ने जो अधिकार दिये हैं उसको पालना कहां होती है ? भारत सरकार और राजस्थान सरकार अपनी आय का काफी धन हरिजनों के उत्थान के लिए देती है लेकिन उस सबका दुरुपयोग होता है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। मैंने पहले भी आरोप लगाया था हजार हजार रुपये इन जाति के लोगों को मकान बनवाने के लिये दिये गये लेकिन उसमें से पांच सौ रुपया रिश्वत का दिया गया और केवल 500 रुपया ही उनको दिया गया....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप इस तरह से वेग चार्जेज मत लगाइये, स्पेसिफिक चार्ज किसी विभाग के अधिकारी के प्रति हो तो लगाइये। आप किसी के भी खिलाफ स्पेसिफिक चार्ज दीजिये मैं उसकी पूरी जांच करवाऊंगा और दोषी अधिकारी को सजा दूंगा। आपको एक बात और कहना चाहता

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

हूं। उस रोज भी आपने फरमाया था कि मैं आपको लिख कर दूंगा लेकिन आपने मुझे एक भी आरोप नहीं दिया। आप इस तरह से वेग आरोप लगाते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। आपको विधान सभा के मेम्बर की हैसियत से जो प्रिविलेजेज मिले हुए हैं उसके कारण आप यहां पर कुछ भी बोल लेते हैं क्योंकि इस पर कार्यवाही नहीं हो सकती। सदन के बाहर आप निकल कर बोलिये हिम्मत रखते हैं तो। उसका क्या नतीजा आपको भुगतना पड़े यह आपको भी मालूम हो जाय।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं इस तरह से आप माननीय सदस्य को धमकी देना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिये। आपके सारे प्रशासन की जो कमजोरी हैं उसको आप छिपाना चाहते हैं और सदस्यों को धमकी देते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : He has named me.

श्री नत्थीसिंह : क्या मतलब है यह कहने का कि आप बाहर ये चार्ज लगाइये।

श्री लादूराम सुलानिया : आप पहले तो अपने यहां की जो नियमावली है उसको पढ़ कर आइये, उसका अध्ययन करिये। हमें संविधान द्वारा यह अधिकार मिला हुआ है बोलने का। खाली एल०एल० बी० डिग्री लेकर वकील बने फिरते हो, काला कोट नकटाई लगा ली, आता जाता तो कुछ है नहीं। यहां का प्रोसीजर भी आता नहीं। आप विधान सभा के बाहर मत जाओ हम यहीं पर आरोप लगायेंगे। विधान सभा के भीतर आरोप लगाता हूं और आपको चैलेन्ज करता हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बाहर लगाओ तो देखें।

श्री नत्थीसिंह : क्या सदन का महत्व नहीं है जो आप बाहर आरोप लगाने की बात कहते हो। आप पर आरोप लगाते हैं उसको गलत साबित करो।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ये इस तरह से उछलते हैं और झूठे आरोप यहां लगाते हैं जिसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसलिये मैंने कहा था कि जो आरोप यहां लगाते हो वह बाहर लगाकर तो देखा फिर क्या कानूनी कार्यवाही होती है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): बाहर बुलाकर के आप क्या करना चाहते हो? आपकी क्या मन्शा है? हिन्दुस्तान के 52 करोड़ लोग चिल्ला रहे हैं आपका शासन भ्रष्ट है उनका क्या बिगाड़ लोगे?

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 8 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर 5.5 बजे सदन की कार्यवाही दिनांक 20-5-70 के प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (3) में निर्दिष्ट सूची)

वन मण्डल झालावाड़ की झालावाड़ रेन्ज में 1-12-68 से 4-12-68 तक बीड़ घास खेरिया तथा रेन बसेरा में घास काटने वाले मजदूरों को चुकाई गई राशि का विवरण।

क्रम सं०	बीड़ का नाम	घास काटने वाले मजदूर का नाम व पता	राशि जो चुकाई गई रु० पैसे
1	खेरिया बीड	श्री भैरु वल्द गोपाल भील ठाकुर सा० दुर्गपुरा	6-00
2	,,	श्रीमती जड़ाऊ पत्नि मांगीलाल गूजर, दुर्गपुरा	4-50
3	,,	श्रीमती तुलसी पत्नि रामा भील, दुर्गपुरा	4-50
4	,,	श्रीमती नाराणी पत्नि ऊदा भील ठाकुर, दुर्गपुरा	4-50
5	,,	श्रीमती जड़ाऊ पत्नि कंवरलाल, दुर्गपुरा	4-50
6	,,	श्रीमती महताब पत्नि मांगीलाल, दुर्गपुरा	4-50
7	रैनबसेरा बीड	श्री हीरा लाल वल्द छीतर यादव, अकलेरा, तहसील बारां	4-00
8	,,	श्री रघनाथ वल्द पूना यादव, अकलेरा, तहसील बारां	8-00
9	,,	श्री लक्ष्मी नारायण वल्द मन्ना यादव, अकलेरा तहसील बारां	8-00
10	,,	श्री किशनलाल वल्द ओंकार यादव, अकलेरा तहसील बारां	8-00
11	,,	श्री कन्हैयालाल वल्द हीरा यादव, अकलेरा तहसील बारां	8-00
12	,,	श्री मांगीलाल पुत्र रघनाथ यादव, अकलेरा, तहसील बारां	8-00
13	,,	श्रीमती पाना पत्नि हीरालाल यादव, अकलेरा तहसील बारां	6-00
14	,,	श्री केदार वल्द जगन्नाथ यादव, अकलेरा, तहसील बारां	6-00
15	,,	श्रीमती गुलाब पत्नी किशना यादव, अकलेरा, तहसील बारां	6-00

Page No. 126

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 118 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

बाढ़ से हुए नुकसान की सूची तहसील सांगोद जिला कोटा सन् 1969/70 माह अगस्त, सितम्बर

क्र.सं.	नाम ग्राम	नुकसान तादाद मकानात	नुकसान रुपयों में	प्रभावित क्षेत्र चाही	प्रभावित क्षेत्र बारानी	नुकसान रु०	जनता की सम्पति का नुकसान: राजकीय इमारतें	जनता की सम्पति का नुकसान: प.समिति द्वारा संचालित स्कूल व इमारत	सड़कों का नुकसान	रुपया जो मकानों की क्षति हेतु दिया गया (अनुदान)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सांगोद	10	3,400	60 ए०	140 ए०	7,000	—	—	1,500	650	773-27 पैसे का आटा बाढ़ पीड़ितों को वितरण किया गया है, 21) रु० के बिस्कुट वितरण किये गये हैं।
2	अड्डसा	4	1,100	—	—	—	—	—	—	110	
3	कुराडमाकलां	1	400	—	—	—	—	—	—	—	
4	किशनपुरा	1	150	—	8 ए०	800	—	—	—	50	
5	पामका	4	600	—	—	—	—	—	—	30	
6	सेलडी का कुन्या	9	1,500	—	—	—	—	—	—	360	
7	वालुहेडा	1	200	—	—	—	—	—	—	50	
8	थबोलिया	5	1,000	—	—	—	—	—	—	250	
9	कलमंडी	11	13,800	—	—	—	—	—	—	2,450	
10	रुपाहेडा	1	1,000	—	—	—	—	—	—	300	
11	मकडाददा	8	2,050	—	10 ए०	1,500	—	—	—	400	
12	आमली	16	5,400	—	30 ए०	2,000	—	स्कूल जन. 500	—	555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	सहरोली	127	3,860	—	—	—	—	मंदिर जन. 1,000	—	1300	
14	घटाले	12	1,400	—	—	—	—	—	—	200	
15	करीलिया	25	2,900	—	13 ए०	1000	—	—	—	250	
16	अरालिया	60	6.500	—	16 ए०	1500	—	—	—	2650	
17	हरीपुरा	26	8,300	—	—	—	—	स्कूल जन. 1,000	—	2200	
18	कन्दापल	3	3,900	—	—	—	—	—	—	250	
19	कांटोन	5	1,300	—	—	—	—	—	—	450	
20	राजगढ़	24	10.940	—	17 ए०	700	—	स्कूल 1,000	10,000	4,200	
21	मंडीता	2	700	—	—	—	—	—	—	—	
22	गरदावदा	8	2,250	—	—	—	—	—	—	—	
23	इस्लाम नगर	20	2,000	—	—	—	—	—	—	—	
24	मालाहैडा	2	400	—	—	—	—	—	—	—	
25	झोपड़ी	—	—	—	—	—	—	—	—	400	
26	टींगरी	—	—	—	6 ए०	1500	—	—		—	
27	विनोद खुर्द	—	—	—	2 ए०	400	—	—	—	—	
28	विनोदकलां	—	—	—	5 ए०	1000	—	—	—	—	
29	सलोता	—	—	—	3 ए०	350	—	—	—	—	
30	गूडंला	—	—	—	1 ए०	180	—	—	—	—	
31	रोलाना	—	—	—	5 ए०	700	—	—	—	—	
32	धुनपुर	12	4,100	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	बोरीकलां	46	23,000	—	—	—	—	—	—	5,100	
34	गुरायता	5	2,500	—	—	—	—	—	—	350	
35	विजयनगर	12	5,900	—	—	—	—	—	—	50	
36	कुदेस	1	200	—	—	—	—	—	—	1850	
37	बोरीना खुर्द	8	4,400	—	—	—	—	—	—	1100	
38	लोढ़ा हैडा	2	200	—	—	—	—	—	—	—	
39	टोल्या	18	2,810	—	—	—	—	—	—	670	
40	नागरोन	10	920	—	—	—	—	—	—	550	
41	गडराना	16	480	—	—	—	—	—	—	1200	
42	पूलेठ	16	1,960	—	—	—	—	—	—	470	
	योग :—	411	1,12,520	60	256	18630	—	3,500 स्कूल 3 मन्दिर 1	11,500	23,445	आसामी जिनकी तादाद है 303
				3,176							

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा चरनोट की भूमि की वन पैदावार गोंन्द पत्ता तेन्दु के ठेके से हुई आमदनी का विवरण पंचायत समिति झालरापाटन

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत	पत्ता तेन्दु आय ठेका			गोंद आय ठेका		
		66-67	67-68	68-69	66-67	67-68	68-69
1	मंडावर	51)	151)	252)	—	—	—
2	बड़ोदिया	1725)	2500)	501)	—	21	32
3	बावासल	541)	7051)	—	—	61)	1126)
4	डूंगरगांव	501)	3115)	501)	—	51)	31)
5	असनावर	130)	901)	2352)	31)	266)	602)
6	जूनाखेड़ा	925)	1601)	501)	35)	33)	31)
7	इकतासा	801)	1651)	401)	11)	116)	70)
8	पिपलोद	—	—	401)	—	—	—
9	गोविन्दपुरा	—	101)	1101)	—	—	—
10	हपारेल	101)	101)	201)	—	—	—
11	गोरधनपुर	521)	611)	611)	—	—	—
12	दुर्गपुरा	205)	1142)	1600)	—	—	—
13	कलमंडीकला	—	—	110)	—	—	—
14	खानपुरियां	—	75)	75)	—	—	—
15	पनवासा	1811)	—	—	17)	1071)	—

पंचायत समिति बकानी

क्रम संख्या	नाम पंचायत	पता तेन्दु आय ठेका 67-68	68-69	69-70
1	मोडी	700)	3500)	101)
2	घावेड़िया	325)	1151)	—
3	फरलगांव	725)	1900)	—
4	देवनगर	—	105)	—
5	वडाय	425)	751)	—
6	नातोर	615)	1201	—
7	बकानी	1171)	2400)	51)
8	रीछवा	1000)	3500)	—
9	गरवाडा	2001)	2500)	—
10	रटलाई	2225)	3300)	—
11	पाटल्याकुमी	750)	1800)	—
12	देवरी	725)	3375)	—
13	मालता	2500)	4625)	255)
14	कुशलपुरा	101)	751)	—
15	उमरिया	750)	2500)	—
16	बैरागढ़	1856)	3500)	—
17	आगरिया	305)	1001)	—
18	रीझोन	1001)	2500)	—
19	मराडखेडा	2225)	4051)	—
20	गैहखेडी	2200)	3600)	230)
21	असेसखेडीलोडान	1200)	3200)	—
22	जीरखेडीगूजरान	—	1825)	—
23	आसलपुर	—	3305)	—
24	घाटौली	1616)	1700)	501)
25	गुलखेडी	—	1721)	—
26	गोपालपुरा	—	1901)	—
27	कोहडीझर	—	1126)	—
28	विन्दाखेडा	—	3901)	—
29	सरडा	—	1500)	—
30	पचोला	—	2750)	—

पंचायत समिति मनोहर थाना

क्रम संख्या	नाम पंचायत	पता तेन्दु आय ठेका 67-68	पता तेन्दु आय ठेका 68-69	पता तेन्दु आय ठेका 69-70	गोंद आय ठेका 67-68	गोंद आय ठेका 68-69	गोंद आय ठेका 69-70
1	खाताखेड़ी	1301)	105)	151)	31)	40)	61)
2	खेमलोहाट	3230)	211)	301)	21)	21)	25)
3	लासाडिया शाह	1701)	301)	—	—	11)	11)
4	लहास	811)	235)	111)	—	—	—
5	समरांला	1560)	311)	321)	35)	173)	31)
6	खास्या	1171)	630)	201)	101)	215)	201)
7	दागीपुरा	875)	31)	101)	—	—	15)
8	पिन्डांला	601)	101)	151)	—	—	—
9	चान्दमुरा मालान	3405)	151)	611)	—	—	26)
10	मगपसर	2305)	280)	421)	301)	207)	301)
11	शोखी	2901)	199)	651)	450)	251)	200)
12	जावर	1250)	151)	151)	—	—	32)
13	खरेखेड़ा	1652)	509)	605)	—	—	—
14	बांसखेड़ा	1305)	105)	151)	—	—	—
15	कोएड़ खेड़ीकलां	2500)	151)	325)	655)	—	811)
16	ठीकरिया	1261)	405)	410)	236)	102)	405)
17	गैरबोल्या	2300)	381)	625)	125)	1951)	185)
18	ठोरीमीरा	1275)	125)	181)	51)	52)	54)
19	मनोहरथाना	130)	521)	52)	3101)	2201)	3311)
20	कोण्ड खेड़ीमाली यान	1205)	101)	151)	1501)	—	701)
21	मान्दीपुर	2505)	906)	351)	1775)	1001)	300)
22	बुनेठ	2001)	499)	301)	24)	60)	50)
23	हाखेरोजगन्नाथ	2205)	272)	408)	151)	231)	—
24	आवलहैड़ा	2100)	100)		61)	20)	9)
25	चुरत्या	2001)	701)	871)	175)	35)	23)
26	धनावद	4511)	1551)	—	—	—	—
27	तुरकाडिया	1205)	605)	401)	—	—	15)
28	देवरीकला	1802)	2001)	201)	—	—	—
29	सरखाडिया	3600)	301)	—	641)	175)	66.25)
30	मकलेरा	101)	101)	100)	—	—	—
31	गेहुन	251)	501)	106)	—	—	—
32	थरोला	1501)	1901)	221)	25)	—	11)
33	सरेडी	1301)	351)	—	—	—	—
34	बडवद	705)	106)	—	—	—	—
35	मिकोली	4001)	—				

पंचायत समिति खानपुर

क्र० सं०	नाम पंचायत	पता तेन्दु आय ठेका		
		66-67	67-68	68-69
1.	पिपलाज	—	—	75)
2.	सुमर	125)	191)	611)
3.	अकावदखुर्द	2500)	1500)	2100)
4.	सरेजपुर	1800)	800)	1201)
5.	करनवास	881)	1206)	150)
6.	तारज	—	—	—
7.	बरेडा	—	—	—
8.	लायफल	100)	—	—
9.	हरीगढ़	605)	1002)	951)
10.	धानोदा	1750)	1750)	1501)
11.	महुवारेदा	801)	521)	—
12.	मालनवासा	551)	1016)	301)
13.	बाधेर	—	—	400)

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 126 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

पंचायत समितियों द्वारा खाद व बीज के लिए वितरित ऋण (1959-60 से 69-70 तक) की बकाया राशि का विवरण

क्र० सं०	नाम जिला	बकाया राशि खाद	बीज	योग
1	उदयपुर	14,20,485.94	11,95,467.86	39,09,499.64
2	जयपुर	11,01,188.35	21,52,989.16	46,96,436.88
3	बाड़मेर	1,65,129.00	24,60,920.00	26,26,049.00
4	गंगानगर	40,72,171.95	31,89,036.06	1,25,78,200.49
5	नागौर	1,45,398.15	18,74,881.03	20,20,279.18
6	चित्तौड़गढ़	12,22,590 74	8,19,969.40	32,92,993.98
7	टोंक	2,32,444.21	11,47,745.25	16,11,180.33
8	सवाई माधोपुर	11,70,994.32	6,26,011.24	20,12,483.16
9	अलवर	10,91,874.42	27,07,938.67	42,49,492.77
10	डूंगरपुर	4,06,302.66	5,03,619.59	11,83,272.02
11	कोटा	29,03,271.28	19,45,486.69	53,95,855.31
12	बूंदी	13,98,648.66	15,91,300.19	35,78,976.99
13	भरतपुर	6,52,489.24	22,11,535.05	48,49,683.68
14	बीकानेर	—	8,06,449.64	8,06,449.64
15	जैसलमेर	20,264.67	2,53,496.84	2,73,761.51
16	चूरू	2,165.95	6,61,296.29	6,63,462.24
17	सिरोही	14,54,060.78	11.07.132.47	25,61,193.25
18	जोधपुर	7,04,575.96	4,24,763.84	12,77,657.67
19	सीकर	1,94,060.82	7,83,287.49	9,77,348.31
20	झालावाड़	15,48,778.47	9,80,855.90	36,77,324.57
21	भीलवाड़ा	10,81,175.89	9,42,531.44	32,51,804.30
22	बांसवाड़ा	11,68,959.99	12,21,650.88	23,90,610.87
23	अजमेर	10,88,002.09	20,98,685.45	37,01,128.50
24	झुन्झुनू	2,04,224.37	5,26,257.73	7,30,482.10
25	जालौर	7,20,780.40	19,57,649.23	35,55,795.44
26	पाली	49,21,736.57	39,38,807.38	99,19,734.70
	योग	2,90,91,774.88	3,81,29,766.77	8,57,91,158.53

नोट:— 39 पंचायत समितियों द्वारा खाद व बीज की बकाया राशि का इकजाइ सूचना दी है जो (1,85,69,616,88) योग में शामिल की गई है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 127 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

जिलेवार सूची मुआवजे की जो सिंचाई कार्यों के लिये आवप्त की गई भूमि का मार्च 70 तक देना शेष था।

क्र०	नाम जिला	भूमि (एकड़ो में)	मकान	कुए	रकम
1	2	3	4	5	6
1	जयपुर	8698	—	—	1304700/-
2	सवाई माधोपुर	7839	—	—	1175850/-
3	भरतपुर	2731	499	32	2396564/-
4	अलवर	1640	100	30	373337/-
5	सीकर	1141	64	40	481574/-
6	झून्झूनू	61	20	7	15807/-
7	बूंदी	780	—	—	148057/-
8	झालावाड़	462	—	—	5727/-
9	कोटा	1082	—	—	291459/-
10	अजमेर	2006	2256	40	229546/-
11	नागौर	1052	—	—	N. A.
12	पाली	2481	47	21	196224/-
13	सिरोही	4682	2	11	56228/-
14	जालौर	1331	—	—	31000/-
15	बाड़मेर	34	—	—	10500/-
16	उदयपुर	833	—	13	267449/-
17	भीलवाड़ा	346	—	—	101500/-
18	चितौड़गढ़	3528	1	8	940314/-
19	डूंगरपुर	825	17	27	176881/-
20	बांसवाड़ा	389	—	—	37252/-
21	गंगानगर	5770	—	—	620119/-
	योग	47,811	3,006	229	88,40,088/-

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची) सूचि 'श्र'

ादी एवं इसकी सहायक नदियों पर जिन नये बांधों का कार्य अकाल राहत मद में प्रगति पर हैं अथवा जिनके लिये लघु सिंचाई योजनाओं के मद में वर्ष 1970-71 में प्रावधान है।

नाम बांध 2	जिला 3	तहसील 4	क्षमता (मि. घ. फुट में) 5	विवरण 6
ुरा	जालोर	जालोर	87	इन बांधों का कार्य अकाल राहत मद में प्रगति पर हैं। तथा हेमावास फीडर व धुडियल को छोड़ कर संभवत: शेष सभी कार्य वर्ष 70-71 में पूर्ण हो जावेगा।
ासन	,,	भीनमाल	10	
ी नाल	पाली	देसूरी	90 ❀	
	,,	,,	83	
ड़ा	,,	,,	66	
नया	,,	पाली	308	
	,,	,,	73	
़ खारड़ा फीडर	,,	,,	440	
	,,	खारची	123	
का बाला	,,	बाली	27	
री का बाला	,,	,,	32	
	सिरोही	सिरोही	27	
रिया कानावास	पाली	—	150	लघु सिंचाई योजनाओं के मद में क्रमश: 20 व 30 हजार रु० का प्रावधान है।
्या खुर्द	,,	—	अभी प्राप्त नहीं है।	
		योग :	1426	

❀ इसका कैचमेंट एरिया मौजूदा बांकली बांध के केचमेंट में शामिल है। अतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची)

S.No.	Name of the Officer	Designation	Year 67-68	Year 68-69	Year 69-70
1	2	3	4	5	6
1	Sh. Bishan Sinha	Principal	—	371-18	668-96
2	Sh. Purshottum Sinha	Vice Principal	332-74	413-69	245-28
3	Sh. Ramesh Chand Sharma	Lecturer	70-32	—	—
4	Sh. Jai Singh Neeraj	,,	43-04	—	—
5	Sh. J. M. Tayal	,,	74-88	21-74	21-15
6	Sh. Raghuwar Dayal	,,	—	—	69-50
7	Sh. Yashpal Kakkar	,,	52-65	—	279-18
8	Sh. Arjun Prasad Mishra	,,	65-82	161-66	118-06
9	Sh. Chetenya Kumar Parashar	,,	134-74	—	170-18
10	Sh. Vasudev Singh	,,	—	—	146-76
11	Sh. Prakash Chand Jaiman	,,	346-82	150-87	174-71
12	Sh. Bhawani Shanker	,,	310-34	239-39	281-56
13	Sh. Udai Shanker Sharma	,,	160-50	—	—
14	Sh. Diwakar Mishra	,,	68-86	426-69	375-13
15	Sh. Om Prakash Dargan	,,	28-21	53-17	—
16	Sh. R. M. Rai	,,	—	—	152-79
17	Smt. Kama Tiwari	,,	—	118-87	148-57
18	Sh. G. Anand	,,	93-33	56-48	—
19	Sh. Hari Prasad Shashtri	,,	—	—	46-20
20	Sh. R. K. Mathur	,,	—	—	166-35
21	Sh. P. L. Bansti	,,	140-51	121-08	129-38

Page No. 137

1	2	3	4	5	6
22	Smt. Maya Dube	,,	—	142-54	—
23	Sh. T. N. Chaturvedi	(P. G. Head) Lecturer	—	—	35-92
24	Sh. O. P. Mathur	,,	214-51	154-75	103-99
25	Sh. G. D. Mathur	,,	—	—	744-79
26	Sh. H.P. Khandelwal	,,	—	88-62	29-24
27	Sh. H. S. Bhargawa	,,	—	—	178-18
28	Sh. Jaipal Singh	,,	—	—	102-02
29	Sh. A. S. Saxena	,,	—	75-31	163-28
30	Mrs. M. K. Singh	,,	—	—	56-54
31	Sh. R. P. Sharma	,,	—	180-97	140-03
32	Sh. Suresh Chand Sharma	,,	118-11	119-18	215-52
33	Sh. B. R. Mittal	,,	141-49	144-09	111-04
34	Sh. S. N. Mathur	,,	102-43	37-95	69-19
35	Sh. J. Bhagwan	,,	163-21	—	144-27
36	Sh. T. S. Baopna	,,	249-86	309-75	262-03
37	Sh. R. S. Vijai	,,	12-96	271-07	228-19
38	Sh. J. K. Saxena	,,	—	49-79	363-67
39	Sh. M. C. Purohit	,,	—	—	258-08
40	Sh. G. K. Rustagi	,,	—	—	21-00
41	Sh. H. B. Saxena	Lecturer	—	59-71	212.12
42	R. B. Mathur	,,	170-10	227-89	900-14
43	Sh. S. C. Juniwal	,,	—	57-58	—
44	Sh. Shadi Lal Gupta	,,	176-65	—	126-46
45	Sh. Shashi Kumar Jain	,,	77-84	58-42	65-74
46	Miss Indra Agarwal	,,	26-62	63-65	81-20
47	Sh. S. M. Purohit	,,	847-40	158-18	468-73
48	Sh. P. S. Sood	P. G. Head	37-90	126-47	985-58

Page No. 138

1	2	3	4	5	6
49	Sh. R. K. Ameta	Lecturer	113-79	368-61	—
50	Sh. C. S. Kulshresth	,,	—	—	36-87
51	Sh. M. M. Gupta	,,	—	112-36	239-96
52	Sh. M. L. Sharma	,,	59-46	—	94-89
53	Sh. Rajeshwar Dayal	,,	—	—	233-33
54	Sh. R. P. Gautam	,,	38-86	—	277-56
55	Sh. J. N. Sharma	,,	165-29	—	122-39
56	Sh. N. K. Kulshresth	,,		39-11	31-53
57	Sh. Om Prakash Gupta	,,	—	13-55	6-75
58	P. M. Choradiya	,,	—	16-30	144-30
59	Sh. P. C. Chanjhari	,,	—	—	50-59
60	Sh. B. L. Dabe	(Short Hand Instructor)	25-38	—	—
61	Sh. T. H. Zedi	Lecturer	44-09	26-00	72-6
62	Sh. B. K. Ubana	,,	61-35	—	—
63	Sh. K. C. Jain	,,	185-54	—	—
64	Miss. Goyal	,,	40-87	—	—
65	Sh. H. C. Gupta	,,	197-38	68.54	21-22
66	Sh. A. Kumar	,,	233-24	—	—
67	Sh. D. L. Sharma	,,	44-22	—	—
68	Sh. C. S. Sharma	,,	28-36	—	—
69	Sh. R. D. Shivgan	,,	25-60	—	—
70	Sh. M. N. Mathur	,,	—	—	32-50
71	Sh. Roop Kishore Goyal	,,	—	—	1206-79
72	Miss R. Badlani	,,	—	—	45-05
73	Estt. Staff	,,	2448-07	2478-41	6266-72
	Total:-		7972-94	7583-62	1321

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

भंगी कष्ट मुक्ति योजना के अन्तर्गत 45,80,000 रुपये की धनराशि का विभिन्न नगरपालिकाओं में आवंटन का विवरण पत्र (अंक लाखों में)

क्र. सं.	नाम नगर पालिका	जन संख्या	जन संख्या में हिसाब लगाने हेतु पूरक में	मेकेनिकल टेम्पो ट्राली मय बाल्टि खुरपा इत्यादि खरीदने के लिये (20.45 लाख)	निजी कच्चे टाहरती को फलश में बदलने के लिये अनुदान के हेतु (15.35 लाख)	नगरपालिका के कच्चे टाहरती को फलश में बदलने हेतु अनुदान 10 लाख	योग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जयपुर	403441	4.00	4.00	3.00	2.00	9.00	
2.	अजमेर	231240	2.25	2.25	1.70	1.15	5.10	
3.	जोधपुर	224700	3.25	2.25	1.70	1.10	5.05	
4.	बीकानेर	150634	1.50	1.50	1.10	0.75	3.35	
5.	कोटा	120345	1.25	1.25	0.95	0.65	2.85	
6.	उदयपुर	111149	1.00	1.00	0.75	0.50	2.25	
7.	अलवर	12707	0.75	0.75	0.55	0 40	1.70	
8.	गंगानगर	53854	0.75	0.75	0.55	0.40	1.70	
9.	ब्यावर	53931	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10	
10.	सीकर	50636	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10	
11.	भरतपुर	45776	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10	
12.	भीलवाड़ा	45499	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10	

13.	टोंक	3413	0.50	0.50	0.55	0.25	1.10
14.	चुरू	71727	0.50	0.50	0.35	0.25	1.10
15.	पाली	33303	0.30	0.30	0.25	0.15	0.70
16.	बाड़मेर	27600	0.25	0.25	0.20	0.15	0.60
17.	बून्दी	26478	0.25	0.25	0.20	0.15	0.60
18.	झुन्झनू	24962	0.25	0.25	0.20	0.15	0.60
19.	नागौर	24299	0.25	0.25	0.20	0.15	0.60
20.	सवाई माधोपुर	20952	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
21.	बांसवाड़ा	19566	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
22.	चित्तौड़गढ़	16888	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
23.	झालावाड़	11995	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
24.	सिरोही	14431	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
25.	जालौर	13882	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
26.	डूंगरपुर	12755	0.25	0.25	0.20	0.10	0.55
27.	जैसलमेर	8362	0.20	0.20	0.15	0.10	0.45
28.	लाडनूं	—	—	0.15	0.15	—	0.30
29.	भीनासर	—	—	0.15	0.10	—	0.25
30.	गंगाशहर	—	—	0.15	0.10	—	0.25
	योग···	—	—	20.45	15.35	10.00	45.80

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या 147 की सूची)

सूची

जिला जैसलमेरः—

	वर्ष 1968-69	1969-70
12 कुओं को गहरा कराया—		6 कुओं को गहरा कराया —
जैसलमेर	वहया	पोकरण
	हादुर	फलसूंड़
पोकरण	जेमला	नोख
	लवा	आसकन्दा
	राजमगाई	झावरा
	अवाय	गलत
	बडली	
	फलखंड़	
	राजगढ़	
	मिणियाणा	
	नाचणा	
बाड़मेर	1968-69 व 1969-70	
नया कुआ 1	वालोजा नगर पालिका	
पुराने कुए की मरमत 2	मंडली	
	छाक्षर लाई	
गहरे करवाये 19	रायमल का कुआ पनावड़ा	
	नाड़ी वाला कुआ अकदड़ा	
	हेमानिया का कुआ याटाडू	
	मुरलिया का कुआ वार्ड नं० 4	
	बीठूजा बरिया	
	असोल	
	सवाई मूलराज हीरो की ढाणी	
	रामदान का कुआ बाटाडू	
	चिड़िया का कुआ निवाड़ा	
	मलवा कुआ खारापार	
	भाटियान वेरी सवाऊ वड़ी	
	अकदड़ा का नया कुआ रामेश्वर	

	1968–69	1969–70
	चिनरिया तला बाटाड़	
	हनुमान सागर कुआ भुरटिया	
	दुगानिया कुआ बाटाड़	
	जखनो का कुआ कानोड़	
	इन्दालिका कुआ कानोड़	
	केवाली बाटाड़ नया कुआ	
	लापूदरां का पुराना कुआ	
	बीकानेर तहसील वर्ष 1969–70	
	कोलायतः—	
	गिराजसर	
	मियाकोर	
	भाणेका गांव	
	नया गांव	
	नोखा उर्फ दयिया	
	लूम्बासर	
	भेलू	
	देह (गुडा)	
	गोडू	
	दासोकी	
	नांदड़ा ताखियन	
	सूरसड़ा	
	मेडी का मगरा	
	गोकुल	
	खारा मोहन	
	नेणिया	
	बांगणसर	
	राणसीभर	
नोखाः—		
	लालमदेसर बड़ा	
	अणसीसर	
	चिताणा सिकडो की ढाणी	
	शिनरों की ढाणी कंकर	

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 19 मई, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
13	अन्तिम से	4	सम्बधित	सम्बन्धित
31	,,	3	वसूल	वसूली
33	,,	10	की	का
39	,,	5	पर पर खर्च करें	पर खर्च करें
46	,,	12	रीपरिगणित	परिगणित
47	,,	11	28062	27062
53	,,	2	—	उत्तर
57	,,	13	यह	इस
60	,,	2	फण्ड	फेज्ड
66	,,	8	उसको	उसका
70	,,	5	अप्रशिक्षिए	अप्रशिक्षित
,,	,,		बी० एस० टी० सं० प्रशिक्षित	बी० एस० टी० सी० प्रशिक्षित
73	,,	6	विजत	वीजत
75	,,	13	कतने	कितने
77	,,	1	भगी	भंगी
,,	,,	2	निवारक	निवारण
78	,,	5	घोषित	घोषित
83	,,	4	कोई	कोई
,,	,,	7	श्री विश्वम्भर नाथ जोशी	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, वित्त)
90	,,	13	भी	ही
,,	,,	2	को	सो
91	,,	5	कैंटेरिया	कन्टेरिया
95	शीर्ष		(श्री अध्यक्ष)	—
97	अन्तिम से	12	इस	जिस
99	,,	7	सदाई	खुदाई
101	,,	18	व्ययक	व्ययक
106	,,	4	कोड़े	कीड़े
112	,,	9	निवेदन	मैं निवेदन
114	,,	17	खुलम खुल्ला	खुल्लम खुल्ला

1	2	3	4
121	अन्तिम से 14	को	का
,,	,, 19	लोगवुक्स क्या हुआ	लोग बुक्स का क्या हुआ
129	,, 7	दुर्व्यस्था	दुर्व्यवस्था
131	,, 13	के	चुके
134	,, 2	तनख्वा	तनख्वाह
144	,, 3	इसका चलेंज	इसको चैलेन्ज
145	,, 12	कास्ट	कास्ट्स
,,	,, 15	एजोर्नमेंट	एडजोर्नमेन्ट
150	,, 13	मेरे	मैंने
151	,, 5	कृषिमंत्री (श्री शोभाराम)	श्री शोभाराम (कृषि मंत्री)
157	,, 7 व 8	टेम्परारी	टेम्प्रेरी
165	,, 13	नोटोरियल	नोटोरियस
167	,, 8	धोषणा	घोषणा
224	,, 16	श्री देवीदत्त गड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
265	,, 14	मरमत	मरम्मत